Uncorrected – Not for Publication LSS-D-II

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Wednesday, July 31, 2019/ Shravana 9, 1941 (Saka)

(Please see the supplement)

LOK SABHA DEBATES

(NO QUESTION HOUR: PART I - NOT ISSUED)

PART II –PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Wednesday, July 31, 2019/Shravana 9, 1941 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	**1**
PAPERS LAID ON THE TABLE	**2**
FINANCIAL COMMITTEES - A REVIEW	**3**
MOTION RE: 6TH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	**4**
SPECIAL MENTIONS	**5-23**
INTER-STATE RIVER WATER DISPUTES (AMENDMENT) BILL	**24-114**
Motion for Consideration	24-28
Shri Gajendra Singh Shekhawat	24-28 92-98
Shri Manish Tewari	29-33
Dr. Satyapal Singh	34-35
Shri Dayanidhi Maran	36-39
Shri Kalyan Banerjee	40-44
Shri Midhun Reddy	45-47
Shri Hemant Tukaram Godse	48-49
Shri Mahabali Singh	50-51
Shri Bhartruhari Mahtab	52-55
Shri Nama Nageswar Rao	56-57

Shri Sunil Dattatray Tatkare	58-58A
Shri H. Vasanthakumar	59-62
Shri Feroze Varun Gandhi	63-66
Adv. A.M. Ariff	67-68
Shri M. Selvaraj	69
Shri Rahul Kaswan	70-72
Shri Hanuman Beniwal	73-75
Shri N.K. Premachandran	76-78
Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu	79-82
Shrimati Sumalatha Ambareesh	83-85
Shri Brijendra Singh	86-87
Shri Prataprao Jadhav	88-88A
@Shri P. Raveendranath Kumar	89
Shri Sukhbir Singh Jaunpuria	90-91
…	99-105
Motion for Consideration – Adopted	106
Consideration of Clauses	106-14
Motion to Pass	114

@For English translation of speech made by hon'ble Member Shri P. Raveendranath Kumar in Tamil please see the supplement pp 89A-89C

#For English translation of clarification sought by hon'ble Member Shri. Thol Thirumaavalavan in Tamil please see the supplement pp 99A

PUBLIC PREMISES (EVICTION OF UNAUTHORISED OCCUPANTS) AMENDMENT BILL	**115-59**
Motion for Consideration	115-18
Shri Hardeep Singh Puri	115-18 149-57
…	119
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	120-22
Shri Parvesh Sahib Singh Verma	123-26
…	127
Shri Kalyan Banerjee	128-31
Shri Kanumuru Raghurama Krishnaraju	132
Shri Pinaki Mishra	133-34
Shri Nama Nageswar Rao	135
Shrimati Supriya Sadanand Sule	136-37
Shri Rajendra Dhedya Gavit	138-39
Shri Janardan Singh Sigriwal	140-41
Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu	142
Shri Shankar Lalwani	143
Shri N.K. Premachandran	144-45
Shri Anil Firojiya	146
Shri Rajiv Pratap Rudy	147-48
Motion for Consideration – Adopted	157
Consideration of Clauses	158-59
Motion to Pass	159

(FOR REST OF THE PROCEEDINGS, PLEASE SEE THE SUPPLEMENT.)

xxx

LOK SABHA DEBATES

PART II –PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Wednesday, July 31, 2019 / Shravana 9, 1941 (Saka)

S U P P L E M E N T

CONTENTS PAGES

XXX XXX XXX XXX

Xxx xxx xxx xxx

Xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY AND CODE 89A-89C

(AMENDMENT) BILL 99A

xxx xxx xxx xxx

Shri P. Raveendranath Kumar 89A-89C

xxx xxx xxx xxx

Shri Thol Thirumaavalavan 99A

xxx xxx xxx xxx

SPECIAL MENTIONS 160-79

(1100/MK/PS)
1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1101 बजे

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पहले पेपर ले कर लेते हैं।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1102 बजे

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर-1, श्री संतोष कुमार गंगवार जी।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वित्तीय अनुमान और निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

FINANCIAL COMMITTEES – A REVIEW

SECRETARY GENERAL: I beg to lay on the Table a copy each in Hindi and English versions of the ‘Financial Committees (2018-19) – A Review’.

कार्य मंत्रणा समिति
छठे प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 30 जुलाई, 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन से सहमत है।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 30 जुलाई, 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विशेष उल्लेख

1103 बजे

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, उन्नाव की जो घटना घटी है, इस संदर्भ में कल हम लोगों ने इस सदन में गुहार लगाई थी, यह मांग की थी कि गृह मंत्री सदन में आएं और अपना बयान पेश करें। …(व्यवधान) अभी पीड़ितों का इल्जाम है कि जहां सीबीआई की जांच हो रही है, पीड़ितों को धमकाने और उनको डराने की कोशिश जारी है। यहां तक कि पीड़ित खुद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से न्याय मांगने गए हैं। …(व्यवधान) जब सीबीआई की छानबीन हो रही है तो अभियुक्तों की कैसे हिम्मत हो सकती है कि पीड़ितों को धमकाने, डराने और उन्हें जेल में सड़ाने की धमकी दे रहे हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य प्लीज, आप यह विषय नहीं उठा सकते हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह विषय अंकित न किया जाए।

…(व्यवधान) …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, सिर्फ 50 सेकेंड का समय दीजिए। मैं वायदा करता हूँ। …(व्यवधान) जब हमारे कमेटी चेयरमैन श्री अनुराग ठाकुर जी के खिलाफ कोर्ट में बात कही गई थी तो इस सदन में हम सबने उसका विरोध किया था। यहां पांच-छ: मंत्रियों ने रमा जी का पक्ष लेकर विरोध की होड़ लगा दी थी। हम जब सदन के अंदर महिला के अपमान के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो क्यों नहीं सदन के बाहर जब एक पीड़िता के साथ इस तरह से होता है।…(व्यवधान)

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमारे यहां वर्ष 2013-14 के बजट में आनंद नगर वाया महाराजगंज- घुघली लाइन स्वीकृत हुई थी, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट भी आ चुकी है, डीपीआर बन गई है। इसकी लागत करीब 1339 करोड़ रुपये है। मैं बताना चाहता हूं कि इस लाइन से भले ही मेरा मुख्यालय जुड़ रहा है।

(1105/MK/RC)

लेकिन, गोरखपुर स्टेशन पर जो अधिकतम भार पड़ता है, उसके कारण घंटों तक ट्रेनों को आउटर पर रोका जाता है। …(व्यवधान) उसके लिहाज से घुघली से आनन्दनगर तक जब रेलवे लाइन बनेगी तो निश्चित रूप से रेलवे को लखनऊ तक एक पैरलेल रूट मिलेगा। …(व्यवधान) पोर्ट से जो कंटेनर आएंगे, जो नेपाल-सोनौली बार्डर, वह सबसे सुगम बार्डर है। नेपाल की सारी चीजें वहीं से सप्लाई होती हैं। भविष्य में वहां कंटेनर डिपो भी बनेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उत्तर रेलवे की आनन्दनगर-महाराजगंज-घुघली की 50 कि.मी. रेल लाइन निर्माण परियोजना को संस्तुति देने की कृपा करें।

1106 बजे

(इस समय श्री अधीर रंजन चौधरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, not only Unnao incident, yesterday, another boy was burnt to death for not chanting 'Sri Ram'. This is happening throughout the country …(*Interruptions*). Forty-nine persons have written to the Prime Minister regarding this.…(*Interruptions*). Therefore, we are all walking about.

1106 hours

(At this stage, Shri N.K. Premachandran and some other hon. Members left the House.)

*SHRI A.GANESHAMURTHI (ERODE): Hon. Speaker Sir, Vanakkam. Bhavani river and Moyaru are the rivers which form the main source of water for Bhavani dam of Erode district. Koodalur, Devala, Panthalur are the areas of Nilgiri district get the highest rainfall in Tamil Nadu. A part of rain water which is accumulated from Nadukani, Irumbupalam, Aamaikkulam and Devala areas joins Pandiyaru and passes through Nilambur, Saliyaru of Kerala and then joins Punnampuzha river before draining into the Arabian sea. Similarly, the rain water accumulated in the areas like Thevar Solai, pitharkadu, pattavayal passes through Sultanpatheri of Wayanad district of Kerala and then joins Kabini river at a place called Pulpalli in the Kerala-Karnataka border. Then this water is diverted to the dam. Ellamalai, Santhanamalai, Oosimalai and silent valley are the rain-fed areas in Koodalur district. The rain water thus collected from these areas passes through Kerala and drains into the sea. This rain water should be stopped by way of check dams and channelizing them to Moyaru will make it reach Bhavanisagar dam. Moyaru can also be linked through backwater system, and a big dam can be constructed in the areas surrounding Pandiyaru. This is called as Pandiyaru-Moyaru project. Engineers from Tamil Nadu have organized studies and declared this Scheme as a feasible one. As much as 2.5 lakh acres of land are irrigated through Bhavanisagar dam. Keezhbhavani canal irrigation, Thadappalli-Arakkankottai irrigation, Kaalingarayan canal irrigation are the areas that come under irrigation through Bhavanisagar dam. Since there is no adequate rainfall, this area of 2.5 lakh acres of land is facing drought like situation without irrigation facilities. If the Pandiyaru-Moyaru scheme is implemented it will completely benefit the Athikkadavu-Avinashi Scheme announced by the State Government of Tamil Nadu. I therefore urge upon the Union Government to provide environment clearance to the Pandiyaru-Moyaru Scheme besides immediate allocation of funds for its implementation. Thank you.

---

* Original in Tamil

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, let us reach to some conclusion now. Earlier I pointed out that the State subjects and law and order subjects concerning States should not be allowed to be raised on the floor of the House. But in a single day, there were three questions concerning West Bengal which were allowed to be raised. Later on, I lodged a protest letter in this regard. I would like to know why on the same day, same question - in different forms - concerning the law and order situation of a State was allowed to be raised. I do not know why the matter concerning West Bengal is being allowed and the matter concerning Uttar Pradesh is not being allowed to be raised.

The matter which has been raised by Shri Adhir Chowdhury is also concerning law and order. Finally, we boldly condemn the incident which happened in Uttar Pradesh.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जब बंगाल का विषय उठाया गया था, आपने भी कहा था, सदन में सभी ने कहा था और सदन में सबकी सहमति बनी कि राज्य के विषयों को हम संसद में नहीं उठाएंगे और सदन सबकी सहमति से चलता है। अगर आपका मत यह है कि राज्य के विषय भी उठने चाहिए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर कोई राजस्थान का, कोई छत्तीसगढ़ का विषय उठाएगा, बंगाल का उठाएगा और जहां राज्यों में सरकार है उसका विषय उठाएगा। यह आपको तय करना मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): जब वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से आग्रह कर कर हैं हमें बचाओ तो सदन में हम कब तक चुप्पी साधे रहेंगे। महिला के ऊपर हमला हो रहा है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य आप इस विषय पर बोल चुके हैं।

…(व्यवधान)

(1110/YSH/SNB)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - उपस्थित नहीं।

श्री गजेंद्र उमराव सिंह पटेल - उपस्थित नहीं।

आप सीनियर लीडर है। जिस मुद्दे पर एक बार बायकाट कर दिया, उस मुद्दे को दुबारा क्यों उठा रहे हैं। इससे आपकी गरिमा खराब होती है, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे अपने संसदीय क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मौका दिया है। मैं रोड एण्ड ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने कई नेशनल हाईवे बनाए हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रालय को यह बताना चाहता हूं कि सांबा से लेकर उधमपुर की ओर एक हाईवे जा रहा है, जो बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन सांबा शहर में एक देव स्थान चीची माताजी के नाम से प्रसिद्ध है। सैनी कोलॉनी और विजयपुर यह ऐसे स्थान हैं, जो नेशनल हाईवे पर आते हैं। यहां पर दो फुट

ओवर ब्रिज चाहिए और दो फ्लाईओवर चाहिए, क्योंकि यहां पर एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। यहां पर कोई चौराहा नहीं है। लोग बाय फुट ही रोड क्रॉस करते हैं। सांबा, सैनीकॉलोनी और उधमपुर में गाड़ियों की आवाजाही अधिक होने की वजह से फ्लाईओवर की जरूरत है। कटरा और चीची माता में फुट ओवर ब्रिज की जरूरत है। अगर ये फ्लाईओवर बन जाते हैं तो यहां पर जो एक्सीडेंट्स से मौतें हो रही हैं वे मौतें नहीं होंगी और उनके परिवार भी परेशान नहीं होंगे। इन शहरों से लोग आराम से गुजर सकेंगे, गाड़ियों की आवाजाही ठीक तरह से हो सकेगी। आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र की समस्या उठाने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

कुंवर दानिश अली - उपस्थित नहीं।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा - उपस्थित नहीं।

श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल - उपस्थित नहीं।

श्री मुकेश राजपूत - उपस्थित नहीं।

श्री उपेन्द्र सिंह रावत - उपस्थित नहीं।

श्री हेमन्त पाटिल - उपस्थित नहीं।

जो सदन में नहीं आ रहे हैं, इससे यह पता चल रहा है कि वे अनरेगुलर हैं। अब उन्हें इस हफ्ते में मौका नहीं मिलेगा।

श्री अजय टम्टा (अल्मोड़ा): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे संसद की कार्यवाही में शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। महोदय, मैं उत्तराखण्ड राज्य से आता हूं और उत्तराखण्ड राज्य का लगभग 80 प्रतिशत भूभाग पर्वतीय क्षेत्र और दुर्गम है। इन दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाले अधिकांश लोग या तो सेना में नौकरी करते हैं या अन्य राज्यों में अपनी बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं। महोदय, एक दूसरे से वार्तालाप के लिए संचार बहुत आवश्यक है, लेकिन वहां पर कई स्थानों में आज भी मनीआर्डर वाली व्यवस्थाएं हैं। कई स्थानों पर जाने में चार से पांच दिन भी लग जाते हैं। ऐसी भौगोलिक स्थिति वाला मेरा क्षेत्र है। महोदय, मेरे अल्मोड़ा, पिथौडागढ़, बागेश्वर और चम्पावत क्षेत्रों में अधिकतर संचार की सुविधाएं बीएसएनएल के माध्यम से दी जाती हैं, लेकिन बीएसएनएल के टावर पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, जब हम उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो वे धनाभाव की बात करते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। टावरों तक डीजल पहुंचाने में या किसी प्रकार से ऑप्टिकल फाइबर टूट जाती है या कट जाती है तो उसके लिए भी वे टैक्नीकल लोगों का अभाव बताते हैं और बजट की कमी बताते हैं।

महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय को उठा रहा हूं। मेरे क्षेत्र में अभी तक रोड्स बरसात के कारण ब्लॉक हैं। एक दूसरे से कनेक्टिविटी कहीं से भी नहीं हो पा रही है। अगर इस समय कोई घटना घट जाती है तो संचार के लिए हमारे पास सिर्फ बीएसएनएल के टावर ही हैं। कई स्थानों पर लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और कई स्थानों पर लोग धरने पर बैठे हैं। मैं इस विषय को इसलिए उठाना चाहता हूं, क्योंकि इस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री उदय प्रताप सिंह और डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्री अजय टम्टा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

…(व्यवधान)

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने शून्य काल में मुझे अपने संसदीय क्षेत्र बोकारो के महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का अवसर दिया है।

(1115/RU/RPS)

महोदय, बोकारो में छात्र-छात्राओं के अनुपात में अच्छे विद्यालयों की कमी है। बोकारो स्टील प्लांट द्वारा वहां कई विद्यालय चलाए जा रहे थे, जो आज बन्द पड़े हैं। बहुत-से अच्छे प्रतिष्ठान उस विद्यालय को चलाना चाहते हैं, जिससे बोकारो स्टील प्लांट की आमदनी भी बढ़ेगी और वहां के छात्र-छात्राओं को अवसर भी मिलेगा। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि बन्द पड़े विद्यालय को निजी संस्थानों को दिया जाए। धन्यवाद।

SHRI SURESH KODIKUNNIL (MAVELIKKARA): Sir, His Holiness Pope Francis, apart from being the Sovereign of the Vatican City, is a global personality and torchbearer of mercy and compassion across the world and is a committed ambassador of the poor and voiceless. It is requested that the Government of India extend a formal invitation to Pope Francis. The last Papal visit to India was of Pope John Paul II from 5-7 November, 1999. It is also noted that his tenure ends soon and a visit of such a personality will only enhance our outlook towards honouring individuals who promote peace and tranquillity.

It is pertinent to note that diplomatic relations between India and the Holy See were established soon after India's Independence in 1948. In 2018, India and the Holy See celebrated the 70th anniversary of the establishment of bilateral diplomatic relations. Since such a cordial and mutually harmonious relation exists, it will only be a signifier of continued friendship and message of peace that will be communicated and endorsed by the visit of the Pope.

The Catholic community, through various organisations and its apex body, the Catholic Bishops' Conference of India, had approached the Union Government to request and seek permission for the Pope's visit but it did not materialise.

Apart from the Catholic community, a vast section of the people in the country are eagerly waiting for the Papal visit and it will be an encouragement

for all those individuals who engage in selfless service in charity, elimination of societal evils and strive towards lofty ideals of mercy.

Recently, the Pope visited Myanmar and according to our information, the Pope is eagerly looking forward to visit India and every other neighbouring nation. It is only that India must extend an official invite to the Pope.

By considering the demand and aspirations of millions of members of the Catholic community and all those who believe in brotherhood and peace, I urge upon the Union Government to extend an invitation to His Holiness Pope Francis Mar Papa to visit India, and if there is no objection to the Government, by the year 2020 itself.

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, श्री के. मुरलीधरन और श्री एम. के. राघवन को श्री कोडिकुन्निल सुरेश द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I would like to raise a matter which does not concern my State but of course, it is of national importance.

The Oriental Research Institute, the only repository of rare manuscripts in Tirupati, Andhra Pradesh, has become a pale shadow of it past and today stands as a symbol of neglect. The ORI was established by the Tirumala Tirupati Devasthanam in 1939 but it had transferred ORI to Sri Venkateswara University after its establishment in 1956. It was the ORI that deciphered poet saint Annamacharya’s literature when copper plates were unearthed from the Tirumala temple. Even the inscriptions on Tirumala temple walls were deciphered by its then curator Sadhu Subrahmanya Shastri. Various acclaimed scholars were associated with the ORI but eighty years after its establishment, the premier institute is not visited by any scholar any more and the 65,000 rare manuscripts face grave risk of termite attack and eventual destruction. Only 40 per cent of the manuscripts that are palm leaves have been digitalised as the staff strength of 35 has fallen to just two assistant professors today. On the other hand, Odisha State Museum which was originally founded in 1932 and started operation in the present building in 1960 has made 40,000 rare palm leave manuscripts online for the use of research scholars across the world.

I, therefore, urge upon the Government to take urgent steps to protect such rare manuscripts not only in Andhra Pradesh and Odisha but also across

the country and to provide adequate infrastructure and staff to ensure their availability online for the use of research scholars across the world.

माननीय अध्यक्ष: डॉ. राजदीप राय को श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(1120/RAJ/NKL)

माननीय अध्यक्ष : श्री एच. बसंत कुमार जी।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सुभाष जी एक मिनट रुक जाइए

…(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): He is sitting as per his division number. …(*Interruptions*)

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): Hon. Speaker Sir, I have a pillar in front of me. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : हम इसकी व्यवस्था करेंगे।

SHRI H. VASANTHAKUMAR (KANNIYAKUMARI): Hon. Speaker Sir, thank you for allowing me to participate on a very important and sensitive issue.

Sir, water is precious.…(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप माननीय सदस्य को डिस्टर्ब न करें।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया जी।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान, विशेष रूप से रेल मंत्रालय का ध्यान अपने क्षेत्र के शाहपुरा कस्बे में रेल सुविधाओं की ओर आकर्षित चाहता हूं। आजादी से पहले टोडारायसिंह से शाहपुरा, लांबिया, गंगापुर होते हुए नाथद्वारा के लिए रेल लाइन स्वीकृत हुई थी और उस पर काम भी शुरू हो गया था। रेलवे लाइन के लिए वहां कच्ची सड़क बन गई थी और पटरियां भी बिछनी भी शुरू हो गई थीं, लेकिन किसी कारणवश जो काम आजादी से पहले शुरू हुआ था, वह रोक दिया गया। सरकार ने अभी एक काम और किया है कि जयपुर से टोडारायसिंह की रेल लाइन को भी उखाड़ दिया गया, जब कि मीटर गेज लाइन को ब्रॉड गेज करने का काम चल रहा है। मीटर गेज को उखाड़ दिया गया लेकिन ब्रॉड गेज नहीं लगी।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि जो पुरानी योजना थी, जो स्वीकृत हुई थी, जिस पर काम शुरू हो गया था, उसको वापिस मूर्त रूप दिया जाए और शाहपुरा को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए।

श्री अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने लोक सभा क्षेत्र नैनीताल, उधमसिंह नगर के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

मान्यवर, नमोशुद्र, भोंड, पोंडा एवं रायसिख मेरी लोक सभा में बहुत बड़ी संख्या में हैं। लंबे समय से नमोशुद्र बंगाली भाइयों को, जिसमें पोड और पोंडा हैं, उनको आरक्षण देने की बात चल रही है। हम लोग उनके बारे में जगह-जगह हर मंचों पर बात उठाते हैं। अभी पूर्व में उत्तराखंड विधान सभा द्वारा भी दो बार प्रस्ताव भेज दिया गया है कि इनको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए।

मान्यवर, इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पांच राज्यों में पहले से ही नमोशुद्र बंगालियों को आरक्षण मिल रहा है और उत्तराखंड में भी मिलना बहुत आवश्यक है। उधमसिंह नगर में 70 प्रतिशत से ज्यादा इनकी जनसंख्या है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि जिनकी जनसंख्या जहां-जहां भी 70 प्रतिशत हो, वहां-वहां पर बांग्ला भाषा पढ़ाई जाए और वहां के शिक्षकों को भी बंगाली मे प्रशिक्षण देकर, उनको वहां पर सर्विस भी दी जा सकती है। यह पूरे देश भर की व्यवस्था भी हो सकती है।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही गंभीर मामला बना हुआ है। वहां बार-बार लोग आंदोलन करते हैं। दूसरा, उनको जो भी प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं, उसमें पूर्वी पाकिस्तान शब्द लिखा जाता है, जो कि आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाता है। इसके बारे में बार-बार जगह-जगह लिखत-पढ़त की गई है, कागज़ात चलाए गए हैं। मैं आपके माध्यम से यह भी अनुरोध करता हूं कि उनको दी जाने वाली कोई भी सर्टिफिकेट हो, चाहे वह मूल निवासी प्रमाण-पत्र हो या अन्य प्रकार के प्रमाण-पत्र हों, जहां पर पूर्वी पाकिस्तान शब्द लिखा जाता है, उसको भी तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय सदस्य, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके द्वारा उठाए गए विषय के साथ अपने-आपको संबद्ध करता हूं।

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं आपका सपोर्ट करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद जी – उपस्थित नहीं।

श्री हनुमान बैनिवाल – उपस्थित नहीं।

श्री कल्याण बनर्जी।

(1125/IND/RP)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Hon. Speaker, Sir, I am raising an important issue regarding setting up of a Central School in Sreerampur Parliamentary Constituency. There is a distance of one hour from Sreerampur to Kolkata city. Unfortunately, there is not a single Central School in my Constituency. Most educated persons are staying at Sreerampur and Uttarpara in West Bengal.

Sir, initially, the Dutch landed at Sreerampur for the purpose of commerce and trade. After Dutch, the French came to Chandannagar. Long after that, the East India Company landed in Kolkata. Therefore, Sreerampur

is the oldest town not only in the State of West Bengal but also in the entire country.

Therefore, Sir, through you, I would like to make a request for setting up of a Central School; otherwise, we have to send our kids either to Barrackpore or to Tarakeshwar or to Santragachi. These are at a long distance from my Constituency. That is why, I am making this request.

Thank you, Sir.

श्री अजय कुमार (खीरी): अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाने की अनुमति प्रदान की है। गौरी फांटा हमारे लखीमपुर लोक सभा क्षेत्र की नेपाल बार्डर में स्थित बहुत बड़ी मंडी है, जहां सैकड़ों ट्रक रोज सब्जी और फल के जाते हैं। यहां हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, जिसे देखते हुए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने 11 जुलाई, 2018 को गौरी फांटा लखीमपुर बार्डर पर फलों और सब्जियों की गुणवत्ता का सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कार्यालय खोलने का निर्णय किया था। वह कार्यालय न खुल पाने के परिणामस्वरूप 23 जून, 2019 को नेपाल सरकार ने भारतीय फल एवं हरी सब्जियों को एकाएक यह कहकर बंद कर दिया कि उनकी गुणवत्ता खाने योग्य नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं, सैकड़ों ट्रक खड़े हैं और फल सब्जियां भी नष्ट हुई हैं।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि गुणवत्ता और शुद्धता जांचने का सर्टिफिकेट जारी करने के लिए भारत के कृषि मंत्रालय का कार्यालय अतिशीघ्र खुलवाने की कृपा करें। मेरे क्षेत्र के हजारों ऐसे लोग जो गरीब हैं और फल तथा सब्जी के व्यापार से जुड़े हैं, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं।

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी): अध्यक्ष महोदय, 26 तारीख को मेरे लोक सभा क्षेत्र वांगणी और बदलापुर के बीच में एक ट्रेन फंसी थी और उस दिन देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू हुआ। लगभग 1050 लोग उसमें फंसे थे। उसमें नेवी, एनडीआरएफ, रेलवे, रेवेन्यु, पुलिस, फायर ब्रिगेड आदि सभी विभागों के अधिकारियों/ कर्मचारियों ने वहां लोगों की बहुत बड़े पैमाने पर मदद की। इसके बावजूद हमारे जिले के गार्डियन मिनिस्टर सम्माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी ने स्वयं नेवी वालों के साथ बोट में जाकर ट्रेन तक पहुंचकर लोगों को निकालने में मदद की। वहां के चामटोली गांव के निवासियों ने भी पानी में जाकर लोगों के लिए नाश्ते की व्यवस्था की। रेलवे वालों ने भी चाय-नाश्ते की व्यवस्था की थी। मैं सदन के माध्यम से इन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लोगों को वहां से निकलने में मदद की। यह पानी इतनी जोर से आया कि चाल में रहने वाले लोगों के शेड के ऊपर तक पानी आ गया था और लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। हमारे राज्य के मुख्य मंत्री ने घोषणा की है कि वर्ष 2015 का जो जीआर है, उसमें थोड़ा चेंज करके लोगों को कैसे ज्यादा मदद दी जाए, इसके लिए राज्य सरकार विचार कर रही है।

अध्यक्ष जी, आपने भी इस विषय का संज्ञान लिया था। आपने स्वयं मुझे फोन करके वहां की जानकारी ली थी। इसके लिए मैं अपने लोक सभा क्षेत्र के निवासियों की तरफ से भी आपको

धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी लोक सभा क्षेत्र की जनता के माध्यम से आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

(1130/PC/RCP)

अध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्र सरकार से विनती करूंगा। राज्य सरकार ने तो मदद करने की घोषणा की है। लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। कल्याण, बदलापुर, वांगनी और देहात में रहने वाले लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। राज्य सरकार के जीआर में 5,000 रुपये की मदद करने का प्रावधान है। मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि इसमें बढ़ोतरी होगी, लेकिन राज्य सरकार के साथ-साथ यदि केन्द्र सरकार भी राज्य सरकार को मदद दे तो राज्य सरकार इन लोगों तक ज्यादा मदद पहुंचा सकती है।

अत: मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से विनती करता हूं कि बाढ़ पीड़ित लोगों का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने के लिए वह राज्य सरकार को ज्यादा से ज्यादा सहायता दे, ताकि राज्य सरकार इन लोगों को सहायता दे सके। धन्यवाद।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। महोदय, कुछ ही दिन पहले हमारे भारत की सरकार ने यह आंकड़ा दिया कि हमारे देश में बाघों, टाइगर्स की जो संख्या है, वह ऐतिहासिक रूप से 2,967 की संख्या तक पहुंच गई है। यह सचमुच देश के लिए बहुत गर्व का माहौल है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पूरा सदन इसके लिए बधाई देता है।

…(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर) : महोदय, मैं इस सदन के द्वारा जो हमारे फॉरेस्ट्स में फ्रंट लाइन स्टाफ है, जो फॉरेस्ट रेंजर्स हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। आज फॉरेस्ट रेंजर्स डे भी है। हमारे देश के जंगलों में जो सिपाही हैं, उनको पोचर्स और माइनिंग माफियाओं से लड़ना होता है।

माननीय अध्यक्ष : कभी-कभी प्रधान मंत्री जी और वन मंत्री जी को भी बधाई दे दिया कीजिए।

…(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर) : महोदय, मैं फ्रंट लाइन रेंजर्स से शुरूआत कर के, जो हमारे अफसर हैं, एक्टिविस्ट्स हैं, मीडिया है, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को बधाई देता हूं। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। उसके लिए बहुत फंड्स आए थे, जिनसे टाइगर्स को संरक्षण दिया गया था, इसके लिए मैं पूर्व की सरकार को धन्यवाद देता हूं।

महोदय, आपने देखा होगा काज़ीरंगा का एक चित्र आया था, जिसमें एक बाघ बाढ़ से भाग रहा था और एक घर में छिपा हुआ था। आज काज़ीरंगा में बाघों को बहुत डैमेज हुआ है। यह जो डैमेज हुआ है, मैं इसके लिए केन्द्र सरकार से काज़ीरंगा के हाई-लैंड, एडीबी, इम्बैंकमेंट प्रोजेक्ट और काज़ीरंगा को रीस्टोर करने के लिए विशेष पैकेज की दरख्वास्त करता हूं।

श्री गणेश सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे शून्यकाल में टाइगर का मुद्दा उठाने का अवसर दिया।

महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने बाघों का जो सर्वेक्षण कराया, उसमें पांच लाख किलोमीटर्स तक कर्मचारी पैदल चले थे और एक लाख से अधिक कैमरे लगाए गए थे। यह इतिहास में अब तक का पहला अवसर है।

सोमवार, 29 जुलाई, 2019 को विश्व टाइगर दिवस पर प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने बाघों की संख्या 2,967 बताई है, जो वर्ष 2014 के मुकाबले 741 अधिक है। बाघों के लिए सबसे अनुकूल जलवायु तथा स्थान मध्य प्रदेश है, जहां सर्वाधिक 526 बाघ मौजूद हैं, उसका देश में पहला स्थान है।

महोदय, मैं जिस लोक सभा क्षेत्र से आता हूं, वहां विश्व की सबसे अनोखी वाइट टाइगर सफारी, मुकुंदपुर में स्थापित है, जहां सफेद शेरों की चहलकदमी अक्सर देखी जा सकती है। देश में यदि पहली बार कहीं सफेद शेर देखा गया था तो वह जगह मेरे लोक सभा क्षेत्र मुकुंदपुर सहित विन्ध्य के जंगल में देखा गया था। पन्ना टाइगर, बांधवगढ़, कान्हा, नरोहिल में बड़ी संख्या में टाइगर्स उपस्थित हैं।

मैं भारत सरकार का ध्यान विन्ध्य क्षेत्र में टाइगरों के संरक्षण हेतु दिलाना चाहता हूं। मैं इस क्षेत्र में टाइगरों के संरक्षण हेतु विशेष पायलेट प्रोजेक्ट बनाए जाने की मांग करता हूं। क्या विश्वस्तरीय वाइट टाइगर सफारी को और विश्वस्तरीय सुविधायुक्त बनाया जाएगा?

मैं पुन: प्रधान मंत्री जी को इस सर्वेक्षण के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : सर्वश्री नारणभाई काछड़िया, देवजी एम. पटेल, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, उदय प्रताप सिंह एवं सुधीर गुप्ता को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

'गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गड़ैया है'।

पूरे देश भर में चित्तौड़ का दुर्ग प्रसिद्ध है। इस चित्तौड़ में मीरा, पन्ना और पद्मिनी का इतिहास भी इस दुर्ग से जुड़ा है। वहां लिविंग फोर्ट्स हैं, जहां हजारों की संख्या में लोग निवासरत हैं। मैं भी सोमवार के दिन वहां बड़ी संख्या में अतिक्रमण के खिलाफ हूं। स्थानीय प्रशासन और आर्कियोलॉजी विभाग हमेशा से शिकायत दर्ज कराता है, लेकिन कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से और स्थानीय सरकार द्वारा सोये हुए लोगों को अतिक्रमण में हटाया गया। इन्हीं स्थानीय विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत द्वारा एक बार घरौंदा बसाने का अवसर दिया जाता है और फिर उन घरौंदों को उजाड़ दिया जाता है।

(1135/SPS/SMN)

अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है और राजस्थान सरकार ने वहां के लोगों को उजाड़ने का काम किया है। वहां जे.सी.बी. चलाकर लोगों की पक्की लैब को हटाने का

काम किया गया है। इसमें अधिकारियों की भी मिलीभत है। मेरी सरकार से मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि किसी गरीब का घरौंदा फिर से न उजाड़ा जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री सुधीर गुप्ता को श्री सी. पी. जोशी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आप सभी अपनी-अपनी बात एक-एक मिनट में कह दें। मैने आप सबकी समस्या पढ़ ली है।

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान किसान क्रेडिट कार्ड योजना की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। फसल बीमा योजना पूरे देश में लागू की गई है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने किसानों को राहत देने की बात की और उसके लिए काम भी किया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि किसान क्रेडिट कार्ड किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। इससे बैंक के माध्यम से किसान को मदद मिलती है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जब किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाता है, तो उसी समय उस क्रेडिट कार्ड के साथ उसका जीवन बीमा भी किया जाए। भगवान न करे कि कभी कोई विसंगति हो, लेकिन दुर्घटना की स्थिति में अगर किसान नहीं रहता है तो बाद में उसके परिवार को किसान क्रेडिट कार्ड का लोन जमा करते समय, उसे जीवन बीमा की राशि मिलेगी, उससे उनको बड़ी मदद मिलेगी। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि किसान क्रेडिट कार्ड बनाते समय उसमें जीवन बीमा भी अनिवार्य किया जाए। अगर इस तरह के निर्देश बैंकों के लिए जारी होंगे, तो बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री सुधीर गुप्ता, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री गणेश सिंह और श्री नारणभाई काछड़िया को श्री उदय प्रताप सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री दिलीप साईकिया (मंगलदाई): अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। जनसंख्या की वृद्धि सारे देश के लिए बड़ी समस्या बन चुकी है। मेरी कॉन्स्टीटूयेंसी मंगलदाई में वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक 3 लाख वोटर्स की बढ़ोतरी हुई है। यह बहुत गम्भीर मामला है। भारत सरकार इस विषय को गम्भीरता से ले और तुरंत एक जनसंख्या नीति बनाई जाए। दूसरी बात है कि असम में बंगाली स्पीकिंग हिन्दुओं को फॉर्नर्स ट्रिब्यूनल के नोटिस आ रहे हैं। उन नोटिसों को तुरंत बंद कराना चाहिए। ये हिन्दू लोग कहां जाएंगे? ये भारत में ही रहेंगे। भारत सरकार को इसके लिए बड़ा कदम उठाना चाहिए, जिससे ये हिन्दू लोग भारत में ही रहें।

माननीय अध्यक्ष: श्री सुधीर गुप्ता, श्री तपन कुमार गगोई, श्री अजय कुमार, डॉ. राजदीप राय और श्री पल्लब लोचन दास को श्री दिलीप साईकिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती सुनीता दुग्गल (सिरसा): अध्यक्ष जी, मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि हमारे हरियाणा में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इण्डिया (भारतीय खेल प्राधिकरण) जैसा कुछ नहीं है। हमारे यहां की एक बेटी सविता पुनिया है, जो सिरसा के जोधकान गांव की है। वह हमारे इण्डिया की हॉकी टीम में गोल कीपर है। पिछले दिनों हिरोशिमा से यह टीम प्राइज लेकर आई थी। हमारी पूरी उम्मीद है कि यह

टीम टोक्यो 20-20 में ओलम्पिक के अंदर भी पार्टिसिपेट करेगी। माननीय मंत्री श्री किरेन रिजीजू जी उस टीम से मिले हैं और उन्होंने उनको बहुत प्रोत्साहित किया। मेरा अनुरोध है कि हमारे सिरसा में अगर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इण्डिया, 'साई' के नाम से कुछ बनाया जाए तो बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा। जो बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं, वे बच्चे भी नशा छोड़कर खेल-कूद में पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे लगता है कि उनको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती अपरूपा पोद्दार (आरामबाग): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान एक गम्भीर विषय की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी। जब भी हम लोग सैशन के लिए आते हैं और इन्दिरा गांधी एयरपोर्ट से ट्रैवल करके अपने घर जाते हैं तो हम देखते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल्स पर जो बंजारे होते हैं, वे अपने बच्चों को कुछ न कुछ बेचने के लिए वहां खड़ा कर देते हैं, ताकि उन लोगों से कोई फूल या टॉइज खरीद ले। इस इण्टरनेशनल एयरपोर्ट पर देश-विदेश से बहुत टूरिस्ट आते हैं तो वे देश के प्रति क्या छवि लेकर जाते होंगे? ये बंजारे हर गवर्नमेंट पॉलिसी से वंचित रहते हैं। जैसे क्या इनके पास आधार कार्ड होता है? क्या इन लोगों के बच्चे सही से इम्यूनाइज होते हैं? इस चीज को हम लोगों ने पांच सालों से देखा है, लेकिन किसी ने भी बंजारों के लिए कोई बात नहीं उठाई है। अध्यक्ष महोदय, आप भी राजस्थान से हैं। जब हम लोग जयपुर एयरपोर्ट से हाइवे की तरफ जाते हैं, तो हमने यह देखा है। जब गवर्नमेंट ह्यूज मेंडेट लेकर आई है तो इन लोगों के बारे में भी जरूर सोचे।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती प्रतिमा मण्डल को श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आज जिन माननीय सदस्यों का नाम लॉटरी में निकला, परंतु वे समय पर उपस्थित नहीं हुए हैं, उनका नम्बर नहीं आएगा। उनका नम्बर नैक्स्ट टाइम आएगा। वे बार-बार यहां पर न आएं। मैं व्यवस्था दे चुका हूं।

(1140/KDS/MMN)

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। …(व्यवधान) सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि पहले ही सत्र में आपने सबको विभाजन संख्या अलॉट कर दी, जिसके कारण समय की बचत होगी। मैं मुख्य रूप से यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि मेरी सरकार भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से समाप्त हो, इसके लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। वर्ष 2014 में जब सरकार बनी तो इस सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में ही भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए एसआईटी का गठन करने का निर्णय लिया और साथ ही साथ बैंकरप्सी जैसे बिल को लाकर बैंक से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजनीतिज्ञों पर जो मुकदमा है, उसके लिए विशेष न्यायालय का गठन किया गया जिससे जल्दी से जल्दी ये विषय खत्म हों, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार चाहे व्यापारियों का हो, चाहे राजनीतिज्ञों का हो, बिना ब्यूरोक्रेसी की मदद के संभव नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि जिस तरह राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर भ्रष्टाचार के लिए विशेष सत्र न्यायालय बनाया गया है, उसी प्रकार ब्यूरोक्रेसी पर जो मुकदमे हैं, उनके निस्तारण के लिए भी विशेष न्यायालय बनाए जाएं, क्योंकि भ्रष्टाचार केवल राजनीतिज्ञ नहीं करते, बल्कि भ्रष्टाचार बिना ब्यूरोक्रेसी के सहयोग के संभव नहीं है। अत: मेरा आपसे निवेदन है कि

जन प्रतिनिधियों पर जो छोटे-छोटे मुकदमे, जैसे आचार संहिता का उल्लंघन, जन आंदोलन का मुकदमा, ये सब भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आते हैं। अत: मेरा आपसे निवेदन है कि इन्हें मुकदमों की कार्यवाही से निकाला जाए।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज फॉरेस्ट रेंजर डे है, इसलिए मैं आपको और माननीय प्रधान मंत्री जी दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज ही मैं पेड़ लगाकर आया हूं कि आपने इतना बड़ा इनीशिएटिव लिया। गवर्नमेंट बिजनेस के बाद आप नए सांसदों को मौका दे रहे हैं और यह लोक सभा सांसदों की है, इसके लिए आप निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं।

स्पीकर महोदय, वर्ष 1947 में भारत-पाकिस्तान का जिस प्रकार से बंटवारा हुआ और उसके बाद कांस्टीट्यूएंट असेंबली में जिस तरह के डिबेट्स हुए, तो हमारी कांस्टीट्यूएंट असेंबली बनाने वाले जो पूर्वज थे, उन्होंने कुछ ऐसे प्रिंसिपल बनाए, जो हमारे जैसी पीढ़ियों के लिए उन्होंने छोड़ दिए। उस पीढ़ी के लिए उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल नाम का एक चैप्टर इस संविधान में जोड़ा। उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आधार पर हमने कई कानून बना लिए, जैसे कि राइट टू एजूकेशन द्वारा कैसे 14 साल के बच्चों को शिक्षा देंगे, उसी तरह से आंगनबाड़ी कैसे होगा, मिड डे मील कैसे होगा।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): That is not correct. That was enacted because of the judgement of the Supreme Court. Article 21 was amended for giving the right. That is under Chapter III and not under Chapter IV.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): मैं यह कह रहा हूं कि आंगनबाड़ी हमने बना दिया, मिड डे मील स्कीम बना दिया, ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट हैं। मेरा यह कहना है कि उसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में 44 नंबर है, जो यह कहता है कि इस देश में यूनीफार्म सिविल कोड होना चाहिए, क्योंकि हम जब भी इस देश में हिंदू-मुसलमान-पारसी-ईसाई के नाम पर लड़ाई करते हैं, जैसे कि अभी श्री के. सूरेश जी पोप जॉन पॉल को बुलाने की बात कर रहे थे। भारत सरकार ने लॉ कमीशन बनाया है। लॉ मिनिस्टर बैठे हुए हैं और लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट है जो कहती है कि अब समय आ गया है कि भारत को एक यूनीफार्म सिविल कोड बनाना चाहिए जिससे ट्रिपल तलाक जैसे कानून बनाने की आवश्यकता न पड़े। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि आप इस देश में यूनीफार्म सिविल कोड का बिल लेकर आइए जिससे हम सभी भारतीय हों। ऐसा न हो कि कोई हिंदू के नाम पर, कोई मुसलमान के नाम पर कोई ईसाई के नाम पर राजनीति करे। यह देश हिन्दुस्तान है और यहां पर रहने वाले सभी लोग हिन्दुस्तानी हैं और भारत में रहने वाले लोगों के लिए एक कानून होना चाहिए। सीआरपीसी एक है, आईपीसी एक है। अगर सीआरपीसी एक है तो यूनीफार्म सिविल कोड कैसे नहीं है? जय हिन्द, जय भारत।

माननीय अध्यक्ष: श्री किरिट पी.सोलंकी, श्री देवजी. एम. पटेल, श्री नारण भाई काछड़िया एवं श्री उदय प्रताप सिंह को श्री निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(1145/KDS/VR)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, this House has passed the National Medical Commission Bill, 2019. Even during the debate on the Bill in this House, Members had protested against the Centre interfering into the State realm in the matter of health and also the undemocratic constitution of the National Medical Commission.

Today, doctors all over the country have gone on strike protesting against the National Medical Commission Bill. The Bill has been passed in Lok Sabha but has not yet been passed in Rajya Sabha.

I appeal to the Government to look into the grievances of the doctors, who after all are saviours of our life and find out as to why they have gone on strike. I urge the Government to desist from trying to pass the Bill in Rajya Sabha rather they should have a fresh enquiry as to why the doctors are on a warpath against this Bill. …(*Interruptions*)

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। प्रधान मंत्री फसल बीमा द्वारा प्रधान मंत्री जी ने किसानों की राहत के लिए एक बहुत अच्छा कदम उठाया है और उससे किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है, लेकिन आज कुछ कारणवश कुछ किसान लाभ नहीं ले पा रहे हैं। राजस्थान में अभी पेपर में एक ऐड छापा गया था, जिससे किसान गुमराह हो रहे हैं। उसमें प्रधान मंत्री फसल बीमा की लास्ट डेट 16 तारीख और 2 तारीख बता रहे हैं, जबकि आज 31 जुलाई, 2019 प्रधान मंत्री फसल बीमा की लास्ट डेट है। जबकि ऐड में वे इसे 16 तारीख तक बढ़ा हुआ बता रहे हैं, जिससे किसान भ्रमित हों और किसान उस फसल बीमा का लाभ न ले सकें। अत: मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि ऐसे जो मैटर्स हैं, उन पर ध्यान दिया जाए और जो बीमा कंपनीज वहां ऑफिस नहीं खोलती हैं, उन पर कठोर कार्रवाई की जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री नारण भाई काछड़िया को श्री देवजी एम. पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गुरजीत सिंह औजला (अमृतसर): धन्यवाद स्पीकर सर। सर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे कहने जा रहा हूं। जो कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें टाइगर हिल के ऊपर '15 ग्रेनेडियर्स' और '8 सिख रेजिमेंट' ने जीत हासिल की थी। उस टाइम उनको ऑनर भी किया गया था। लेकिन कारगिल विजय दिवस पर 9 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, जिसमें '8 सिख रेजिमेंट' का कोई नाम नहीं है। '8 सिख रेजिमेंट' पर कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई गई। इससे उन लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। जो लोग उस समय शहीद हो गए थे, उनके सम्मान को धक्का पहुंचा है। इसकी इनक्वायरी की जाए और जिसने गलत काम किया है, उसे सजा दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: आप सुझाव दीजिएगा। नई डॉक्यूमेंट्री बनवा दी जाएगी। श्री शिशिर अधिकारी जी।

SHRI SISIR KUMAR ADHIKARI (KANTHI): Speaker, Sir, I want to raise a very important issue. गांव, गरीब और किसान के लिए हर दिन पार्लियामेंट में यह बात चलती है कि The Government and all of us are thinking over it. देश में जो गौ माता है, जो दूध देती है, एक-एक किलो राइस ब्रान के लिए 10 रुपया और जो काऊ फीड होती है, उसमें प्रति किलो 4 रुपया बढ़ गया है। हर गांव में जो शोर उठा है, उसे कौन देखेगा? Earlier also, I have raised this question in Parliament. पार्लियामेंट इसे स्टेट को भेज देता है और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देती है। I want the Government to seriously examine this matter. Who is responsible for this? Who is raising the prices of cow feeds? Maize crop has totally failed this year. A man from Tamil Nadu has imported some maize. But it has become a crisis-like situation. काऊ फीड का रेट बढ़ता जा रहा है। गौ माता और गौ पालक दोनों बहुत दुख में हैं। I request the Government to look into this matter seriously. The whole country is suffering from this crisis and the milk production has also got hampered. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती अपरूपा पोद्दार, श्रीमती प्रतिमा मण्डल, डॉ. काकोली घोष दस्तीदार, एवं श्री दिव्येन्दु अधिकारी को श्री शिशिर कुमार अधिकारी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): बहुत-बहुत धन्यवाद, सर। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बदरपुर एरिया में यमुना नदी के किनारे जो फ्लड प्लेन है, जो 2021 मास्टर प्लान के अंतर्गत बनाया गया था, उसकी डिमार्केशन आज तक नहीं हुई है। जब यमुना नदी का पानी बढ़ता है, तो पानी कहां तक जाता है, कहां तक नहीं जाता है, उसके बहाने से अधिकारी उसके जोन से बाहर के लोगों को भी तंग करते हैं। जब गरीब आदमी अपना कोई आशियाना बनाते हैं, तो उनको तंग किया जाता है। काफी भ्रष्टाचार फैल रहा है। मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि उस फ्लड प्लेन की डिमार्केटिंग की जाए, जिससे कम से कम यह पता चल सके कि फ्लड प्लेन किधर है और जो लोग उसके जोन से बाहर रहते हैं, उनको सरकारी अधिकारी परेशान न करें। धन्यवाद।

(1150/SJN/SAN)

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। एक व्यवसायी श्री वी. जी. सिद्धार्थ ने परसों खुदकुशी कर ली थी। उस खुदकुशी से जुड़े हुए जो तथाकथित तथ्य हैं, जो एक चिट्ठी जारी की गई है, मैं उस चिट्ठी का सिर्फ एक अंश…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मनीष जी, आप मुझे एक बात बताइए। आप सीनियर एडवोकेट हैं। आप एक मिनट के लिए बैठ जाइए। आप सदन में यह विषय उठा रहे हैं। जब तक किसी चीज की जांच न हो जाए, यह संसद है, कोई पत्र असली है या नकली है, जब तक तथ्यों की जांच न हो जाए, आप उस विषय को उठा सकते हैं, लेकिन उस पत्र को मत पढ़िए कि उसकी जांच कराई जाए।

…(व्यवधान)

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि मैं पत्र नहीं पढ़ रहा हूं। मैं सदन और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाह रहा हूं कि यह बात सार्वजनिक हुई है कि इस खुदकुशी का तथाकथित एक यह कारण भी है कि जो इनकम टैक्स अधिकारी हैं, उनकी

तरफ से शोषण किया गया है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मामला है। खुदकुशी की जांच तो अलग होगी, लेकिन सरकार को इस चीज की भी जांच करानी चाहिए कि क्या सरकार के अधिकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री विष्णु दत्त शर्मा जी के वक्तव्य के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

… (*Interruptions*) … *(Not recorded)*

श्री विष्णु दत्त शर्मा (खजुराहो) : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपने बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कृषि शिक्षा में जो प्राइवेट एजूकेशन है, देश के अंदर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके एग्रीकल्चर एजूकेशन की मानीटरिंग के लिए देश के अंदर कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण से वर्तमान समय में पूरे देश के अंदर कई तरह की समस्याएं खड़ी हो रही हैं। इसलिए, इनकी रेग्युलेटिंग बॉडी बननी चाहिए। चाहे एग्रीकल्चर काउंसिल ऑफ इंडिया बने या इसको आईसीएआर एग्रीगेट करें। ऐसी व्यवस्था देश के अंदर के बननी चाहिए।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। मेरे संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र के मसौढी प्रखंड के तारेगना डीह और दानापुर प्रखंड के खगौल के चक्रदाहा का नाम विश्व के महानतम गणितज्ञ और खगोलशास्त्री आर्यभट्ट जी से जुड़ा हुआ है। आर्यभट्ट जी का जन्म कुसुमपुर में हुआ था, जो वर्तमान में पटना या पाटलिपुत्र कहलाता है। दानापुर प्रखंड के खगौल के चक्रदाहा में उन्होंने आश्रम बनाया था तथा मसौढी के तारेगना डीह में वेधशाला का निर्माण किया था। यह मान्यता है कि तारेगना का मतलब यह था कि वहां से आर्यभट्ट तारों की गणना किया करते थे। आर्यभट्ट जी ने ही सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। बीजगणित का जनक भी आर्यभट्ट जी को ही माना जाता है। पाई की 4 दशमलव तक शुद्ध गणना आर्यभट्ट जी ने ही की थी। आज जिसका उपयोग पूरे विश्व के…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप शून्य काल में बहुत लंबा पढ़ रहे हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एक मिनट में अपनी बात को समाप्त कीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप संक्षिप्त में बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र) : अध्यक्ष महोदय, आज उसका उपयोग पूरे विश्व के वैज्ञानिक हर खगोलीय मिशन में करते हैं। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से इस ऐतिहासिक मौके पर यह अनुरोध करना चाहता हूं कि विश्व के महानतम गणितज्ञ और खगोलशास्त्री आर्यभट्ट जी की कर्मभूमि पाटलिपुत्र के संसदीय क्षेत्र के मसौढी के तारेगना डीह तथा दानापुर के खगौल चक्रदाहा को एस्ट्रो टूरिज्म केन्द्र के रूप में विकसित किया जाए। इसके साथ ही तरेगना मसौढी के तारेगना डीह में आर्यभट्ट जी के नाम पर वेधशाला का भी निर्माण कराया जाए।

डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब) : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपने बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सतलुज और व्यास नदी पंजाब और मेरे संसदीय क्षेत्र की लाइफलाइन है। जल शक्ति मंत्री जी भी यहां पर बैठे हुए हैं। रिपोर्ट आ रही है। वैसे मंत्री जी को भी पता है कि पंजाब की सारी नदियां और नार्थ की सारी नदियां, जैसे गंगा जी और यमुना जी, सारी ग्लैशियर फेड हैं। ग्लैशियर बहुत स्पीड से सिंक कर रहे हैं। उनके नीचे बहुत बड़ी-बड़ी झीलें रहती हैं। कई बार फ्लैश फ्लड्स आते हैं। पंजाब और मेरे संसदीय क्षेत्र से हम 35 से 40 प्रतिशत फूडग्रेन्स देते हैं। अगर ग्लैशियरों के सूखने की यही स्पीड रही, सतुलज नदी के बारे में यह स्टडी आई है कि करीब-करीब 50 प्रतिशत पानी कम हो सकता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी कोई व्यवस्था कराई जाए कि सभी लोग और पूरा देश….(व्यवधान)

(1155/GG/RBN)

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Mr. Speaker, Sir, thank you. I would like to bring to your notice a matter of urgent importance.

Kasturba Balika Vidyalayas were established in 2004 with the sole aim of improving literacy rate of the girl children in rural areas. The issue is the staff who are working in these residential schools are working on contractual basis. But their counterparts in other Departments who are doing the same job are getting better salaries.

So, through you, I would like to request the Government to see that the salaries of staff who are working in these residential schools are brought on par with their counterparts in other Departments. Thank you very much.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Speaker, Sir, thank you very much.

My ‘Zero Hour’ submission is in respect of Institutions of Eminence. The Government of India has initiated action for selection of Institutions of Eminence. The main parameters are world class infrastructure, financial capability, world class academic and research excellence, capability to expand by significant intake of international students and faculty within 15 years. But unfortunately the selection criteria were not followed by the Selection Committee. Ineligible institutions were approved and accepted.

So, I urge upon the Government to constitute a fresh Committee for examining the applications received so far and revise the list of Institutions of Eminence by removing the ineligible institutions and including the eligible institutions as per the criteria which have already been laid down. Thank you very much.

श्री हंस राज हंस (उत्तर-पश्चिम दिल्ली): सर, मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं इसलिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री जी और आपने मौसम की फिक्र की है, पानी की फिक्र की है, पेड़-पौधे लगाने की फिक्र की है।

सर, कहते हैं कि: - "हमसायादार पेड़ ज़माने के काम आए।
जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए।
कच्चा समझ कर बेच न देना यह मकान,
शायद कभी यह सर को छुपाने के काम आए।"

सर, मेरे इलाके में सबसे मशहूर भलस्वा झील है, जिसको मोती झील भी कहते हैं। यह झील कई सालों से बदहाली की मार झेल रही है। झील के चारों ओर गंदगी और खरपतवार उग आए हैं। इतना ही नहीं झील के बीचोंबीच जहां गहरा और साफ-सुथरा पानी हुआ करता था, साइबेरियन बर्ड्स मौसम के हिसाब से आया करते थे, यात्रियों, पर्यटकों और कलाकारों का तो यहां तांता लगा रहता था।, वहां आज लंबी-लंबी घास और झाड़ियां उग आई हैं। सर, झील के सूखने के कारण अब कुछ जगहों पर पानी दिखाई देता है, लेकिन प्रशासनिक अनदेखी के कारण इस झील का अस्तित्व समाप्त होता दिखाई दे रहा है। झील समय के साथ गायब हो रही है, क्योंकि तटबंध का निर्माण कर इसे यमुना नदी से भी काट दिया गया है। मानसून की बारिश के अलावा, यमुना नदी का पानी मुख्य स्रोत था। इस झील की न तो कोई साफ-सफाई की जाती है और न ही इसकी देख-रेख के लिए कोई भी आगे आता है। केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि मोती झील या भलस्वा झील के अस्तित्व को बचाया जाए। यही मेरी गुजारिश है।

डॉ. सुकान्त मजूमदार (बालूरघाट): सर, मैं राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूँ। पिछले कुछ सालों से हमारे पश्चिम बंगाल में जो घुसपैठ हो रही है, the person from the Rakhine state, जिसको कॉमनली हम लोग रोहिंग्याज़ बोलते हैं। प्रॉबलम यह है कि हमारे वहां पर जो राजनैतिक दल सत्ता में है, वह उनके वोट बैंक को अपीज़ करने के लिए उनके साथ खड़े हुए हैं। …(व्यवधान) उनको घर भी मुहैया कराए जा रहे हैं। …(व्यवधान)

बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल ने ऑन द रिकॉर्ड्स बोला है कि West Bengal is slightly friendly for Rohingyas. हमारे राज्य के मुख्य मंत्री का दायित्व लोगों की सुरक्षा की देख-भाल करना है। …(व्यवधान) लेकिन वे कहते हैं कि रोहिंग्याज़ हमारे ब्रदर्स हैं। …(व्यवधान) साथ ही अगर अन्य राज्य का कोई मुख्य मंत्री पश्चिम बंगाल में जाता है, तो उनको परमिशन नहीं मिलती है कि वे पश्चिम बंगाल जाएं। …(व्यवधान) वहीं दूसरी जगहों से जब लोग आते हैं, तो उनको ब्रदर्स बोलते हैं और उनको वहां रख रहे हैं। …(व्यवधान) हमारी सुरक्षा के लिए बहुत चिंता की बात है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: डॉ. संजय जायसवाल, श्री निशिकान्त दुबे, डॉ. काकोली घोष दस्तीदार एवं श्रीमती प्रतिमा मण्डल को डॉ. सुकान्त मजूमदार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्यों के नाम आज शून्य काल में बोलने के लिए लाटरी में निकले थे, उन्हीं माननीय सदस्यों को अभी अवसर दिया गया है। जो अनुपस्थित रहे थे, उनको शाम को मौका दिया जाएगा।

…(व्यवधान)

(1405/KKD/KDS)
1408 hours

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at eight minutes past Fourteen of the Clock.

(Shrimati Meenakashi Lekhi *in the Chair*)

INTER-STATE RIVER WATER DISPUTES (AMENDMENT) BILL – Contd.

HON. CHAIRPERSON: Now, we will continue with the Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill.

Shri Midhun Reddy.

1408 hours
SHRI MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Hon. Madam Chairperson, at the outset, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak on the Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019.

As we all know, water is a very precious thing, and everything is revolving around water in our country right now. So, this Bill is very important for our country and more so for my State. If you see, everything including economy and politics is dependent on it.

I would like to give an example stating how acute this water crisis is. In my Constituency, there is a peculiar problem being faced now. The girls are not willing to get married to the youth in my Constituency because it is a drought prone area, and the parents do not want to send their daughters to such a drought prone area. So, such is the importance of water in our country.
(1410/SMN/SJN

If you see, almost 65 per cent people of our country are dependent on agriculture. Effective management of water is the need of the hour and providing livelihood to almost 65 per cent of the population depends on effective water management. So, it is a very important issue which we are discussing today. Even NITI Aayog in its report has stated that one of the major problems that the country is going to face is lack of drinking water. If drinking water is a problem for us, how are we going to progress? It is because water is the basic thing.

Moreover, I would request the Minister to consider the effects of climate change because this is an age-old Act for which an Amendment was made in

2017. But the scenario is changing every year and the effects of climate change are devastating. I will quote an example. If you see the city of Chennai, it was flooded with heavy rains in 2017 where people even used boats to go anywhere in the city. More recently, we have seen that they are transporting drinking water in railway wagons to Chennai. This is the pathetic situation.

If we do not manage water properly and especially, in the State of Andhra Pradesh, then the problem is going to be really acute. We have issues with the Godavari river basin. We have issues with the Krishna river. We have issues with the Vamsadhara river. We need timely resolution of all these problems. So, this Bill states that the first step of resolving this issue is through negotiations.

Madam, I would like to bring to your notice that the negotiations are only possible when the Leaders are magnanimous, when they have a heart of gold, when they are committed and when they see a larger picture more than the petty politics of inter-state disputes.

So, for example, recently our hon. Chief Minister Shri Jagan Mohan Reddy and the hon. Chief Minister of Telangana, Shri K. Chandrasekhar Rao moved forward and showed that they are magnanimous and they showed that they have a heart of gold and they could resolve the issues in two days. But it was not the case in the earlier Governments. We had a lot of disputes. It was so bad that in Srisailam reservoir, the staff of both the States almost came to blows with regard to sharing of water. So, I would request the hon. Minister to have a relook at the whole Bill because this a very progressive Bill. This is the need of the hour for the country.

If you see the Disputes Resolution Committee, we are okay with that. We are okay with the composition or whoever has been constituted in the Committee. But what we suggest is that they should be acceptable to both the affected parties. If you see this Bill, there is one lacuna in Dispute Resolution Committee. They have given a period of one and half years for the Dispute Resolution Committee. One and a half years is too long a period because the tenure of the crop is 3-4 months. So, one and a half years is too long a period. So, we have the data. Data is monitored on a daily basis. We know what has happened for the past fifty years. We do not need one and a half years for the resolution. We need to act fast. I think one month or two months should be fixed where the whole thing needs to be resolved on a priority basis and on a war-

footing basis because in the period of one and a half years, every body will be affected.

Hon. Member from DMK Party was stating that once you put this one and a half years time limit for this Committee, then it goes for another two and a half years and then it goes for four years, then the whole purpose is lost. I totally agree with that Member. We need a Committee which is timebound. It should be in months. We totally oppose this stated period in the Bill that is one and a half years. It should have a time period of one or two months. We have the data. We are going to get nothing more. When we have the data and when everything is available, we need to resolve it fast. That is our demand. Once it is not possible to go through the Disputes Resolution Committee, it goes to the Inter-State River Dispute Tribunal. This is even worse because there has been again a period of two years and then again extendable by a period of almost one year, I think. This is also too much. I think it should be resolved on a war-footing basis. Everything should happen within six months. This is our demand. We expect the Government to take a favourable decision.

Now, I come to the maintenance of data bank and information. So, when we have this data and information, it does not serve the purpose because it drags on. We take years together. I think it should be decided as soon as possible and I will tell you a reason for this also, Madam.

(1415/MMN/GG)

The data is very crucial. For example, in our State, right now we have floods happening in *uttara* Andhra region. We also have drought in another part in the same State. It is because of climate change that we are not able to predict when it is going to rain and when there is going to be a drought. So, efficient water management is very, very important. Especially, the rights of the lower riparian States should be protected and they should not feel insecure.

Whatever it is, we are supporting this Bill thoroughly. We want this Bill to be more progressive. We have an issue with the time limit. We want the time limit to be cut down. We also make our request that the constitution of the members, whoever is going to be, should be amicable for both the affected parties.

So, thank you for permitting me to speak on this Bill. We whole-heartedly support this Bill. (ends)

1416 बजे

श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे (नासिक): सभापति महोदया, आपने मुझे अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पर बोलने की अनुमति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

हमारा देश 'नदियों का देश' के नाम से प्रचलित है। कई नदियां एक राज्य से दूसरे राज्य में बहती हैं। उन्हें अंतर्राज्यीय नदी कहा जाता है और कई नदियां एक ही राज्य से शुरू होती हैं और उसी राज्य में अपनी यात्रा समाप्त करती हैं। हमारे देश में चार महीने बरसात होती है तो आठ महीने सूखा होता है इसलिए अंतर्राज्यीय नदियों के जल के बंटवारे का मुद्दा हमेशा से प्रभावित रहा है क्योंकि हर राज्य अपनी मूलभूत जरूरतों को लेकर जैसे कि पीने के लिए पानी, खेती के लिए पानी और औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए पानी को लेकर चिंतित रहता है। अंतर्राज्यीय नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल संवेदनशील रहते हैं और सांविधानिक और कानूनी प्रावधानों को समझकर अधिकाधिक पानी अपने राज्य के लिए कैसे मिले, इसके लिए प्रयास करते हैं।

देश के विभिन्न राज्यों के बीच विवाद बढ़ रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए जल विवादों का जल्द से जल्द निवारण होना जरूरी है इसलिए सरकार ने अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक संसद में फिर से पेश किया है, जिसके लिए मैं सरकार का आभारी हूं।

पहले वर्ष 1956 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम बनाया गया था। उस अधिनियम में हर एक अंतर्राज्यीय जल विवादों के लिए अलग ट्रिब्यूनल बनाए जाते थे। पहले केंद्र सरकार उन विवादों को सुलझाने की कोशिश करती थी परंतु विवाद न सुलझने पर उन्हें ट्रिब्यूनल भेज दिया जाता था। ट्रिब्यूनल में भी उस विवाद को 5 साल तक सुलझाने का प्रावधान था, परंतु सैक्शन 5(3) के तहत समय का कोई बंधन नहीं था इसलिए रावी व्यास जैसे जल विवादों का निर्णय 32 सालों के बाद भी नहीं हो पाया। अब इस विधेयक के संशोधन में अगर कोई राज्य अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद को लेकर आता है, तो उसे सुलझाने के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी की स्थापना की गई है। इस कमेटी को विवाद सुलझाने के लिए डेढ़ साल का समय दिया है। यह विवाद न सुलझने पर इस विवाद को ट्रिब्यूनल भेजना है। ट्रिब्यूनल उनके नीचे अलग-अलग विवादों के लिए अलग-अलग बैंच गठित करेंगे। इस ट्रिब्यूनल को इन विवादों का निर्णय साढ़े तीन साल में देना अनिवार्य रहेगा। इस विधेयक में विशेषता है कि ये निर्णायक स्ट्रक्चर है और हमेशा के लिए पक्का रहेगा। इसके लिए निर्णय करने में भी समय की पाबंदी रहेगी, जिससे इन अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों का न्यायिक निर्णय आने में गति आएगी।

इसी नदी जल विवादों से संबंधित महाराष्ट्र की कुछ बातें मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। दमणगंगा, पिंजाल और पार-तापी-नर्मदा को लेकर महाराष्ट्र और गुजरात इन दो राज्यों में कई साल से एमओयू को लेकर बातें चल रही हैं। महाराष्ट्र का कहना है कि दमणगंगा, पिंजाल में 55 टीएमसी और पार-तापी-नर्मदा में 32 टीएमसी ऐसा कुल 87 टीएमसी पानी महाराष्ट्र के केचमेंट में

आता है और उस पर महाराष्ट्र का हक है। शायद कल यह विवाद डीआरसी या ट्रिब्यूनल तक आने की संभावना है।

ऐसे विषयों पर मेरा यह कहना है कि हमारा देश एक अखंड भारत है। हमारी भौगोलिक परिस्थिति अनुसार कुछ राज्य पहाड़ी हैं तो कहीं समतल जमीन है। इसलिए पानी ग्रेविटी के हिसाब से बहता है। इसलिए हर राज्य की सिंचन क्षमता अलग-अलग है। उदाहरण के लिए पंजाब-हरियाणा 100 परसेंट, मध्य प्रदेश 29 परसेंट, गुजरात 46 परसेंट, कर्नाटक 26 परसेंट, उत्तर प्रदेश 76 परसेंट और महाराष्ट्र में 21 परसेंट सिंचन क्षमता है।

(1420/KN/VR)

माननीय सभापति महोदया, आज के युग में भी महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के कुछ जिलों में रेल से पानी पहुंचाना पड़ता है। इसलिए जब कुछ राज्यों के बीच जल विवाद हो तो उस पर डीआरसी या ट्रिब्यूनल को संबंधित राज्यों की सिंचन क्षमता, पीने के पानी की क्षमता पर विचार करना चाहिए ताकि पानी के वितरण के तहत न्याय दे सकें। राज्यों को उचित न्याय मिले और देश के पानी के वितरण की व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर समान रहे, इस विचार को लेकर इस विधेयक के संशोधन में प्रावधान होना चाहिए। इस विधेयक के बारे में मैं अपने कुछ सुझाव यहाँ पर रखना चाहता हूँ। क्लॉज 4(ए) के संशोधन में डीआरसी की जो कमेटी है, उस कमेटी के सदस्य संबंधित राज्यों के जल विवाद से नहीं होने चाहिए। क्लॉज 4(डी) के संशोधन में चेयरपर्सन जब विविध बेंचों की स्थापना करेंगे तो उन बेंचों में भी जो सदस्य रहेंगे, वे भी उन राज्यों से न हों। अगर चेयरपर्सन को अतिरिक्त सदस्य चाहिए तो वे भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से अधिक सदस्य बढ़ाने की अनुमति ले। इसका प्रावधान होना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूँ।

(इति)

1421 बजे

श्री महाबली सिंह (काराकाट): सभापति महोदया, अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद संशोधन विधेयक, 2019 जो सदन में चर्चा के लिए रखा गया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर करती है। साल में 4 महीने मानसून इस देश में सक्रिय रहता है। आठ महीने सूखे का सामना चार महीने की बारिश से करना पड़ता है। स्वाभाविक है कि हर राज्य चाहता है कि हमारे राज्य के हिस्से में ज्यादा जल मिले ताकि सूखे का सामना न करना पड़े। यही कारण है कि जो नदी जल विवाद है, इसमें राज्यों के बीच हमेशा विवाद होता रहता है। यह विवाद कभी-कभी ऐसा बढ़ जाता है कि जान-माल का नुकसान भी राज्यों को उठाना पड़ता है और राज्यों के बीच में जो आपसी शांति, प्रेम और भाई-चारा है, उसका नुकसान होता है। जो संशोधन विधेयक 1956 है, उसमें उस तरह के कड़े नियम का पालन नहीं किया गया है, जिससे समस्या का समाधान हो सके। यह जो विधेयक लाया गया है, हम समझते हैं कि यह न्यायप्रिय विधेयक है। हम लोगों ने पहले देखा है कि चाहे कृष्णा नदी जल विवाद हो या नर्मदा जल विवाद हो, गोदावरी जल विवाद हो, यह विवाद बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन 1956 में जो अधिकरण बना था, उससे तो कुछ हद तक समाधान हुआ, लेकिन अभी कुछ विवाद उसमें बना हुआ है। इसके अलावा चाहे कावेरी हो, गोदावरी हो, बिहार की जो सोन नदी है, उसका विवाद और राज्यों में जितने भी अंतर-राज्यीय नदी पर बांध बनाए गए हैं, उनमें चाहे ओडिशा का मामला हो, झारखंड का मामला हो, सब जगह बना हुआ है और उसका निष्पादन आज तक नहीं हो सका है। बिहार सरकार ने 27.11.2013 को सोन नदी के पानी के विवाद को लेकर केन्द्र सरकार को एक अधिकरण बनाने के लिए निवेदन किया था। इसके बाद गंगा बाढ़ आयोग के अध्यक्ष और केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष ने बिहार सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत करके यह निर्णय लिया कि दोनों सरकारें समय-समय पर आपस में बैठकें करके इस समस्या का समाधान करें।

(1425/CS/SAN)

महोदया, हम बता देते हैं कि रिहन्द और बाणसागर डैम का जो समझौता हुआ था, उसमें बिहार के सोन बेसिन में क्रमश: 5 लाख क्यूसेक और 12 लाख क्यूसेक पानी देना था। यह पानी दिसम्बर से लेकर अप्रैल के बीच में देना था, लेकिन 5 लाख क्यूसेक पानी तो छोड़िए, 12 लाख क्यूसेक पानी छोड़िए, एक हजार क्यूसेक पानी भी बिहार के सोन नदी बेसिन में नहीं आता है।

यह बात हम मंत्री महोदय के संज्ञान में इसलिए देना चाहते हैं कि जब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पठारी इलाके में भारी बारिश होती है, तो बिहार के बहने के लिए सारा बाढ़ का पानी डैम से खोल दिया जाएगा। उस समय वह पानी बिहार में बहने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब सूखा पड़ जाता है, जो हमारे बिहार का एग्रीमेंट है, तो उस समय दिसम्बर से लेकर अप्रैल तक एक हजार क्यूसेक पानी भी बिहार को नहीं मिलता है।

माननीय मंत्री आपको यह बात संज्ञान में लेनी है और इस विवाद को निपटाया जाए, ताकि यह विवाद आगे न बढ़ सके। बिहार के लोग महात्मा बुद्ध, महावीर, गुरु गोविन्द सिंह की धरती से

आने वाले लोग हैं। हम शांतिप्रिय लोग हैं और बिहार के लोग विवाद नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो यह विधेयक बना है, इस विधेयक के माध्यम से उस समझौते के आधार पर जो निर्णय हुआ है, सोन नदी के बेसिन में वह पानी दिया जाए। हम एक बात और आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि पानी नहीं मिलने के चलते बिहार सरकार ने सोन बैराज के ऊपरी हिस्से पर बाँध बनाने के लिए एक योजना केंद्र सरकार के पास भेजी है। उस डैम के बन जाने से यह होगा कि जो बाढ़ का पानी उधर रिहन्द और बाणसागर से आता है, उस बांध से उस पानी को रोका जाएगा और सूखे के समय में उस पानी को इस्तेमाल करके सोन के अधिग्रहण क्षेत्र में पानी मिलेगा। इसलिए बिहार सरकार ने जो प्रस्ताव इस संबंध में भेजा है, उसका संज्ञान लिया जाए और उस पर जल्द से जल्द अमल किया जाए।

महोदया, हम कहना चाहेंगे कि यह जो संशोधन विधेयक सदन में लाया गया है, यह राज्यों के जल विवादों को सुलझाने के लिए एक बहुत बड़ा और अच्छा कदम है। इससे राज्यों के जल विवादों का जल्दी निपटारा होगा।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आपने एक अधिकरण बनाने के लिए निर्णय लिया है। अगर उस अधिकरण ने निर्णय दे दिया कि आपको इतना पानी उस राज्य को देना है, इस चीज को मानना है और अगर वह राज्य उस बात को नहीं मानता है, तो इस विधेयक में आपको उस राज्य के ऊपर दण्ड का कोई प्रावधान करना चाहिए था। आपको इस विधेयक में दण्ड की भागीदारी बनानी चाहिए थी, लेकिन इसमें इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। जो राज्य सरकारें उसकी बात को न मानें, उन पर आपको दण्ड की भागीदारी बनानी चाहिए। मैं इस अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

(इति)

1429 hours

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Chairperson, I stand here to participate in the discussion relating to the amendment that has come to an Act of 1956, which is called the Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019. I can say that already more than half a dozen amendments have come in-between last so many years, 63 years to be specific. The amendments have stuck to a template which relies exclusively on tribunals for expeditious resolution of river water disputes.

(1430/RBN/RV)

The Supreme Court and other courts do not have jurisdiction over such disputes. They can interpret verdicts of Tribunals. This arrangement demonstrates that the disputes resolution generally has not been very effective. Disputes have recurred. There have been long delays in adjudication. The States have not complied with the verdicts of Tribunals. This Bill has provisions to break that mould. Therefore, the Biju Janata Dal supports this Bill.

I had opposed the introduction of this Bill at the introduction stage because States were not consulted. That was my point of view. But the Minister has categorically stated that consultation did take place in 2013. I believe him.

When I was saying that the Supreme Court does not have jurisdiction, I was referring to the deliberation in the Constituent Assembly. In that deliberation, it was repeatedly stated that there is a need to allow the Supreme Court to come into dispute resolution mechanism. But it was left to the Parliament to take a decision in this regard. Subsequently, one can say, after seven years, in 1956 the Parliament took a decision that it is better to have individual tribunals to decide on a dispute relating to water distribution.

This Bill proposes a permanent Inter-State Water Dispute Tribunal. This Tribunal will be a eight-member body, comprising a judge of the Supreme Court or the Chief Justice of a high court, who would be the Chairperson; a retired judge or a Chief Justice of high court can also become Chairperson. Similarly, the judicial member would be or has been a judge of a High Court. So, this has also been widening the scope about which some Members have already spoken, that retired Chief Justices, retired judges of the Supreme Court and also High Courts can become the Chairperson and also the judicial member. They shall

hold office for a period of five years or till the age of 70 years, whichever is earlier. No member shall hold office after the age of 67 years when we come to the other part of it. Each dispute will be referred to a three-member bench and resolution will be time-bound.

At least on paper the entire process is restricted to five and a half years. However, there is almost no limit on extensions in the current arrangement. These measures can improve the efficiency of dispute adjudication. The Bill provides for Disputes Resolution Committee to enable *ex ante* negotiated settlements in place of earlier mediation by the Centre. This is an interesting provision. But its benefits will depend on the mechanism's efficiency.

The Bill says that the Centre will set up DRCs with 'members from such relevant fields as it deems fit for resolving the disputes amicably'. This definition is broad-based. But the DRCs' functions include, recording data, noting stands, claims of States and reporting facts. Unless the DRCs are adequately high profile and command credibility and legitimacy for negotiated settlement, it may be relegated to performing perfunctory procedures.

The other much-touted provision is the data bank and information system. This is nothing new.

(1435/SM/MY)

There is a similar provision in the current Bill as well. But this mandates the Centre to create a repository. The experience in this respect has not been very encouraging.

The challenge is not about gathering data and information, but more about the States agreeing over a particular piece of data. I think the hon. Member from YSR Congress Party also has referred to this because there are disputes relating to data that is provided.

Madam, you know better because you argue cases before the court and it is the data that is always challenged. The challenge is about tapping the data to produce knowledge. That can be used to produce knowledge; that can be used for making decision. Such knowledge has been the major area of contestation before the tribunals so far. Even then, I would say that this Bill holds promise for tightening and improving adjudication.

But some practical questions remain still unaddressed. How does the Bill propose to address the challenge of implementing the tribunal's award? Cauvery

Water Dispute Tribunal Award given in 2007 is yet to be implemented. The ambiguities will persist even after this amendment. The power to devise such mechanisms is with the Centre. But the Government is ill-equipped to offer competent and resilient mechanisms.

The River Boards Act of 1956 has become a dead letter. The ad hoc mechanism like river authority, supervisory committee etc. have proved ineffective. With this critical gap, implementing Tribunal's award will be a huge challenge. Are we not aware that conflicts arise when the instruments and institutions for cooperation fail? A grave omission is the absence of an effective implementation mechanism.

It is said that the decision of the tribunal will be final. Here, I would like to explain in detail. The decision of the tribunal would be final and binding on the parties involved in the dispute. It will have the same force as that of an order of the Supreme Court of India. Are we not aware that Supreme Court has been amenable to Special Leave Petitions which led to extended litigation in the Apex Court? All these defeat the basic purpose of the reform to expedite the resolution of river water disputes.

Madam, an amendment to the 1956 Act was given effect in 2002 during Atal Ji's Prime Ministership. It so happened because one of our senior Members from Biju Janata Dal was heading, at that point of time, the Ministry of Water Resources. He had given effect to two major amendments. It said that the decision will be final and binding on the parties to the dispute and shall be given effect to by them. These are the words which were mentioned there and this was given effect to in 2002. Another proviso was also added that the decision of the tribunal, after its publication in the official gazette by the Government under sub-section 1 of Section 7, shall have the same force, as an order or decree of the Supreme Court.

The same thing has been repeated here, but the wordings have been a little bit changed with 'final and binding'. Under Clause 6 (6), it is mentioned that the decision of the bench of the tribunal shall be final and binding. Even under the present law, a tribunal's ruling is not meant to be overturned by the Supreme Court. What does this 'final and binding' mean? I would like to understand this from the hon. Minister.

In practice, the Supreme Court has admitted it in the review petition on the final award of Cauvery Water Disputes Tribunal. It even instructed Karnataka Government to release water from time to time. So, where is the finality of the decision of the tribunal?

I would say that there are still a large number of gaps. Therefore, I would mention here what, at one point of time, was published in the paper of the University of California on India's inter-State water disputes: "There are too many options, and there is too much discretion at too many stages of the process. This is partly because of procedural complexities involving multiple stakeholders across Governments and agencies."

(1440/AK/CP)

It further states that :

> "…But the inchoate nature of the system is equally the result of factors outside the efficient functioning of the tribunal itself."

Madam, it was in the 1935 Act where all this dispute resolution mechanism had already trickled down, and it went up to the Supreme Court. It limited the jurisdiction of the federal court in 1935, and we are still continuing with that process.

Should I request this from the Government? Why have a tribunal? Let us directly send it to the Supreme Court. Let Supreme Court adjudicate it instead of having a tribunal and to find a solution between two States, which never happens because now the political situation has changed. At that point of time, there was one Party, which was encompassing the whole country. Today, regional Parties have come up and regional aspirations have come up, and we have coalition Government in the Union. So, it is necessary now to have a holistic view. The ultimate adjudication is being done in the Supreme Court of India. Why should we have this type of adjudicating mechanism like a tribunal?

I will say again that we will support this Bill, no doubt. It will be binding and final, but ultimately, it is not final at all because SLP, as you know, is being entertained by the Supreme Court. There is always a provision that if I am not satisfied with the decision of the tribunal, then I have a forum to go and plead. With these words, I conclude, Madam.

(ends)

1443 hours

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Thank you, Madam, for giving me this opportunity to speak on the Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019.

Madam, we are supporting this Bill. यह बिल की रिक्वायरमेंट है, इसलिए we are supporting this Bill. At the same time, I would like to state that this Bill is not complete in itself to resolve the entire country's water issues. कंट्री के जितने भी वाटर इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए this Bill is not enough. Why am I saying this? हम जो बात अभी करने जा रहे हैं, उसे एंटायर हाऊस को सुनना चाहिए।

हमारी कंट्री में सीडब्ल्यूसी के रिकार्ड के अनुसार 70 हजार टीएमसी वाटर हर वर्ष नदी में जा रहा है। 70 हजार टीएमसी पानी नदी में जा रहा है, उसका कारण क्या है? हम लोगों को स्वतंत्र हुए 73 साल हो चुके हैं। आजादी मिलने के बाद भी हम लोगों के सामने इरीगेशन वाटर और ड्रिंकिंग वाटर की प्राब्लम्स हैं। सेम टाइम में इतना वाटर हम लोगों का नदी में जा रहा है। …(व्यवधान) सॉरी, समुद्र में जा रहा है। 70 हजार टीएमसी वाटर समुद्र में जा रहा है, जबकि हमारे पूरे देश की एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट केवल 40 हजार टीएमसी पानी की है। इसका मतलब यह है कि इंडिया में जितनी वाटर एवेलेबिलिटी है, उसकी प्रॉपर पॉलिसी लाकर 70 पर्सेंट वाटर को भी हम यूज करें तो एंटायर कंट्री में सिंचाई हो जाएगी। इसके साथ-साथ हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा 10 हजार टीएमसी वाटर इंडस्ट्री और ड्रिंकिंग के लिए रिक्वायरमेंट है। 40 हजार प्लस 10 हजार, यानी 50 हजार टीएमसी वाटर से एंटायर कंट्री की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। 70 थाउजेंड टीएमसी वाटर रहते हुए, इसकी प्रॉपर प्लानिंग न होने की वजह से, प्रॉपर पॉलिसीज नहीं रहने की वजह से the country is suffering today.

हमारे नेता केसीआर साहब हमेशा बोलते हैं, हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल केसीआर साहब ने इस बात को सभी को बताया।

(1445/MK/SPR)

इसके लिए नेशनल लेवल पर एक पॉलिसी बनानी चाहिए। आप लोग नेशनल वाटर पॉलिसी के लिए कोशिश कीजिए। It should be complete in every respect. हम इसको हिन्दी में बोलेंगे कि आप एक राष्ट्रीय जल योजना को लेकर आइए, हम तेलुगु में बोलेंगे – 'जातीय जल विधानम अवसरमुन्नदि।' इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसकी बहुत जरूरत है। Recently, in Telangana, we have completed the world's biggest lift irrigation project. It is called *Kaaleswaram* Project. इसमें भी बहुत इश्यूज थे। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के द्वारा एग्रीकल्चर के लिए 45 लाख किसानों को पानी देना शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट में भी बहुत प्रॉब्लम थी। तेलंगाना बनने के बाद, हमारे चीफ मिनिस्टर ने पूरे मिनिस्टर को लेकर, पूरे ऑफिसर्स को लेकर, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के साथ मुम्बई में जाकर मीटिंग्स करके इस स्टेट्स के इश्यूज को रिजाल्व कर दिया। इसी तरह से आंध्र प्रदेश के यंग चीफ मिनिस्टर वाई.एस.जगनमोहन रेड्डी के साथ भी बातचीत हुई है। तीनों चीफ मिनिस्टर्स ने मिलकर दो महीने पहले इस प्रोजेक्ट का इनॉगरेट किया है। यह ऐतिहासिक है। मिनस्टिर साहब ने एक-एक डिस्प्यूट के बारे में अपनी बातचीत के समय बोला है। रिवर का जो इश्यू है, 33 सालों को बाद भी इस इश्यू को सार्ट आउट नहीं कर पाए। अगर सही लीडरशिप हो तो वह हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, वह हमारे चीफ

मिनिस्टर ने देश को करके दिखा दिया। स्वतंत्रता के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट में पहले प्रेसिडेंट डॉ.राजेन्द्र प्रसाद जी ने अपनी फर्स्ट स्पीच में यह मेंशन किया था - 'रिवर के ऊपर, रिवर वैलीज के ऊपर डैम्स को कन्स्ट्रक्ट करने की जरूरत है।' इसके बाद वर्ष 2002 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि 'देश में रिवर लिंकिंग की जरूरत है।' हम लोग अभी 17 वीं लोक सभा में हैं। 17 वीं लोक सभा में वर्तमान राष्ट्रपति जी ने अपनी फर्स्ट स्पीच में कहा- In page 5, para no.19, it is stated, `One of the biggest challenges of the 21st century is the growing water crisis". इसका मतलब यह कि 75 सालों से हरेक प्रेसिडेंट द्वारा अपनी स्पीच में वाटर के बारे में बोलने के बाद भी हम इस इश्यु को रिजॉल्व नहीं कर पाए। मैं इस बिल के बारे में दो प्वाइंट बोलना चाहता हूं। Article 262 of the Constitution has given full powers to Parliament. इसमें इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज के बारे में भी बताया गया है। Sir, kindly look at the Entry 17 of the State List. Construction has been kept in Entry 56 of the Union List which gives powers to the Central Government for the `regulation' – I request the hon. Minister to listen to this – and developing of the Inter-State rivers. रिवर्स डेवलपमेंट के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। इस बिल में मिनिस्टर साहब ने खुद ही एग्री किया है कि नौ इश्यूज में से चार इश्यूज को सॉर्ट आउट कर पाए हैं बाकी अभी भी ट्रिब्यूनल में पड़े हैं। उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दीजिए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डीआरसी है। हाउस में बहुत लोगों ने बताया है, हमारे वाईएसआरसीपी के लीडर ने भी इसके बारे में बताया है। आप डीआरसी के लिए एक साल प्लस छ: महीने का समय दे रहे हैं।

(1450/RAJ/UB)

डिसप्यूट रिजोल्यूशन कंपनी को इतना समय नहीं देना चाहिए। You have to fix the maximum time limit of six months. उसके साथ ट्रिब्यूनल के लिए दो साल प्लस एक साल, तीन साल का समय दे रहे हैं। हम लोग टोटल इश्यू के लिए पांच साल का समय दे रहे हैं और प्रोजैक्ट बनने में काफी समय लगेगा, उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसके साथ-साथ हमारे कुछ सजैशंस है। आपने बताया है कि हम ने स्टेट को कंसल्ट किया है। Whatever it may be, स्टेट के साथ चल कर थोड़े और इश्यूज को करैक्ट करना चाहिए था। उसके साथ-साथ डेटा के बारे में भी बता दिया कि आप सिंगल सोर्स से डेटा लेंगे। ऑलरेडी सीडब्ल्यूसी के पास डेटा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी डेटा है। You may be thinking that you need to give it to outside people or I do not know but already सीडब्ल्यूसी के पास डेटा है। डिसप्यूट को रिजॉल्व करने के लिए उस डेटा का महत्वपूर्ण की-रोल है। फाइनली, हम बोलना चाहते हैं कि अभी जितनी भी नदियां हैं, हम लोगों ने लगभग 30 रिवर्स को लिस्ट आउट किया है, सभी के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। मेनली, हम ने गंगा, इंडस, गोदावरी, कृष्णा और महानदी, इन सभी नदियों के वेस्ट वाटर के बारे में बता दिया है, उसको साथ में लेते हुए, हम नेशनल वाटर पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे। एंड टू एंड इंडिया में वाटर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए, पॉलिसी को लाए हैं, इसलिए हम इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं।

(इति)

माननीय सभापति (श्रीमती मीनाक्षी लेखी): श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे जी।

1452 बजे (श्री कोडिकुन्निल सुरेश <u>पीठासीन हुए</u>)

(Page 58)

1452 बजे

*SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD): Hon. Madam Chairperson, thank you for allowing me to speak in my mother tongue. We have already witnessed two world wars and the third would be fought for water for sure. Newly constituted Jal Shakti Ministry has brought a new very important bill for water and I welcome it. First water tribunal was constituted in the year 1956. After this, 9 new tribunals were also constituted and we have wasted valuable time in this exercise. Today we can see that there is a flood like situation in different parts of the country. But at the same time, some parts are facing drought like situation. Hence, there is a need to take some steps to make a policy to streamline the water availability in our country. If there is any dispute between two states, then they should sit together to settle the issue and that kind of provision you have already made. When I was the Minister of this Ministry in Maharashtra Cabinet, and we had some issues with Gujarat regarding Narmada Sarovar Project. Our Hon. Prime Minister and the then Chief Minister of Gujarat Shri Narendra Modi ji discussed about that issue with Hon. Sharad Pawar ji and I immediately cleared that file. Today, you can see that Narmada Sarovar Project came into existence just because of co-operation and co-ordination between these two states. This is a classic example of understanding between two states of Maharashtra and Gujarat. Further more you had constituted a dispute Redressal Committee and you have also given an extension of one year to this committee.

Hon. Madam Chairperson, I think there is an issue regarding Selection Committee under the chairmanship of Hon. Prime Minister. Leader of Opposition is supposed to be nominated to this committee. But, there is no leader of opposition hence the leader of the largest opposition party should be nominated to this committee. It is mentioned in the bill that the data regarding the river basins and ravines should be made available to everyone. But, in this connection, I would like to request you not to disclose this data as there is a possibility of its misuse. Water is a state subject and the water distribution right lies with the concerned state. Even the report of the Dispute RedressalCommittee should not be made public.

* Original in Marathi

(Page 58-A)

Regarding Maharashtra, Nar-Par, Pinjal and Girna river issues are there. We had signed a memorandum of understanding with Gujarat for distribution of Girna river water. But, yesterday Government of Maharshtra decided to divert the water of the river towards the west to the drought ridden Marathwada region. Jal Shakti Ministry is a newly constituted Ministry. You should try to divert the water of these west bound rivers towards the east for the benefit of our people. In my state Maharashtra, we are facing floods in many parts like Konkan and others but our Marathwada region is facing an acute water scarcity. Hence, it has become necessary to divert these west bound rivers towards the east. We received sufficient water through Krishna River Water Tribunal. But after constituting Koyna River Tribunal, 67 TMC water is being wasted through Vashisti river and this water should be diverted towards Konkan region for providing irrigation facilities in this area. We can even divert this water towards Western Maharashtra region for 67 drought ridden Tehsils of this area to overcome water scarcity. According to Krishna River Water Tribunal award, we had to give 60 TMC water to Marathwada region. But due to the non-availability of water we could not give that water. It is possible if we divert west bound rivers towards the east. We have many issues with the water of Krishna, Koyna and Godawari river ravines. One very important decision was taken regarding Raigad district. There is a Tata Dam at Mulshi. Water of this dam is being utilized for industrial purpose. But this water is going to be diverted towards the west, and I have an objection to this. Before implementing this, availability of water should be ensured in my Raigad district for industrial and drinking purposes. We need higher allocation of funds for river-linking project in Maharashtra. You have brought this revolutionary bill to settle the water disputes between states and I congratulate you for this. This is a welcome step and it would help to strengthen our democracy. I support this bill because I was also the Minister of this department and settlement of water disputes is extremely important. But it should be done in a time bound manner and on priority basis. Lastly, I would like to urge upon you to nominate the leader of largest opposition party to the committee. I am highly thankful for giving me an opportunity to speak. Jai Hind, Jai Maharashtra.

(ends)

(1455/KMR/IND)

1459 hours

SHRI H. VASANTHAKUMAR (KANNIYAKUMARI): Respected Chairman, Sir, thank you very much for allowing me to participate in this discussion on a very important and sensitive piece of legislation. Water is precious and is a necessity for each and every one. In a large country like ours, there are large and small rivers spread over the country. While in many parts there is a threat of floods, in other parts there always exists a drought-like situation. The Government of the day has to spend thousands of crores of rupees every year to contain floods and to extend financial assistance in case of drought. Unfortunately, may be due to circumstances beyond control, the major rivers of the country could not be interlinked. Had these been interlinked, the Government would not have had to spend money on floods and droughts. Therefore, the Government should consider linking major rivers with other rivers on a war footing basis. Moreover, when the rivers are interlinked, it paves way for transportation through inland waterways.

(1500/SNT/PC)

Hon. Chairperson, Sir, already, there are many inter-State river issues which are under different tribunals. With the passing of this Bill, I urge upon the Government to sort out all the pending issues within a time frame on war footing basis. Moreover, when a Tribunal is formed, it should be ensured that at least one person should be a Member from the affected area.

Recently, it has been seen that the awards given by the tribunal are not at all implemented by the State Governments or the awards are delayed by the States. I want to know from the Government what is the mechanism available with the Government to ensure that the awards are implemented. There should be some deterrent factor to ensure that the awards are implemented, otherwise, this tribunal is another farce. It has been seen especially, in the Cauvery water dispute that the Karnataka Government delayed release of water on many occasions. There are certain inter-State water issues between Tamil Nadu and Kerala, Tamil Nadu and Karnataka, and Tamil Nadu and Andhra Pradesh. It is a very interesting fact that all the States are Dravidian States and have close knit relationships, even in marriages.

In my MLA tenure, in the State of Tamil Nadu, I initiated with the help of the former Chief Minister, Dr. Kalaignar Karunanidhi, Thamirabarani-Karumeniyar-Nambiyar river interlinking project in the State by excavating a new flood carrier canal. The project has been proposed to utilise 2,765 Mcft of water out of the 13,758 Mcft water that flows to sea as surplus water from Thamirabarani river during flood situation. The cost appraisal for this project was Rs. 872.45 crore. Through this project, more than 60,000 acres of land was benefitted.

There is a provision for setting up of a permanent tribunal to resolve inter-State water disputes. However, there is another provision for establishment of a Dispute Resolution Committee by the Central Government for resolving amicably the inter-State water disputes within a maximum period of one-and-a-half years. Moreover, any dispute, which cannot be settled by negotiations shall be referred to the tribunal for its adjudication. But, here, I have some reservations. The Dispute Resolution Committee may take a longer time than the time limit prescribed under the law as there is every likelihood of giving extension after extension in the name of negotiation and the case will be pending for so long without being resolved. I appeal to the Government to cut short the time limit of one-and-a-half years to six months and ensure that no extension is given on any count. Moreover, the award being implemented by the tribunal should be implemented and the Government should ensure the implementation.

I take this opportunity to focus attention of the Government regarding the Mullaperiyar Dam and Cauvery water issues. Though the tribunal has given its award, the Karnataka Government never releases water from the Cauvery and every time, the Court has to be approached. I want to demand from the Government why this is happening? Why not have an automatic mechanism to implement the award once it is given by the tribunal? The Government should ensure this.

Neyyar River Left Bank Canal will help to irrigate an area of 9,200 acres of land in Vilavancode taluk in Kanyakumari. In 2012, Tamil Nadu Government filed a petition against Kerala Government seeking uninterrupted water supply from Neyyar river, and the matter is now pending in the Supreme Court. …(*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): This matter is pending before the Supreme Court and it is sub judice. …(*Interruptions*)

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Sir, he should not be allowed to speak. …(*Interruptions*)

(1505/GM/SPS)

The Tamil Nadu Government has contended that the Neyyar is an inter-State river because a portion of the river's catchment area lies in the territory of Tamil Nadu. The Tamil Nadu Government has not received water since 2004 which has caused serious hardships to the farming community. In 1999, the Kerala Government took a stand that the Neyyar was not an inter-State river. However, in its own draft agreement, Kerala informed Tamil Nadu in 2010 that the water shall be supplied subject to the realisation of water charges and payment of distribution charges; the agreement would be valid for five years and it would be renewed with mutual consent. The Supreme Court in November 2016 had framed certain issues including whether the river can be classified as an inter-State river and also whether a legal obligation is imposed on the Kerala Government to supply water from the Neyyar river to Kanniyakumari under the State Re-organisation Act, 1956. The matter is pending in the Supreme Court now. I request the Central Government to ensure water supply from the Neyyar river to Kanniyakumari to help farmers in the district for irrigation purpose. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Shri N.K. Premachandran is the former Minister for Water Resources in the Government of Kerala. … (*Interruptions*) Shri H. Vasanthakumar, please conclude now. Your time is over.

SHRI H. VASANTHAKUMAR (KANNIYAKUMARI): Sir, the Government is very well aware that farmers take loans from banks for agriculture purpose and even for personal commitments like children's education, medical expenses, marriage etc. The farmers are not able to grow any crops and they are not able to repay the loans borrowed from banks and other private agencies. If the State Government does not meet its commitment of releasing water to another State, thus affecting the farmers of that State, the State Government which has to release the water has to pay the compensation because of the loss suffered by farmers. The Central Government should also contribute its share in the

compensation. The Central Government should ensure that the State Government concerned gives compensation to the farmers. In case the State Government does not pay the compensation, the amount payable should be deducted by the Central Government while the allocation is made to the State concerned from the Central fund.

The river water disputes are more in Southern India than in any other part of the country. When the Government was formed in May, the hon. Minister of Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari, made a statement that the Godavari and the Krishna will be linked with the Cauvery for the benefit of Tamil Nadu. If these rivers are linked, I am sure the dispute of inter-State rivers will be reduced considerably. But the Government should implement this.

To sum up, I urge upon the Government to resolve inter-State water disputes. I request the Government to solve the Neyyar river dispute at the earliest which would benefit my Parliamentary constituency of Kanniyakumari.

Thank you.

(ends)

1509 hours

SHRI FEROZE VARUN GANDHI (PILIBHIT): Hon. Chairperson, Sir, I rise to support the Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill. I would like to start with a quote by Brian Andreas who said, “I like geography best because our rivers and mountains know the secret; pay no attention to borders.” In a utopian world, this may be true, but unfortunately in a world of cut-throat hydro-politics and political demarcations, it is not reflective of our current reality. When I wrote my book ‘A Rural Manifesto’ last year, I wanted to see what the life of a river really was. I went to the Cauvery delta in Tamil Nadu, Nagapattinam, Trichy, Thanjavur and Thiruvarur. I went in and walked across the rivers with some academics and some people.

(1510/RK/KDS)

What I found was deeply distressing to me. I found that more than 50 per cent of marginal farmers have given up agriculture in the last 20 years. According to the NCRB statistics, 2014, in Tamil Nadu 68 farmers suicides and 827 farm labour suicides have taken place, out of which 67 per cent belong to the districts along the Cauvery delta.

I also started looking at agricultural growth in those very districts and I found that out of 39 parliamentary constituencies constituting the State of Tamil Nadu, five or six districts have the lowest agricultural growth in the entire State and three of them have negative agricultural growth over the last ten years. I also found that in terms of Government investment in irrigation, which all of us know is primarily a State subject, the lowest amount of Government investment in irrigation and hydrology was done in those districts. Like, nobody will buy a disputed property, until people know the political future of a river, they tend not to invest or double down in it.

If you look at the effect of these disputes on people’s livelihood, the violence that broke out in Karnataka in 2016 - when we look at the damage to public property, urban infrastructure, railways, etc. - resulted in a damage of Rs.25,000 crore.

When we look at the construction of the SYL Canal, I do not want to take any side, it is a very contentious issue. I would like to say that it is a lose-lose situation for both the States. If you look at Haryana, it has been unable to use 3 lakh hectares of irrigation potential and it has lost incremental agricultural

production of eight lakh tonnes. Even Punjab, in terms of water management, has not benefited in any manner. Today, 20 out of 22 districts are water deficit. I am not talking about urban local bodies, but even 109 blocks out of 138 blocks in Punjab today are dark zones in terms of ground water. This is something we need to look at. This problem, by the way, is not becoming better. Between 2013 and 2016, the ground water that has been extracted has gone from 149 per cent to 169 per cent in Punjab.

We need to look at rivers not just as bodies for extraction. We need to look at rain water harvesting, desalination, and hydroponics. So, there are a whole slew of measures. Their solutions need to be sustainable and they need to be deliberative. In terms of international examples, I look at France, which has water parliaments. The hon. Minister is very knowledgeable. Water parliaments are the agencies responsible for river and water management. They have farmers, factory owners, Government officials, and those Members of Parliament who belong to the riparian and riverine ecosystems. They not only raise revenue and determine expenditure for managing the river but they also look at it per square kilometre across the river.

The Government introduced GST. Initially, it was contentious but everybody then got together and it became a success story for all of us unitedly. My request to you and to the hon. Minister is, whether we can have a deliberative process to combat this issue. Under Article 260 of the Indian Constitution, we can actually set up Inter-State Councils for this. If we can make an effective use of an Inter-State Council for water management, which can look at the Central Water Commission, the Central Ground Water Board, and all the data management systems which are not put in place, we can really have something that celebrates the federal structure, as well as is overarching in terms of responsibility.

When we look at water management, it is a truth that unless we manage our water more efficiently, we will be more predatory towards each other. We have irrigation efficiency of 30 per cent and unless we reach 60 per cent drip irrigation, sprinkler systems, and hydroponics need to be promoted.

(1515/PS/SJN)

Sir, the Government of Karnataka has done something very good. They had established a system called Supervisory Control and Data Acquisition

(SCADA) with a GIS technology along the Krishna river to monitor and control both river flow and give real-time information to farmers. We can do this for rivers across the country. The hon. Minister knows that the basin-focussed approach is the future for hydrology. We have to look at basins and sub-basins. The Keoladeo Sanctuary in Bharatpur is today on the verge of not having enough water to replace its current ecological flora and fauna. Just take for example the Danube river basin in Europe and how it was regenerated and reformed. The hon. Minister knows very well that there is a River Basin Management Bill, 2018. I plead before him to take this up on a war-footing and to see that it is re-visited as soon as we can.

Now, I come to the Bill, if you just permit me some time. The hon. Member, before me, said that the Bill will take very long. The Disputes Resolution Committee has been given a time of one and a half years and then four and a half years. But the fact is that these are complex and enormous issues. They are respecting the federal structure of this country. There is a lot of back and forth which goes on. The Godavari and Krishna rivers dispute started in 1956 and the dispute was referred to the Tribunal only 13 years later. So, in that time-frame, if you look at these issues, it is really not an enormous amount of time.

There is an issue which I would like to talk about, which is the moot point of this whole Bill. These are essentially politically problems. It has to have a stream of political consciousness combating it. I cannot look at a political issue just being looked at by judicial powers, although I respect it. There needs to be a political solution to this when we look at the ex-post mechanism of States not looking at the awards that they have been given. The Government of Telangana has filed a SLP against the Krishna Water Disputes Tribunal. There is also SYL. It is not one or two. I would like to ask from the hon. Minister whether they will be imposing fines on States for not obeying the Tribunals' awards. What is the corrective mechanism that will be taken? That is a little unclear to me.

When we look at the formation of a single permanent body, it is a major step in the right direction towards water management and towards solving these disputes. Just the 'to and fro' between notification, giving permission for a tribunal, etc., has taken more than 20 years in some cases. It is unfortunate. When we look at the composition of a tribunal, I would like to thank the Government for making it multi-disciplinary. We have one member from the

States which are party to the dispute in every body. We also have members from the Central Water Engineering Services, etc. It is a multi-disciplinary body with, of course, judicial powers that be.

I just want to end my speech by saying that the more we look at water from a territorial perspective, everybody is going to lose. But, if we look at water from a regenerative national resource perspective, it will make it ecologically sustainable and will pull together as a nation. This is something that we look at.

Rumi, the famous poet, said that “Thousands have lived without love, not one without water.”

I would like to thank you for giving me the time.

(ends)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): We fully support it.

1519 hours

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me an opportunity to express my grave concern about the Bill.

First of all, this Bill is an attack on the Indian federalism and it is politically motivated. It is not surprising that the Government is taking advantage of broad majority completely, ignoring the States' sovereignty on matters listed in our Constitution.

(1520/RC/GG)

Hon. Shri Varun Gandhi said that the political solution is one of the major remedies rather than the legal remedy. I also support this view.

Water is a State subject included in Entry 17 of List II of our Constitution. That the discussion on this Bill and the Dam Safety Bill is being taken up on the same day is not accidental. Like all other Bills, these Bills are also having political motivation. The Government and various political parties in different States have differences of opinion in regard to water disputes, particularly Southern States. Here the BJP is trying to catch fishes from the disturbed water or otherwise we can easily say that they are trying to create divisions in political parties and are trying to take gain from this game.

Let us look into the original Inter-State Water Disputes (Amendment) Act, 1956. Section 4 of this Act provides that in the event of an inter-State water dispute, tribunals may be set up by the Central Government upon the request of the aggrieved State. We all know that interlinking of rivers have catastrophic socio-economic, ecological, and more importantly political impact. I would like to know about the implementing mechanism. The Bill is silent on this.

I am of the strong view that inter-State water dispute is a complex issue. I do admit that mere bureaucratic and technocratic solution will be a futile exercise over such issues. Godavari, Krishna, Narmada, Ravi and Beas, and Cauvery are the classic examples in front of us. Only in four cases out of nine disputes, could the tribunals take a decision. Even those decisions could not be implemented due to the protest of the parties concerned.

So again I would like to know about the implementing mechanism which is not there in the Bill. Why is the Government not contemplating on alternative dispute resolution mechanisms? It is not the tribunal alone. What we need is wider consultation with the civil society and stakeholders. But sadly, as per the

new amendments, the decision of the tribunal is not required to be published in the official Gazette. Why is there such a proposal in the Bill? It kills the possibility of resolving the disputes in a democratic manner through wider participation. No doubt, the Government stands for centralization instead of decentralisation.

(ends)

1523 hours

SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): Sir, we, the Communist Party of India, have serious objection to this form of amendment.

The water disputes differ from case to case and from State to State. There are hundreds of dams in the country and over 200 of them are in disputes. If a Central commission is formed, they cannot look into them perfectly. I would hereby like to mention the case of my State. The Cauvery Water Disputes Tribunal was constituted only for the disputes between Tamil Nadu and Karnataka. The Cauvery Tribunal was constituted when hon. V.P. Singh was the Prime Minister of India. The Tribunal knows fully about the nook and corner of the dispute because it is dealing with only Cauvery water. Despite that, they could not solve the problem till now.

The Tribunal's verdicts have not been honoured by Karnataka. The Karnataka Government has not implemented even the judgment of the Supreme Court. We, in Tamil Nadu, are at the receiving end and because of its non-implementation, the farmers in Tamil Nadu could not do *kuruvai* cultivation for the last eight years. They could not cultivate 20 lakh acres of land. The farmers are virtually starving.

(1525/SNB/KN)

Therefore, already around 8 lakh farmers in the State have suffered because of this. This is not only a loss to the farmers but the country, at large, has suffered a loss of paddy owing to the distress of these farmers. There are no provisions in this Bill to solve these types of cases. There is no mention of it in the Bill. So, on behalf of the Communist Party of India, I oppose the Bill.

Thank you.

(ends)

1526 hours

SHRI RAHUL KASWAN (CHURU): Hon. Chairperson, Sir, I rise to support the Inter-State River Linking Bill, 2019.

महोदय, इस बिल की जरूरत थी। मैं मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। काफी ट्रिब्यूनल्स इस देश में बने हैं और उन ट्रिब्यूनल्स में रावी-व्यास वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की अपने आप में बहुत बड़ी महत्ता है। जब हम इस बिल की स्टडी कर रहे थे, मैं राजस्थान के चुरू लोक सभा क्षेत्र से आता हूँ और चुरू वह क्षेत्र है, रावी-व्यास वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को देखते हुए 33 साल हो गए। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का जो पानी का समझौता हुआ, उस समझौते के तहत राजस्थान को उसके हक का जो पानी मिलना था, उस पानी की सबसे ज्यादा जरूरत, उसकी महत्ता सिर्फ चुरू लोक सभा क्षेत्र के अंदर ही थी। मंत्री महोदय यह बिल लेकर आए हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। जो बिल, 1956 का था, उसमें एक सबसे बड़ा प्रावधान यह था कि ट्रिब्यूनल बना दिया गया और उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं थी। सैक्शन 5 उसको पाँच साल की मोहलत देता है। सैक्शन 5(3) उसको एक साल की एक्सटेंशन देता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अनिश्चित काल तक का टाइम दे सकती है और उसका जीता-जागता सबूत यह है कि रावी-व्यास ट्रिब्यूनल जो 1986 में बना, उसमें आज तक अवार्ड नहीं दिया गया। कावेरी वाटर का डिस्प्यूट जून, 1990 में बना। आज 27-28 साल हो गए। ऐसे में इस बिल की बहुत बड़ी जरूरत थी, बड़ी महत्ता थी। बहुत से ड्रॉ-बैक्स इसमें रहे हैं। इसका इम्पैक्ट जो सोसायटी में पड़ता है, एक अनिश्चितता रहती है, जो किसान खेत में बैठा हुआ है, एक उम्मीद रखता है कि मेरे पास नहर का पानी आएगा, उसकी जमीन एक्वायर हो जाती है। राज्य सरकारें हजारों-करोड़ों रुपये खर्च कर देती है लेकिन पानी कहीं देखने को नहीं मिलता। मेरा ऐसा क्षेत्र है, जो रावी-व्यास एग्रीमेंट हुआ, उसमें 8.60 एमएएफ के पानी का एग्रीमेंट हुआ। This is stated in the Agreement dated 31st December, 1981 regarding sharing of Ravi-Beas water. इसमें साफ लाइन लिखी हुई है- We, the Chief Ministers of Haryana, Rajasthan and Punjab, keeping in view the overall national interest and desirous of speedy and optimum realisation of water of Ravi and Beas do agree that share of Punjab will be 4.22 MAF, the share of Haryana will be 3.50 MAF and share of Rajasthan will be 8.60 MAF. इसमें आगे एक बात यह कही गई, क्योंकि पंजाब ने हमेशा एक नई बात कह दी कि पानी कम हो गया, पानी है नहीं, राइपेरियन स्टेट्स के बारे में बात चल पड़ती है। In case of any variation in the figures of 17.17 MAF in any year, the shares will be changed *pro-rata* of the above revised allocations subject to the conditions. मेरा यह कहना है कि यह जो एग्रीमेंट 31.12.1981 को हुआ, इसमें साइन करने वाले लेट श्री भजन लाल जी, चीफ मिनिस्टर हरियाणा, लेट श्री शिवचरण माथुर जी, चीफ मिनिस्टर राजस्थान और दरबारा सिंह जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेट श्रीमती इंदिरा गांधी थीं। उन्होंने यह एग्रीमेंट बना लिया, सब ने इस पर साइन किए। राजस्थान

को अपने हक का पानी मिलना चाहिए था, उसकी कवायत में आज सालों-साल बीत गए। पंजाब आज बड़ी ईजिली यह बात कह देता है कि राजस्थान को देने के लिए हमारे पास पानी नहीं है।

(1530/CS/RU)

महोदय, मैं आपको स्थायी समिति की रिपोर्ट बताता हूँ, जहाँ पंजाब ने यह बात कही, उनका यह मानना था, पंजाब का यह कहना है कि रिपेरियन स्टेट, कमेटी का यह मानना था कि :

> "The Helsinki rules and Berlin rules can guide the Dispute Resolution Committee. In this regard, the Committee have also been informed that the basic doctrine accepted by the Helsinki rules and Berlin rules is that every basin State is entitled to a reasonable and equitable share in the beneficial uses of waters of a transboundary basin."

सर, ये Helsinki rules and Berlin rules राजस्थान के ऊपर भी लागू होते हैं। हमारे हक का पानी हमें मिलना है। इसी बात को लेकर बात चली और आज 32 साल बाद आप कह रहे हो कि यह पानी आपके हक का है नहीं, तो यह बात कैसे चलेगी। 0.60 एमएएफ पानी हमें आज भी नहीं मिल रहा है।

सर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना बनाई गई। उस लिफ्ट कैनाल योजना के अंदर 2.40 लाख हैक्टेयर जमीन को सिंचित करना था। उसके अंदर से पानी न मिलने के कारण राजस्थान के अंदर रोज धरना-प्रदर्शन हुए। सरकारों ने अंडर प्रेशर में आकर 1 लाख 38 हजार हैक्टेयर जमीन काट दी। आज तक वे लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब पंजाब हमारे हिस्से का 0.60 एमएएफ पानी दे, तो वह जमीन सिंचित हो जाए। पंजाब ने इस कांट्रेक्ट, अवार्ड को अपनी विधान सभा में अघोषित करा दिया। यह अपने आप में देखने की चीज है।

सर, सिर्फ यही एक ऐसा इश्यू नहीं है, इसके अलावा 0.47 एमएएफ पानी भाखड़ा मेन लाइन से राजस्थान को मिलना था। सिद्धमुख नोहर परियोजना का गठन किया गया। राजस्थान की सरकार द्वारा 400 करोड़ रुपये इस योजना पर दिए गए।...(व्यवधान)

सर, मुझे केवल दो मिनट का समय और दीजिए। मैं आपको बता दूँ कि सिद्धमुख कैनाल का नाम सिद्धमुख गाँव के नाम पर रखा गया। वर्ष 2002 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का बजट पूरा कर लिया गया, लेकिन आज तक उसमें एक बूँद पानी भी नहीं आया है। कैनाल का नाम सिद्धमुख कैनाल और उधर से उसमें एक बूँद भी पानी नहीं आया, क्योंकि हरियाणा हमारे हिस्से का पानी हमें देने के लिए तैयार नहीं है। ये ऐसे इश्यूज हैं, जिनके ऊपर बात करनी बहुत जरूरी थी।

सर, अपर यमुना रिवर बोर्ड हिन्दुस्तान का ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है। अभी हाल ही में अपर यमुना रिवर बोर्ड के अंदर से तेजावाला हेड से 250 किलोमीटर दूर कैनाल सिस्टम अंडरग्राउंड पाइप लाइन के द्वारा हमारी कांस्टीट्यूएंसी में आना था। मैंने इस पूरे बिल के अंदर बार-बार यह बात कही कि राजस्थान का हमारा ही क्षेत्र ऐसा है, जो इससे वंचित रहा है। यह बहुत जरूरी है, इसलिए आप मुझे दो मिनट का समय और दीजिए।

सर, कृपया मुझे दो मिनट का समय और दीजिए। मेरा यह कहना है कि यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जिसमें पाइप लाइन से वाटर, तेजावाला हेड से 270 किलोमीटर्स राजस्थान के अंदर अंडरग्राउंड आएगा। हरियाणा के मुख्य मंत्री महोदय ने 15 फरवरी, 2018 को एग्री किया और यह बात साफ-साफ कही। छठी बैठक में हरियाणा के माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि यदि राजस्थान स्वतंत्र नहर बनाता है, अपने हिस्से का जल ले जाने की व्यवस्था करता है, तो हरियाणा को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी।

सर, मेरा यह कहना है कि हरियाणा के इस एग्रीमेंट के बाद, उनके हाँ भरने के बाद राजस्थान की गवर्नमेंट ने इसकी डीपीआर बनाने का काम किया। 22 हजार करोड़ रुपये की डीपीआर बनी। उसके एक साल बाद हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने यह बात कहते हुए मना कर दिया कि राजस्थान के क्षेत्र को हम पानी देने में कामयाब नहीं हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह जो नया बिल आया है, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या 33 साल के इंतजार के बाद में दोबारा से हमें इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा? जहाँ डीआरसी 1.5 साल ले लेगी, ट्रिब्यूनल 5 साल ले लगा, फिर क्या हमें इस पानी को लेने के लिए 8 साल तक इंतजार करना पड़ेगा।

मैं अंतिम लाइन बोलना चाहूँगा। मेरा यह कहना है कि एग्रीकल्चर में इरीगेशन बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 85 परसेंट लैंड सलाइन वाटर से प्रभावित है। Our area is rain-fed. इरीगेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस कभी नहीं आयी। दुनिया भर के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेड हुई है। ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर, पिवोट बेस्ड इरीगेशन का कहीं न कहीं उतना इस्तेमाल नहीं हुआ। फ्लड इरीगेशन आज भी पूरे स्टेट्स के अंदर रैमपेंट है। मैं किसानों को कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर इनिशिएटिव ले। अगर फ्लड इरीगेशन को रोका जाए, तो 50 परसेंट वाटर हम सेव कर सकते हैं। अगर हम 50 परसेंट वाटर सेव करेंगे, तो राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से को पानी मिलेगा।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, सबने यह बात कही है कि इस प्रोजेक्ट को एक एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए सरकार फंडिंग प्रोवाइड करे। हम पैसा देकर वाटर को सेव कर सकते हैं। वाटर का प्रोडक्शन बढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन वाटर को सेव किया जा सकता है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप इस पर ध्यान देंगे। मैं बिल का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

(इति)

(1535/RV/NKL)

1535 बजे

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे अंतर्राज्यीय नदियों के जल और नदी घाटी से संबंधित विवादों के न्यायिक निर्णय के लिए अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मैं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा, जो हमारे मारवाड़ से आते हैं और मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। इस समय मैं विशेष रूप से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करूंगा, जो इस बात को सबसे पहले लेकर आए कि देश के प्रत्येक इलाके के अन्दर नदी-नालों को जोड़ा जाए, जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, वहां बाढ़ न आए, इसके लिए वहां बाँध बनें और जो सूखाग्रस्त इलाके हैं, वहां उन बाँधों से सिंचाई हो, ताकि प्रत्येक किसान का खेत सिंचित हो।

महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इस बिल के ऊपर अपनी बातें जोर-शोर से रखी हैं। मैं राजस्थान से आता हूं। मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा। अभी तक 9 ट्राइब्यूनल्स बने। उसमें 4 ट्राइब्यूनल्स ने अपना काम कर दिया और जो पाँच ट्राइब्यूनल्स, जो अंतर्राज्यीय जल बंटवारे के विवाद की सुनवाई के लिए बने हैं, उनका यह बिल है।

महोदय, चुरु से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी हमारे रावी-व्यास नदी समझौते के बारे में बात की। दिनांक 31.12.1981 को पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के मुख्य मंत्रियों के मध्य रावी-व्यास नदियों के आधिक्य जल के बंटवारे के संबंध में एक समझौता हुआ था। उस समझौते में यह प्रावधान था कि जब तक राजस्थान अपने सम्पूर्ण हिस्से को उपयोग में लेने की स्थिति में नहीं होता, तब तक पंजाब, राजस्थान के आवश्यकता से अधिक पानी को अपने उपयोग में ले सकेगा।

इन्दिरा गांधी नहर प्रणाली के तीव्र विकास के बाद राजस्थान अपने सम्पूर्ण हिस्से के पानी को उपयोग करने की स्थिति में है। राजस्थान सरकार द्वारा अपने हिस्से के शेष 0.60 एम.ए.एफ. जल को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार, पंजाब सरकार तथा भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल को कई बार प्रतिवेदन दिए गए, किन्तु भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल 8.60 एम.ए.एफ. की जगह 8.00 एम.ए.एफ. जल ही राजस्थान को दे रहा है।

सभापति महोदय, हम जब विधायक थे तो पी.ए.सी. के मेम्बर के रूप में एक बार हमने भाखड़ा नंगल बांध, पोंग बांध और इन्दिरा गांधी कैनाल, जो राजस्थान के अन्दर आती है, सबका दौरा किया था। पंजाब के पूरे राज्य के अन्दर, पंजाब की सीमा क्षेत्र के अन्दर से मोटर पम्प के माध्यम से नहर के पानी की चोरी होती है और उस चोरी को रोकने का प्रावधान कहीं भी नहीं है। इसलिए राजस्थान के अन्दर हमारे पानी को लेकर आंदोलन होते हैं। कई बार गोलियां भी चलीं। किसानों की जमीन एक्वायर करके आपने सिंचित क्षेत्र बढ़ा दिया, आप राजस्थान के अन्दर जैसलमेर, मोहनगढ़ तक उसे ले गए, लेकिन वहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि अपने हिस्से का पानी, जो पंजाब और हरियाणा से राजस्थान को मिलना है, वह पानी नहीं मिल रहा है।

पंजाब सरकार द्वारा 'पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम, 2004' पारित कर रावी-व्यास जल से संबंधित सभी समझौतों को रद्द कर दिया गया, जिसमें 31.12.1981 को हुआ समझौता व रावी-व्यास जल से संबंधित सभी समझौते शामिल हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने इस प्रकरण की सुनवाई करके दिनांक 10.11.2016 को राय व्यक्त की है कि "पंजाब अधिनियम संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं कहा जा सकता है तथा अधिनियम के द्वारा पंजाब राज्य पूर्ववर्ती निर्णय एवं हुक्मरानामा तथा दिनांक 31.12.1981 के समझौते को निरस्त नहीं कर सकता।"

राजस्थान सरकार ने दिनांक 25.02.2019 के एक पत्र के द्वारा रावी-व्यास का 0.60 एम.ए.एफ. पानी दिलाने हेतु पंजाब एवं बी.बी.एम.बी. को निर्देश प्रदान करने हेतु भारत सरकार को पुन: निवेदन किया।

सर, आप चेयर पर बैठे हैं तो हमें थोड़ा दो-तीन मिनट का समय दे दीजिए क्योंकि हम इससे बहुत ज्यादा पीड़ित हैं।

महोदय, मैं आग्रह करता हूं कि केन्द्र सरकार राजस्थान के हिस्से का 0.60 एम.ए.एफ. पानी दिलाने की पुख्ता कार्रवाई करे।

सभापति महोदय, चूंकि मैं आर.एल.पी. पार्टी से हूं और एन.डी.ए. का समर्थक दल हूं और इनके साथ खड़ा हूं, तो यह मेरी व्यक्तिगत राय है कि मोदी जी के आने के बाद देश के लोग राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत हैं। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, जहां भी हम जाते हैं, हर आदमी कहता है कि मैं भारतीय हूं और अपने को भारतीय कहने में वह अपना सीना चौड़ा महसूस करता है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह कहीं पर तेल निकलता है तो आप मानते हैं कि यह केन्द्र सरकार की प्रॉपर्टी है, देश की प्रॉपर्टी है तो उसी तरह अगर किसी इलाके के अन्दर ज्यादा पानी है तो उसका राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। हर जगह उसके हिसाब से काम करना चाहिए।

सभापति महोदय, मेरे एक-दो सुझाव हैं।

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Please conclude.

(1540/MY/KKD)

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): सभापति महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं सरकार को एक-दो सुझाव देकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। घटते जल-स्रोत और बढ़ती आवश्यकता हमारी मांग-आपूर्ति के संतुलन को बिगाड़ते हैं। जिस प्रकार से नदी जल विवाद पैदा होता है, उसको लेकर हमारी सरकार ने बड़ी चिंता जाहिर की है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा। अभी सरकार के 100 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और वह ऐसे अनेक बिल लेकर आई हैं। उपभोक्ताओं के लिए संरक्षण बिल आया, न्यूनतम मजदूरी का बिल आया और पानी को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई। हमारे प्रधान मंत्री जी बहुत चिंतित है। आज हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है। मैं मंत्री जी को विशेष धन्यवाद दूंगा। हमारे राजस्थान के अंदर पंजाब से पीने का जो पानी आता है, उसके अंदर लुधियाना की फैक्ट्रियों का दूषित जल छोड़ दिया जाता है, जिससे हजारों लोग कैंसर से पीड़ित हैं। उसमें मेरे

जिले के साथ-साथ बीकानेर, चुरू, गंगानगर और हनुमागढ़ भी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन फैक्ट्रियों पर पाबंदी लगाई जाए।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Hon. Member, please conclude. At 4 o'clock, the hon. Minister would reply, and before that, we have to accommodate four to five more Members also.

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): सभापति महोदय, मैं आपसे कोई आधे घंटे का समय नहीं मांग रहा हूं, मैं केवल एक मिनट ही बोलूंगा। वहां पंजाब सरकार को निर्देशित किया जाए। जो फैक्ट्रियां अपना गंदा पानी नहरों के अंदर छोड़ रही हैं, उन पर रोक लगाई जाए, उनका लाइसेंस रद्द किया जाए और उनके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाए।

सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन यह करूंगा कि हमारी एक सरस्वती नदी थी, जिसके बारे में वेदों में भी वर्णन है। …(व्यवधान)

(इति)

1541 hours

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on the Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019.

The proposed Bill is to amend the Inter-State River Water Disputes Act, 1956. Before I start my speech, I would like to congratulate Shri Varun Gandhi for making a wonderful speech regarding Inter-State Water Sharing Agreements, and the present scenario in our country. I fully support his observations, which he had made just now.

Sir, if we look at the Indian situation, India has 2.4 per cent of the total world's land. Eighteen per cent of the world's population is in India. But we are having only four per cent of the renewable water resources. This is the precarious situation prevailing in our country.

Let us look at the political situation, political equation and political demography of our country. India is a multi-party democratic system of federal governance, and inter-State River Water Disputes are one of the most contentious issues in the Indian federalism. So, in such a system of divergent and political interest, it is very difficult to resolve Inter-State River Water Disputes. It is also hampering the harmonious relationship among the States.

We have bitter experiences of Cauvery Water Disputes between Karnataka and Tamil Nadu, and Sutlet-Yamuna Link Canal Water Disputes. The nexus between water and politics has often subverted and supported the resolution. This nexus between water and politics results in the recurrence of inter-State Water Disputes. I have had the experience as a Minister of Water Resources in the State of Kerala for five years. I had dealt with so many Inter-State Water Agreements in which Tamil Nadu was a party. I had a big dispute with Tamil Nadu and I had convened so many meetings with Kalaignar Karunanidhi-ji trying to resolve the water dispute but nothing could be done. That is the political situation, which is prevailing. There is the Parambikulam Aliyar Project Agreement, which is one of the Inter-State Agreements with Tamil Nadu. Second is the Cauvery Water Disputes in which Kerala is an integral essential partner. We are contributing 20 per cent of the water. Though we have the river basin of Kerala yet unfortunately, we did not get so far. Even the

Cauvery Tribunal Award is not sufficient to meet the water requirement of the State of Kerala.

Sir, coming to Neyyar water conflict, my learned friend has just now spoken about it. On this issue, I, being the Minister of Water Resources in Kerala, had made the amendments of the Dam Safety Authority Act and Kerala Irrigation Water Conservation Act in the State of Kerala.

Sir, we are ready to supply water to the State of Tamil Nadu from Neyyar dam. Our State of Kerala is the most liberal State in the country in regard to supplying water to the neighbouring brother States or sister States.

(1545/SMN/CP)

Nothing is hidden there. We are ready to supply water to Tamil Nadu. Our only condition is that we have made an enactment in the State Legislative Assembly that is, Kerala Irrigation and Water Conservation Act by which the State of Tamil Nadu or whichever be the State, before entering into an agreement of water sharing, the State Legislature has to pass a resolution and our State Assembly has passed a resolution by which we are ready to give water to Tamil Nadu. We have passed the resolution subject to a condition that they should come forward for an agreement under the Act.

But Tamil Nadu is not ready to sign the agreement. …(*Interruptions*) I am not going into the dispute. I am not deviating. We are ready to supply water. …(*Interruptions*) We are ready to supply water to Tamil Nadu. The State of Kerala is the most generous State in the world. In the Inter-State Water agreements, Kerala is the biggest loser. …(*Interruptions*) You can dispute me. I have no problem. …(*Interruptions*) I am seeking protection from the Chair because I am losing my time. If you come to our State, we will mediate. As far as the Neyyar agreement is concerned, Neyyar is not an inter-state river. That is a basic fact. Even then, we are ready to supply water. …(*Interruptions*)

In Siruvani agreement also, we are supplying water. We have no problem. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Hon. Members, let him complete first. You please sit down.

…(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): I will allow you.

…(*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Chairman Sir, I am ready for an open debate. For all the five inter-state agreements, out of which one is not an inter-state agreement, we are supplying water without any consideration. This is the procedure. I am concluding.

My personal experience is this. I strongly believe that judicial adjudication of water disputes will never solve the problem. That is what Mr. Varun Gandhi was also speaking. The best solution is nothing but a political resolution among the States. Disputes must be resolved through dialogues and talks. To ensure cooperative federalism, I reiterate that political resolution through dialogue is required than this judicial adjudication. In this agreement, extra-ordinary delay was caused in the resolution by the Tribunal.

Coming to the present Bill, I fully support and fully welcome the suggestions made by the Government through this that the Disputes Resolution Committees are one of the best mechanisms by which the issue can be resolved and with these words, I support the Bill.

(ends)

1548 hours

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you hon. Chairperson Sir for giving me an opportunity to speak on the Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019. I appreciate the concern of the Government for bringing up this Bill. Time and again, we have seen that these river water disputes between the States have been constantly raised inside the House. There have been disruptions because of this. There have been agitations to the level that whole States have come together and fought for these rights.

So, the concern is very well appreciated and when you look at the Bill, the Bill primarily addresses the problems that these Tribunals have been facing since the establishment of the 1956 Act. As many hon. Members have also mentioned, nine tribunals have been set up. Coming from Andhra Pradesh, I can say that out of all the nine Tribunals, we are included in the four Tribunals – Godavari Tribunal, Krishna Tribunal-I, Krishna Tribunal-II and Vamsadhara Tribunal, which is considering Vamsadhara river which goes through my Constituency. So, 44 per cent of the Tribunals have Andhra as one of the primary stakeholders.

(1550/MMN/MK)

So, considering this, I can say that regarding the problems of the Tribunals, of all the problems that it has been facing over the years, in due course of time, one of the most important one is that the Tribunals have been taking a long time to give the award, the verdict. The second thing is that the establishment of the Tribunals has also been taking time due to various reasons. Sometimes, the appointment of judges takes time. So, regarding the problems of the Tribunals, this Bill definitely addresses these problems. It streamlines them. It gives a better way of addressing this kind of problem. But when it comes to the dispute part of these problems, that has not been properly addressed. There are still loopholes considering the disputes that happen among the States.

Why do these happen? One of the major reasons, like the earlier speakers have also mentioned, is because of the data. When it comes to the data, many experts in the field of Inter-State water disputes have been saying that this Bill is nothing but a change of nameplate. They have said so because it lacks reliable and transparent data for the States to agree. There is a severe

lack of comprehensive data that look at hydrology, meteorology, ecology and economy in an integrated fashion. Most importantly, we are in the digital age. We should be able to predict the future also. That kind of data also should be taken into consideration. When there is no proper reliability on the data, the States cannot agree.

The second thing, which also many speakers have mentioned, is the interference of the courts. We have seen as recent as in the Cauvery Tribunal also that when a verdict is given, that is not being followed. Then, a Special Leave Petition was also moved in the Supreme Court. They had to interfere and do this. How is this going to give importance to this Bill? When the court interferes at every stage, how are we going to get the confidence through this Bill? Even though there is a wording that this is the final verdict, it is not followed. If any State is not agreeing, they will go to the court; and they will raise their concern. When the courts interfere, there is no reason to discuss so much on this Bill. How is the Central Government going to give confidence to each and every State or each and every stakeholder that this is going to be the final verdict and everyone is going to agree?

The third point is, definitely, the States are not going to agree because the most important side of the State is the concern of the State itself. …(*Interruptions*)

Sir, you please give me four minutes' time. I am going to conclude. I am not going to take one second more than the four minutes.

Then, there is a change in population. The population is increasing. The climate change is a factor now. There is irregular and unpredictable monsoon happening now. The groundwater situation is depleting day by day. The agricultural and industrial use of water is increasing day by day. The river course is changing because of encroachments, constructions, mismanagement of the riverbeds and so many other things. Most importantly, because of the political reason, the States are never going to agree. Now, before me, our YSR Party leader has also spoken about it. He has said that both the CM of Andhra Pradesh and the CM of Telangana have agreed within two days of sitting together. I am sure, definitely, the Government is going to change in Andhra Pradesh, and next time when we come to power, we are going to disagree with

it because what they have agreed today is their own political interest and not the interest of the State.

So, when these kinds of things keep happening, then the will of the State is also going to change.

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Please conclude.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Sir, I have asked for four minutes' time. I am going to conclude within two minutes.

Now we see water as an important issue. There have been many experts who have said that if there is going to be a third world war, it is going to be because of water only. Now keeping this in mind, the crux of the problem today is that the States have to agree. Ultimately, it has to be that the States have to agree to whatever Bills we are preparing. The statistics of the NITI Aayog also states that by 2030, if proper steps are not taken, then the supply of water is going to be outstripped. Also, we are facing such situations now. Let it be Chennai or let it be Tirupati. There are many cities which are facing water problems.

Taking these kinds of situations in mind, we, in the Telugu Desam Party, whenever it has been in power under the leadership of visionary Chandrababu Naidu *Garu*, have taken important steps. The hon. Central Minister has appreciated the Neeru-Chettu Programme which has been implemented in the State of Andhra Pradesh. Other than that, there is the dream project of the ex-Prime Minister, Vajpayee Ji's inter-linking of rivers.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): I will conclude in two minutes.

We have done inter-linking of rivers under the leadership of Chandrababu Naidu *Garu*. Krishna and Godavari Rivers have been linked together under the great project of Pattiseema. I would like the Central Government to take this project and implement it across the country.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Sir, I am concluding.

I will come to the last point. So, these programmes that have been implemented in Andhra Pradesh can be taken as pilot projects. While concluding, this is my final point. The water issue is not like land issue.

(1555/VR/RAJ)

Land issue is stagnant and static. Once you give a verdict, it stays on. Water is a very, very dynamic issue. Even at this point of time, we took six years to solve one issue through this Bill. After six years the Government is now giving its verdict. So, these are all very dynamic things. We want a decision right now. …(*Interruptions*)

(ends)

1555 hours

SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH (MANDYA): Thank you, hon. Chairperson, Sir, for giving me this opportunity to participate in the discussion. …(*Interruptions*)

The Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019 is a very important Bill. There might be many disputes between various States. But there is no dispute in the fact that today water is the most precious commodity. It is not just a legal issue, it is also an emotional issue and a very highly sensitive issue which needs to be addressed in the most appropriate and conscious manner. If it is not dealt appropriately, the survival of human race will be very, very difficult. Therefore, the proposal by the Government to constitute a single tribunal to adjudicate disputes relating to inter-State river water is very welcome and I support it.

Under the present mechanism, there are inordinate delays and huge expenses incurred by various Governments. I hope this Bill will go a long way towards reducing the time and the losses incurred by the Government. This adjudicating mechanism is heavily based on data. I would like to request the Government to make it clear how and what kind of mechanism is proposed to be put in place to collect this information. At the end of the day, the tribunal adjudicates based on the investigation of water availability. This is why data plays such a very significant role in the judgement.

I would like to suggest that there should be a better mechanism for institutional support. The state-of-the-art technology should be made available for data base so that there is no ill-feeling among the people of various States concerned. The long festering problems of the States should be solved by ensuring equal justice. Here, I would like to emphasise on the word 'equal justice' because all these years, we, the people of Karnataka, have not been given equal justice. I hope this Bill will do away with all the apprehensions of the people of Karnataka.

I would like to draw the attention of this august House and also the Union Government to some of the significant facts related to the Cauvery water sharing issue. The Cauvery river originates in Talakavery in Karnataka and flows into Tamil Nadu, Puducherry and Kerala. The sharing of water between the two large

States was decided by the British-Indian Government between the Madras Presidency and the small Princely State of Mysore.

These two major southern States have many things in common such as culture, linguistics and food habits, etc. from time immemorial. However, the sharing of Cauvery river water has always been a point of conflict. Unlike the Himalayan rivers, the Deccan rivers are not perennial. They are fed only by the monsoon. Therefore, they fluctuate in volume according to the seasons. The Cauvery river is fed by seasonal monsoon rains and several other tributaries. So, in times of heavy rainfall, there is flooding. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Please conclude.

SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH (MANDYA): Sir, we have waited for 100 years for justice. Please allow me a few more minutes. For the first time, I am participating in the discussion of a Bill. I request you to give me a few more minutes.

While speaking on the debate, an hon. Member from Tamil Nadu said that Karnataka has been in contempt of the Court order. I would like to place a few facts. The full reservoir level of Krishna Raja Sagar (KRS) Dam is 124.8 feet. But this year due to insufficient rainfall the water level is between 85 to 86 feet.

(1600/SAN/IND)

The level in the same month of 2018 was 124 feet. So, there is no disputing the fact that my State, at present, is drought-hit and there is no drinking water in more than150 talukas at present. So, the question arises as to how and from where the water should be released.

However, I do not think that Karnataka has ever been in contempt of the court orders and has always obeyed the court orders. We have been peace loving and stood in cooperation with our beloved neighbours always.

The tribunal says that 740 tmc water is available in the entire Cauvery basin. …(*Interruptions*) Sir, I am requesting you for just a few minutes. I am the only one speaking from Karnataka on this Bill. …(*Interruptions*) If so, why only 270 tmc for our State? …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Madam, your allotted time is five minutes and you have already taken that. Please conclude now. The reply was scheduled to be at 4 o'clock.

SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH (MANDYA): Sir, I will conclude faster.

I just want to share a few concerns as to why we feel that the State of Karnataka is not being given equal justice in sharing of Cauvery River water. After the State reorganisation, the sharing of water became a serious issue and we are being asked to follow, referred and directed by, rules made during the British era.

Sir, I would like to point out that Bengaluru is hub of the IT-BT and is accounting for 35 to 40 per cent of the software exports from India. We are aiming to be a 5-trillion dollar economy in five years and if you ignore the water woes of a city like Bengaluru, it is not going to happen.

Sir, this Government has actively done away with many obsolete Acts dating the pre-Independence era. So, when it comes to such an important issue like water, why are we being continually referred to the rulings made during the British era, which does not take into account the present factors?

Experts fear, God forbid, that the third world war, if at all it happens, it will happen for water. We do not want such a situation with our neighbours. We want to live in harmony and peace. We do not want a situation where Tamilians have to hide their origin in Karnataka or a Kannadiga lives in fear in Tamil Nadu.

Thank you.

(ends)

1603 hours

SHRI BRIJENDRA SINGH (HISAR): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for affording me this opportunity to speak on the Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019. Sir, this also happens to be my maiden speech in the House. So, I seek your indulgence with regard to the time allotted.

Sir, I rise to support this Bill wholeheartedly and I say 'wholeheartedly' because I sincerely mean it as I come from the State of Haryana that has had to suffer from the inadequacies of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956; not only the inadequacies of the 1956 Act, but also from the intransigence, the obduracy and even recalcitrance of the other State to the dispute, which is Punjab.

Sir, without going into the long history of it, still a brief timeline of the Ravi-Beas water dispute or its more popular manifestation, the Satluj-Yamuna Link Canal, is essential to understand how we have reached where we are. Haryana was formed in 1966. After that, the first allocation of surplus Ravi-Beas River waters was made in the year 1976. Thereafter, Haryana mooted the construction of SYL canal to carry the waters allocated to it and it completed its part of the SYL canal, about 92 kilometres, by June, 1980. However, there was no progress from Punjab side. Ultimately, an agreement was signed which was also mentioned by Shri Rahul Kaswan. A tripartite agreement of 1981 was signed among Punjab, Haryana and Rajasthan. This agreement was also signed by the then Prime Minister of India, Shrimati Indira Gandhi. What this agreement did essentially was that it re-allocated the waters which were available. Now, the availability was shown to be at 17.17 maf as against the earlier 15.85 maf.

(1605/RBN/PC)

Punjab was allocated 4.22 MAF; Haryana was allocated 3.5 MAF; Rajasthan was allocated 8.6 MAF; and Jammu and Kashmir and Delhi were allocated 0.65 and 0.2 MAF respectively.

The construction of SYL Canal was inaugurated on 11th April, 1982. It is not a coincidence that the current Chief Minister was also part of this inauguration ceremony. Thereafter, the situation became tense, followed by *dharnas*, *jatthas*, *morchas*, agitations, and protests, which ultimately led to the Punjab settlement, popularly known as Rajiv Longowal Accord. It was this

Accord which provided for the water allocation by a Tribunal. …(*Interruptions*) The Tribunal submitted its Report in 1987. This Report, surprisingly, came in less than a year. As some clarifications were sought under section 5 (3) of the Act of 1956, even after 36 years, it has not come to any conclusion.

Thereafter, a lot of things have happened. A lot of water has flown down Ravi and Beas. Since you are not allowing me to speak much longer, let me just mention the two Acts which the Punjab Government has enacted. In July 2004, the Punjab Legislative Assembly passed the Punjab Termination of Agreement Act, 2004 discharging them from the obligation mandatorily cast on them by the Supreme Court judgement of 2004. It does not end there. In March 2016, they again passed the Punjab Sutlej Yamuna Link Canal Land (Transfer of Property Rights) Act, 2016 paving the way for returning 5,376 acres of land required for the construction of the canal.

I want to say that it is not just a techno-legal issue as a lot of other Members have mentioned. It is essentially a political issue. But there is something called the constitutional propriety. Ultimately the Constitution has to be upheld. Punjab has been thumbing its nose at the Constitution, at the Government of India and at the Supreme Court.

I hope this Bill will go a long way in addressing the issues as it provides for a new Tribunal to be formed and for the dissolution of the previous Tribunal dealing with Ravi-Beas waters. It is supposed to start its work from where the previous Tribunal left off, which gives me hope that this will be concluded in one-and-a-half-years' time because the matter before it is under section 5 (3) of the Act of 1956.

With these words, I thank you once again and I support this Bill.

(ends)

1608 hours

* SHRI PRATAPRAO JADHAV (BULDHANA): Thank you very much Hon. Chairman Sir. Today, I will speak in my mother tongue. Hon. Chairman, an amendment bill on Inter-State River Water Dispute Act – 1956 and a new bill has been introduced by the Minister of Jal Shakti Ministry Shri Gajendra Singh Shekhawat and I rise to support this bill on behalf of my party Shiv Sena.

Hon. Chairman, many members have already highlighted the importance and necessity of this bill and hence I would not reiterate that. We have witnessed severe disputes between states in our country which took ugly turns. These disputes continued in the Tribunals and the Supreme Court for years together and they failed to deliver justice to the people. Hence, I would like to thank our late Prime Minister Atal Behari Vajpayee for introducing the River-Linking Scheme. He tried his level best to connect and divert rivers towards drought ridden areas. Our then Shiv Sena Minister Suresh Prabhu ji was the Chairman of River Linking Committee. But tenure of that Government completed in 2004 after that the incumbent UPA Government ignored this project completely. But after that, Modi Government has come to power and it has been expediting this project. Hon. Chairman Sir, as we Know, rainfall is lesser day by day. I hail from the Vidarbha region of Maharashtra. This area is infamous for farmers suicides and they only reason behind these suicides is the non-availability of irrigation facilities. One Dandekar Committee was constituted in the year 1985 in Maharashtra to examine the irrigation facility and its backlog in Vidarbha region. But, the Congress-NCP coalition Governments of Maharashtra did not try to fulfill this irrigation projects backlog of Vidarbha. On the contrary, they diverted the funds meant for irrigation projects in Vidarbha towards their own region and constituencies. You have brought this bill to settle the disputes between states but these inter-state disputes are increasing day by day. We can even see disputes within the state. Some areas or regions within the state are ignored deliberately. This issue should also be addressed and the necessary provision should be made in this bill.

---

*Original in Marathi.

Hon. Chairman Sir, kindly give me two more minutes. I will conclude I would like to share one more thing. Vainganga-Nalganga Rivers Linking Project Report has been submitted to the Central Government and if you kindly extend this project by 45 km, farmer suicide ridden 6 districts of Vidarbha namely Buldhana, Washim, Yavatmal, Wardha, Chandrapur and Amravati would get great relief in terms of water availability. Out of 117 TMC water of Vainganga river ravine flows into the sea. 70-80 TMC water should be diverted towards the Godavari Ravine which could help to minimize farmers suicides. These areas are facing acute shortage of drinking water. Vidarbha is a backward region and we have no water for industrial purpose. If this water is lifted, it could be used for industrial purposes which would help in employment generation in that region. Hence, I would like to request Hon. Minister that Vainganga-Nalganga Project should be extended to Painganga river for the benefit of Vidarbha and Marathwada regions. It would solve the problem of drinking water there. With these words, I support this bill and conclude.

Thank you.

(ends)

1614 hours

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI):

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri P.Raveendranath Kumar in Tamil,
please see the Supplement. (PP 89A to 89C)}

(P.89-A)

*SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI) : Hon. Chairman Sir, Vanakkam. Thank you for this opportunity for allowing me to speak on Inter State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019. Rivers which flow in our country are gifts from God and nature. Rivers are for development and livelihood of the people. Due to separation of States, rivers are also bound to be separated. The rivers are separated by human beings, and their flow is affected due to several situations in the States besides various political issues. Tribunals were set up for resolving such issues. But the disputes are on the rise despite the continuous efforts of these tribunals. I am aware of the fact that Hon. Prime Minister Shri Narendra Modi has brought this Bill in order to find a permanent solution to these river-water sharing related issues. I also wholeheartedly appreciate the foresighted vision of creating a new Jal Shakthi Ministry under an able Minister to look into all the water-related issues. As regards my State, Tamil Nadu, two major rivers play an important role in the livelihood of the people. One is Mullaiperiyar and another one is river Cauvery. The west flowing river Mullaiperiyar of Kerala should be diverted eastwards towards Tamil Nadu benefitting the Theni, Madurai, Dindugul, Sivagangai, Virudhunagar and Ramanathapuram districts of Tamil Nadu benefitting more than 70 acres of land in these areas will be benefitted. This is the lifeline and the source of water for more than 1 Crore people of Tamil Nadu. The Cauvery river basin is spread over 81,155 sq km, in the States of Karnataka (34,273 sq.km.); Kerala (2866 sq km); and Tamil Nadu and Puduchcherry (44,016 sq km.). It provides irrigation facilities to a cultivable area of more than 14 lakh hectares benefitting more than 80 lakh people. This river Cauvery is the lifeline of the people of delta districts. Because of the sincere efforts of our beloved leader Hon. Puratchithalaivi Amma, the height of water storage level of Mullaiperiyar dam was raised to 142 feet and the verdict of the Cauvery River Water Tribunal was published in the Union Gazette.

---

* Original in Tamil

(P.89B-89C)

I wish to register here that Hon. Amma protected the interests of the people of Tamil Nadu by getting such a historical verdict. I am duty-bound to place mainly four demands pertaining to Tamil Nadu for the consideration of Hon. Minister on behalf of my AIADMK party and the Tamil Nadu Government. I urge that this Bill should not be affecting the rights of the State Government as enshrined in the Constitution of India. Water-starved States affected by severe drought and monsoon failure should be given priority. When a particular State wishes to construct a dam on rivers, that State Government should get the consent of the neighbouring States or the lower riparian States. Any State wishing to construct a dam should also get the approval of the Chief Minister and the recognized political parties of the affected State. I request that this Group should include Prime Minister, Minister, Judges besides the representatives of farmer associations who have been felicitated by the State or Union Governments. I wholeheartedly appreciate the efforts and hard work put in by Hon. Prime Minister in improving the economy of our country. I request the Hon. Minister to consider my demands pertaining to Tamil Nadu in protecting the interests of the people of Tamil Nadu and providing justice to them. Thank you.

(ends)

1618 बजे

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिल अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक-2019, अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के न्याय को सरल एवं कारगर बनाने तथा वर्तमान विधेयक को संतुलित बनाने के लिए है। यह विधेयक अनेक अधिकरणों के स्थान पर एकल स्थायी प्राधिकरण का उपबन्ध करने के लिए है।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने पहली बार एक नया जल शक्ति मंत्रालय बनाकर पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को साकार करने का कार्य किया है। पूर्व प्रधान मंत्री जी के दो सपनों को साकार करने के लिए आदरणीय मोदी जी ने मन की बात में ठाना था। उन्होंने गांव के उस अन्नदाता के बारे में सोचा था कि गांव से गांव सड़क बन जाए। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना लेकर माननीय प्रधान मंत्री जी ने और माननीय गडकरी जी ने पिछले 5 सालों में सड़कों को जोड़ने का काम लगभग पूरा कर दिया है।

महोदय, दूसरा सपना, जो नदी से नदी जोड़ने का है, जिसे यह मंत्रालय करेगा, वह पूरा होता दिखाई दे रहा है। जैसा कि सभी ने बताया है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और नॉर्थ ग्लेशियर से सारा पानी आता है। करीब 70 हजार क्यूसेक पानी जो आता है, उसमें से 40 हजार क्यूसेक पानी, जैसा कि अभी एक साथी ने बताया था, खेती के लिए उपलब्ध हो जाए, 10 हजार क्यूसेक पानी, पेयजल के लिए हो जाए तो मैं समझता हूं कि देश की पूरी आर्थिक व्यवस्था सुधर जाएगी। इस पानी को डैमों में या किसी नदी में कनवर्ट किया जा सकता है, क्योंकि साउथ से नॉर्थ में पानी जाना आसान काम नहीं है, लेकिन नॉर्थ से यदि साउथ की ओर पानी आए तो उसे डायवर्ट किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि राजस्थान प्रदेश के विधान सभा क्षेत्र के एक चुनाव में माननीय प्रधान मंत्री जी की अजमेर में एक सभा हुई थी।

(1620/SJN/SPR)

उसमें ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी। राजस्थान राज्य की काली, सिंध, चंबल इत्यादि नदियों का पानी राज्य के 13 जिलों के लिए होगा, जिसमें टोंक-सवाई माधोपुर और कोटा भी आता है। इस परियोजना में लगभग 40,451 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसमें से इन 13 जिलों में पेयजल की आपूर्ति के साथ ही साथ लगभग 2.3 लाख हेक्टेयर नए सिंचित क्षेत्र की सिंचाई के लिए प्रस्तावित किया गया है। इसका कार्य लगभग तीन चरणों और सात सालों में पूरा किया जाना है। यह किसानों के लिए अति महत्वपूर्ण एवं जीवनदायी परियोजना है।

अध्यक्ष महोदय, 40,451 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के लिए राजस्थान की बीजेपी सरकार ने इसका डीपीआर स्वीकृत करके केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) को भेजा था, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है और वह अभी भी पेंडिंग है। मेरा मंत्री जी से यह निवेदन है कि इस परियोजना को केन्द्र सरकार राष्ट्रीय

परियोजनाओं में शामिल करे और केन्द्र सरकार इसको अपने अधीन लेकर जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करे, ताकि राजस्थान के लोगों को पीने का पानी मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, बनास नदी से पूरे टोंक के साथ ही साथ हम आपके यहां भी पानी देते हैं और इसी के साथ-साथ हम आपसे भी लेंगे। हम जयपुर को पानी देते हैं, अजमेर को पानी देते हैं, अभी उसमें सिर्फ नौ दिनों का पानी शेष बचा है। अभी बारिश नहीं हुई है। उसमें अभी तक पानी नहीं आया है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस बीसलपुर बांध का निर्माण वर्ष 1987 में प्रारंभ किया गया था, जो वर्ष 1999 में पूर्ण हुआ है। नदी का कुल जलग्रहण 48,018 वर्ग किलोमीटर है। बीसलपुर बांध स्थल तक कुल जलग्रहण 27,726 वर्गमीटर है। इस नदी में जलभराव सिर्फ 38.70 टीएमसी है और पूर्ण भराव की स्थिति में वाष्पीकरण के पश्चात् शेष उपयोगी क्षमता 24.20 टीएमसी रह जाती है। उसमें से 16.20 टीएमसी अजमेर और जयपुर जिले की पेयजल की व्यवस्था को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ ही ईसरदा बांध है, क्योंकि यह मेरे जिले का मामला है, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि इसके लिए पहले 530 करोड़ रुपये का बजट था। लेकिन अब इसके लिए फिर से 1,856 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। मैं यह समझता हूं कि इसको दो चरणों में पूरा करना तय किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए। इसके अंदर जो जमींदार और किसान आते हैं, उनको नए भूमि अधिग्रहण बिल के अनुसार मुआवजा दिया जाए, तब उनको विस्थापित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर में दुब्बी बनास नदी पर एक एनीकट बनना है। हमारी पूर्व की बीजेपी सरकार ने उसको स्वीकृत किया था, लेकिन अभी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उसने उसको पेंडिंग किया हुआ है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन है कि करीब 33 करोड़ रुपये की लागत से यह एनीकट बनना है। इसको भी स्वीकृत कराने की कोशिश की जाए, ताकि हमारे क्षेत्र में पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी की पूरी व्यवस्था हो सके।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इस सभा के अंदर सिर्फ लोक सभा की ही कार्यवाही चलेगी, अलग से कोई मीटिंग नहीं होगी। इस तरफ भी नहीं होगी और उस तरफ भी नहीं होगी।

1623 बजे

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 जैसे महत्वपूर्ण बिल पर जल की महत्ता को समझते हुए सदन के लगभग 21 सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इन जल विवादों का समयबद्ध निर्णयन हो…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अपनी सीट पर बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जल विवादों के समयबद्ध निर्णयन को लेकर लाए गए इस बिल की विवेचना करते हुए सभी माननीय सदस्यों जैसे आदरणीय मनीश तिवारी जी, आदरणीय डॉ. सत्यपाल सिंह जी, श्री दयानिधि मारन जी, श्री कल्याण बनर्जी जी, श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी जी, श्री महाबली सिंह जी, श्री भर्तृहरि महताब जी, श्री नामा नागेश्वर राव जी, श्री सुनील तत्तात्रेय तटकरे जी, श्री एच. वसंतकुमार जी, श्री फिरोज़ वरुण गांधी जी, श्री ए. एम. आरिफ जी, श्री एम. सेल्वराज जी, श्री राहुल कस्वां जी, श्री हनुमान बैनिवाल जी, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, श्री राम मोहन नायडू जी, श्रीमती सुमलता अम्बरीश जी, श्री बृजेन्द्र सिंह जी, श्री प्रतापराव जाधव जी, श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार जी और श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया जी, ऐसे 21 सदस्यों ने अपने अनुभव, अपने विवेक, अपने ज्ञान और कुछ-कुछ अपनी प्रतिबद्धताओं को लेकर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं।

(1625/GG/UB)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन सभी सदस्यों ने जिस तरह से अपने विचार व्यक्त किए हैं, और निश्चित रूप से हम सभी मानते और जानते हैं कि जल का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ – श्री वरुण गांधी जी और श्री प्रेमचन्द्रन जी का कि इन्होंने इस बिल के परिप्रेक्ष्य से हट कर भी जल के विषय की महत्ता को प्रतिष्ठापित करने की बात कही है। उन्होंने इस बात का संज्ञान सदन में कराते हुए कि भारत जल के विषय में किस तरह से एक आसन्न खतरे के सामने खड़ा है, और कुछ सदस्यों ने, माननीय प्रधान मंत्री जी ने जिस तरह से इस आसन्न खतरे को कॉम्बेट करने के लिए जिस तरह से काम प्रारंभ किया है, उसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात तय है कि दुनिया की 18 प्रतिशत आबादी और दुनिया की 18 प्रतिशत से भी ज्यादा पशुधन आबादी वाले इस देश में जहां केवल चार प्रतिशत रिप्लेनेशिबल वॉटर हमारे पास में है, निश्चित रूप से हमारे लिए एक चिंता का विषय है। जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि जिस तरह का खतरा क्लाइमेट चेंज के कारण हमारे सामने है, उस खतरे के कारण भी हमारे सामने समस्याएं और अधिक बढ़ने वाली हैं। इसलिए निश्चित रूप से यह समय की मांग और आवश्यकता है कि हम जल के क्षेत्र में उचित प्रबंधन की दिशा में सोचना प्रारंभ करें। हम केवल सप्लाई साइड के साथ-साथ डिमांड साइड की भी रचना प्रारंभ करें। निश्चित रूप से सारी राजनैतिक प्रतिबद्धताओं के लोग जो इस सदन में बैठे हैं, और

जितने भी प्रदेशों के माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, मैं उन सभी से आग्रह करूंगा कि यह समय है, इस समय पर हमको कनविक्शन के साथ निर्णय लेना पड़ेगा और हमको विचार करना पड़ेगा कि किस तरह से हम अपने जल के उपभोग को ज्यादा ज्यूडिशियस कर सकते हैं, विवेकपूर्ण कर सकते हैं, अन्यथा एक समय ऐसा आएगा कि कम्प्लशन के साथ शायद हम सबको इस तरह का काम करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किए हैं, मैं उन विचारों के परिप्रेक्ष्य में, जो कुछ सदस्यों ने विचार व्यक्त किए, शायद सभी लोगों ने कुछ कॉमन विषयों पर बात की है। लेकिन कुछ माननीय सदस्यों जो विचार व्यक्त किए हैं, जो कुछ आशंकाएं-शंकाए व्यक्त की हैं, उनके बारे में मैं आपके माध्यम से उनका कुछ समाधान करने का प्रयास करूंगा।

महोदय, इस बिल पर सबसे पहले चर्चा करते हुए विद्वान वकील आदरणीय मनीष तिवारी साहब ने अपनी बात करते हुए कहा कि राज्यों के साथ कनसल्टेशन नहीं किया गया। हालांकि मुझे लगता है कि वे शायद उस समय नहीं थे जब महताब साहब अपनी बात कह रहे थे। महताब साहब ने भी, जब मैंने बिल को इंट्रोड्यूज़ किया था, उस दिन आदरणीय अधीर रंजन चौधरी और भृतृहरि साहब ने इस आकांक्षा, अपेक्षा और आशंका के साथ में कि राज्यों के साथ कनसल्टेशन नहीं किया गया है, उन्होंने उस दिन भी इस बात पर प्रतिवाद किया था। लेकिन मैंने उस दिन भी इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा था और मैं शायद यह सोचता हूँ कि उस दिन शायद आदरणीय मनीष तिवारी जी उस समय नहीं थे, उस समय भी मैंने कहा था कि सन् 2013 में जब इस बिल की रचना की गई थी, तब इसे सभी राज्यों के पास कनसल्टेशन के लिए भेजा गया था। कनसल्टेशन के बाद जो बिल ड्राफ्ट तैयार हुआ, उस ड्रॉफ्ट बिल को बाद में स्थायी समिति के पास भी भेजा गया था और समिति की तमाम अनुशंसाओं को स्वीकार करते हुए, इस बिल को सदन में विचार के लिए लाया गया है।

महोदय, माननीय मनीष तिवारी जी ने अपनी बात कहते हुए कहा कि रावी-ब्यास ट्रिब्यूनल का जो निर्णय था, वह निर्णय लीगल इनफर्मिटी के कारण पब्लिक नहीं किया जा सका। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सदन को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि वर्तमान एक्ट में जो प्रदत्त व्यवस्था है, 5(2) में अवार्ड होने के बाद में आर्टिकल 5(3) में एग्रीव्ड पार्टी पुनर्विचार के लिए, पुनर्समीक्षा के लिए आवेदन कर सकती है। इस ट्रिब्यूनल में पुनर्विचार के लिए आर्टिकल 5(3), जो एक्ट के उपबंध 5(3) के तहत वापस पुनर्विचार की याचिका दायर होने के कारण से उसे पब्लिश नहीं किया जा सका।

(1630/KN/KMR)

माननीय सदस्य ने पब्लिकेशन के विषय को लेकर भी चिंता व्यक्त की। हालांकि मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में यह बात कही थी कि हमने इस बिल में इस बात का प्रावधान किया है, क्योंकि इस तरह के विषय संज्ञान में आए थे कि सरकारों ने विभिन्न समयों पर जो अवार्ड ट्रिब्यूनल्स ने पारित किए, आज वर्तमान सरकार के पास भी इस तरह की शक्ति है, यह बिल जब तक न पारित हो, कोई ट्रिब्यूनल्स यदि अवार्ड पारित करता है तो उसे अंतहीन समय तक रोका जा सकता है।

लेकिन वर्तमान बिल विचार के लिए आज यहाँ विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसमें हमने इस बात की व्यवस्था की है कि इस पब्लिकेशन की आवश्यकता न पड़े और साथ ही साथ इस बात का उपबंध भी किया गया है, जैसे संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप जो अवार्ड होगा, वह अवार्ड बिना पब्लिकेशन के ही सुप्रीम कोर्ट की डिक्री के समतुल्य माना जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा माननीय सदस्य ने मेनटेनेंस ऑफ डेटा के बारे में चिंता व आशंका व्यक्त की। माननीय श्री मनीष तिवारी जी ने कहा कि हम डेटा की आउटसोर्सिंग करना चाहते हैं और डेटा की आउटसोर्सिंग शायद प्रदेशों के लिए आपदा का कारण बन सकती है, उनके हितों पर कुठाराघात कर सकती है। मैं माननीय सदस्य और सदन को आपके माध्यम से विनम्रतापूर्वक अवगत कराना चाहता हूँ कि भारत सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। हम जितना भी डेटा इसके लिए कंसल्ट करेंगे, उपयोग करेंगे, वह सारा डेटा सीडब्ल्यूसी या इसके अतिरिक्त अन्य भारत सरकार की संस्थाओं के डेटा के आधार पर ही इन सभी विषयों पर विचार करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री दयानिधि मारन साहब ने चिन्ता व्यक्त करते हुए यह कहा कि इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद, कानून बन जाने के बाद कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का क्या भविष्य होगा?

मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूँ कि यह विधेयक वर्तमान में हमने प्रस्तावित किया है, इसमें हमने वर्तमान एक्ट की धारा 6(ए) को किसी भी तरह से परिवर्तित नहीं किया है। जो भी कोई बॉडी इस धारा 6(ए) के माध्यम से, जो वर्ष 1980 के एक्ट के अमेंडमेंट के बाद बनी थी, उन सारी ऐसी संस्थाओं चाहे सीडब्ल्यू में हो, चाहे नर्मदा वाटर मैनेजमेंट के लिए जो संस्था एनसीए बनी हुई है, वे सारी संस्थाएँ एज इट इज काम करेंगी। उनमें किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं आएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री कल्याण बनर्जी साहब ने चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा था और उन्होंने प्रश्न किया था, मुझे आज लगता है, वैसे मैं श्री कल्याण दा के लिए यह बात कह सकता हूँ कि वे हमेशा बहुत पढ़ कर आते है। लेकिन मुझे आज लगता है कि पार्टी ने श्री कल्याण दा को यहाँ आने के बाद में तय किया था कि वे इस विषय पर बोलेंगे। उन्होंने जो प्रश्न किया, वह प्रश्न कम से कम मैं श्री कल्याण बनर्जी साहब से अपेक्षा नहीं कर रहा था कि वे इस तरह का प्रश्न करेंगे कि कितनी बेंचेज बनाई जा सकती हैं? हमने वर्तमान में जो विधयेक प्रस्तुत किया है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जितने वाद होंगे, जितने ऐसे विवाद होंगे, उन विवादों के अनुसार ही बेंचेज की संख्या तय होगी। जितने विवाद होंगे, उसके अनुरूप ही उतने बेंचेज बनाए जाएँगे और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी प्रश्न किया कि जो एक बेंच बनेगी, उसमें कितने मैम्बर्स होंगे? चेयरपर्सन या डिप्टी चेयरपर्सन जो भी उसमें होगा, जो उस बेंच को चेयर कर रहा है, उसके अतिरिक्त एक ज्यूडिशियल मैम्बर और उसके अतिरिक्त एक एग्जिक्यूटिव या एक्सपर्ट मैम्बर होगा। ज्यूडिशियल मैम्बर के संबंध में माननीय श्री कल्याण बनर्जी साहब ने चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा था और उन्होंने बहुत बहुमूल्य सुझाव दिया था। अपने अनुभव के आधार पर इन्होंने कहा था कि ज्यूडिशियल मैम्बर की राय को हमेशा सुप्रीम माना जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जो व्यवस्था हमने प्रस्तावित की है, इस व्यवस्था में है कि चेयरपर्सन या डिप्टी चेयरपर्सन जो उस बेंच के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा, वह निश्चित रूप से ज्यूडिशियरी का ही मैम्बर होगा। इसलिए मुझे लगता है कि आपकी यह चिन्ता या आशंका निर्मूल है और यह आशंका मेरे इस उत्तर से निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। माननीय श्री कल्याण बनर्जी साहब ने मुझे हँसते-हँसते कहा था कि सारी बेंचों के दिल्ली में ही हैडक्वाटर्स क्यों होते हैं? वर्तमान में जो विधयेक है, इसके आर्टिकल सैक्शन 4(ई) में इस बात की व्यवस्था की है कि किसी भी बेंच का अध्यक्ष यदि चाहे तो वह देश के किसी भी शहर में उसकी बैठ कर सुनवाई कर सकता है। वह वहाँ उसकी सुनवाई के लिए जा सकता है, वहाँ रह कर सुनवाई कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह का प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है।

(1635/CS/SNT)

मेरे मित्र मिधुन रेड्डी जी ने इस बिल को सपोर्ट किया, लेकिन बिल को सपोर्ट करते हुए साथ-साथ उन्होंने टाइम लाइन के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए जो यह 1.5 साल की समय-सीमा दी गई है, यह बहुत कम है। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सारे सदस्यों ने इस बात को समवेत स्वर से स्वीकार किया है कि पानी का विषय नदियों के जल और विशेष रूप से अंतरराज्यीय नदियों के जल का बंटवारा बहुत जटिल विषय है। इसकी जटिलता को देखते हुए यह आवश्यक था कि इस तरह का समय का उपबंध किया जाए। इसके साथ ही साथ उन्होंने तीन साल के समय (टू प्लस वन एक्स्टेंडेबल) के बारे में भी कहा कि यह समय भी कम होना चाहिए। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस बात के साथ-साथ कहा कि, leaders with golden heart and magnanimity, वे बैठकर इन विषयों को दो दिन में सुलझा सकते हैं। उन्होंने अपनी स्टेट का उदाहरण दिया और उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे राज्य के मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री और उसके अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री, इन सबने साथ बैठकर दो घंटे में ऐसी समस्या का समाधान किया है। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूँ कि इसी तरह का गोल्डन हार्ट आप एक बार फिर दिखाएं। आप अपने उन सारे नेताओं को बिठायें और मैं अनुरोध करूँगा कि जो कृष्णा ट्रिब्यूनल-2 चल रहा है, जो आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्य के 811 टीएमसी पानी के बंटवारे को लेकर है, इसी तरह की महानता, गोल्डन हार्ट दिखाते हुए, आप लोग एक साथ बैठकर उसका समझौता कर लें, project-wise distribution and allocation of water का समाधान कर लेंगे, तो निश्चित रूप से एक ट्रिब्यूनल का भार समाप्त हो जाएगा और यह पहल इस देश में एक बहुत बड़ी पहल के रूप में जानी जाएगी।…(व्यवधान)

महोदय, आर्टिकल 262 के बारे में बात करते हुए मिधुन रेड्डी साहब और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने कहा। आर्टिकल 262 में निश्चित रूप से प्रावधान है और मैं इस आर्टिकल को एक बार फिर पढ़ना चाहता हूँ।

Article 262 (2) says:

"Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may by law provide that neither the Supreme Court nor any other court shall exercise jurisdiction in respect of any such dispute or complaint as is referred to in clause (1)."

निश्चित रूप से यह व्यवस्था संविधान के द्वारा दी गई थी, लेकिन जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट और जिस विषय के बारे में बहुत सारे माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की, मैं मानता हूँ कि इसके लिए शायद एक और कोई कानून ऐसा बनाना पड़ेगा या उसकी आवश्यकता है कि एक बार इस तरह के ट्रिब्यूनल्स में निर्णय होने के बाद में कोर्ट जिस तरह से हस्तक्षेप करता है, उसकी आवश्यकता न पड़े।

महोदय, भर्तृहरि महताब साहब ने जो कहा, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से इस बिल का समर्थन किया, जब मैंने बिल को यहाँ प्रस्तुत किया था, उस समय जिस विषय को लेकर उन्होंने बिल का विरोध किया था, उसी विषय पर जब मैंने अपने प्रत्युत्तर में बात कही थी कि हम ड्यू कंसल्टेशन के बाद यह बिल लाए हैं, उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए उस बात का आज उल्लेख भी किया। इफेक्टिव इम्प्लिमेंटेशन को लेकर माननीय भर्तृहरि महताब साहब ने अपनी चिंता व्यक्त की थी। मैं एक छोटे से विषय को आपके सामने रखना चाहता हूँ और वह यह है कि To give effect to the jurisdiction of a tribunal, section 6A was inserted. सैक्शन 6(ए) के माध्यम से यह तय किया गया था कि जो भी कोई अवार्ड पारित होगा, उसके लिए एक स्कीम लागू की जाएगी और उस स्कीम के माध्यम से उस अवार्ड को इम्प्लिमेंट कराने का प्रयास किया जाएगा।

माननीय भर्तृहरि साहब ने जो चिंता व्यक्त की थी और कर्नाटक के विषय का उल्लेख करके जो चिंता व्यक्त की थी, मैंने कहा कि संविधान में जो प्रदत्त व्यवस्था है, उसके अनुरूप ट्रिब्यूनल्स को जो पावर है, वह सुप्रीम कोर्ट की डिक्री के बराबर है। फिर भी उसके बारे में आगे जिस तरह की चिंता सभी माननीय सदस्यों ने की है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उन विषयों को लेकर, बाद में उनमें संज्ञान लेकर उसमें सुनना तय किया है, निश्चित रूप से हम सब लोगों को बैठकर उसके ऊपर विचार करके उसका मार्ग खोजने की आवश्यकता है।

महोदय, माननीय भर्तृहरि महताब साहब ने अपनी चर्चा के दौरान रिवर बोर्ड एक्ट की बात की थी। रिवर बोर्ड एक्ट निश्चित रूप से इतने वर्षों से पड़ा है। हमने इस दृष्टिकोण से वर्तमान समय में प्रासंगिक और ज्यादा इफेक्टिव रिवर बेसिन मैनेजमेंट बिल तैयार किया है।

(1640/RV/GM)

मुझे लगता है कि आने वाले समय में शीघ्र ही हम उस बिल को यहां प्रस्तुत करेंगे। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप सबके सहयोग से यह बिल भी पारित होगा।

महोदय, कावेरी का जो अवार्ड पारित हुआ है, उसके बारे में माननीय भर्तृहरि महताब साहब ने कहा कि वह अवार्ड आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को

और सदन को इससे अवगत कराना चाहता हूं कि यह पूर्ण सत्य नहीं है कि कावेरी का अवार्ड इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। कावेरी का जो अवार्ड था, उस अवार्ड के बाद हमने कावेरी वाटर मैनेजमेंट ऑथोरिटी का निर्माण किया है। इसके साथ-साथ हमने कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी को भी कंस्टीट्युट किया है। उन दोनों ने अपना काम करना प्रारम्भ कर दिया है। इसलिए ऐसे में ऐसा कहना अभी थोड़ा जल्दी होगा कि इस दिशा में किसी भी तरह का काम नहीं हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डेटा को लेकर भी बहुत सारे माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की। बहुत सारे केसेज डेटा से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से रिलायबल डेटा, किसी भी तरह के डिस्प्यूट के रिजॉल्यूशन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत सरकार ने 'नेशनल वाटर इन्फॉर्मेटिक्स सेन्टर' का प्रावधान किया है, जहां देश के सारे डेटा रखे जाएंगे। उसमें सी.डब्ल्यू.सी., आई.एम.डी. आदि जितनी भी संस्थाएं इस देश में काम करती हैं, उन सब संस्थाओं के डेटा को एक जगह पर रखकर उनकी प्रोसेसिंग प्रॉपर होगी और ए.आई. बेस से उसका समाधान किया जाएगा।

अभी कल ही हमने 'INDIA-WRIS' नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कुछ सदस्यों ने अभी बेसिन एप्रोच के साथ इन सब विषयों को देखने की चर्चा की थी। हमने देश भर के सारे जल संसाधनों के डेटा को एक साथ रखा है। चाहे वह पानी रिवर बेसिन में हो, चाहे भूगर्भ में जो पानी है, उन सब विषयों का एक साथ डेटा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से इस प्लेटफॉर्म को हमने कल ही लॉन्च किया है। हमने कल सारे राज्यों के स्टेकहोल्डर्स को आमंत्रित किया था और उनकी उपस्थिति में ही कल इसे लॉन्च किया था। मैंने राज्यों के प्रतिनिधियों से भी इस बात के लिए आग्रह किया था।

महोदय, मैं आंध्र प्रदेश राज्य की सराहना करना चाहता हूं कि जिस तरह से आंध्र प्रदेश ने अपने यहां डेटा क्रिएट किया है और डेटा को कलेक्ट करने का जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया है, वैसे ही अगर सारे राज्य अपने-अपने डेटा को इस प्लेटफॉर्म पर इसी तरह शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से यह हमारे पास एक बहुत ही बड़ी और उपयोगी रिपॉजिटरी होगी कि आने वाले समय में इस तरह के विषय को लेकर हमारे देश में किसी के भी मन में नहीं रहेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अपने-अपने वक्तव्यों में जो कहा है, इन सारे विषयों का मैंने अपनी तरफ से उत्तर देने का प्रयास किया है। चूंकि मैं जैसलमेर, जोधपुर से आता हूं, जो सबसे कम पानी वाला प्रदेश है, मैं एक बात जानता हूं कि हमको पानी के मैनेजमेंट के ऊपर निश्चित रूप से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि पानी को न तो ट्राइब्यूनल पैदा कर सकेगा और न ही कोर्ट पैदा कर सकेगा। जितना पानी वर्ष 1951 में उपलब्ध था और जनसंख्या तीन गुनी होने के कारण उसका लगभग एक-तिहाई पर-कैपिटा पानी, 1500 क्यूबिक मीटर पानी प्रति व्यक्ति के हिस्से में आ रहा है। इसलिए हम सबको एक साथ बैठ कर इस बात पर विचार करना पड़ेगा क्योंकि जब हम यहां बैठ कर आज विचार कर रहे हैं तो हमें अपने प्रदेश की चिंता से ऊपर उठकर समग्र रूप से इस देश की चिंता करनी पड़ेगी और आज की स्थिति से ऊपर उठकर तीस साल बाद भारत की क्या परिस्थिति होगी, वर्ष 2050 के भारत में पानी की क्या स्थिति होगी, इसके बारे में

विचार करना पड़ेगा। अगर हम उस परिप्रेक्ष्य में चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से इसका समाधान निकलेगा क्योंकि डेफिसिट बेसिन में हमेशा ही इस तरह के विवाद रहेंगे। पानी की कमी होने पर निश्चित रूप से इस तरह के विवाद रहेंगे। जैसा कि महाबली सिंह जी पानी की अधिकता होने की भी चिंता कर रहे थे तो दोनों ही विषयों में इस तरह की समस्याएं रहेंगी। हम सब लोगों को एक साथ बैठ कर समग्र रूप से इस पर विचार करना पड़ेगा।

महोदय, ये जो विवाद लम्बित हैं और अनेक वर्षों से लम्बित हैं, इन विवादों का समयबद्ध रूप से समाधान हो सके, इनका ज्यादा ट्रांसपैरेंट और इफेक्टिव समाधान हो सके, इसके लिए हमने यह बिल प्रस्तावित किया है। मैं एक बार फिर सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि आप सब मिल कर इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करें, ऐसी आप सब से अपेक्षा करता हूं।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

(1645/RK/MY)

SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM):

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri Thol Thirumaavalavan in Tamil ,
please see the Supplement. (PP 99A)}

(P.99A)

1645 hours

*SHRI THOL THIRUMAA VALAVAN (CHIDAMBARAM): Hon. Speaker Sir, Vanakkam. This is a sensitive issue. The aim of this Amendment Bill is primarily not to solve the issues between the States but to mainly accumulate the powers for the Union Government.'Centralisation and Monopolisation' is the main motto of the Union Government. My view point is that this is not acceptable in any way. Many tribunals are being amalgamated to make a single standing tribunal and powers of appointment of the Chairman, Vice-Chairman and Members of the tribunal will be vested with the Union Government. The State Governments have no powers as per this Bill. Tamil Nadu is the worst affected State in the country due to river- water sharing issues. Naturally, Tamil Nadu is low lying area. There are frequent river-water sharing disputes between the neighbouring States like Kerala, Karnataka and Andhra Pradesh. Several Tamils were killed because of violencewhich erupted as a result of river-water sharing issues. I want to register here my views as Tamil Nadu is the worst affected State. I want to ask the Union Government whether is there any proposal to interlink all the rivers of south India so as to find a permanent solution to our river-water sharing disputes between the States because, it is not only a legal issue but a political issue, as well. What is the plan that is with the Union Government to find a political solution for this pertinent issue? I want to know whether the Union Government is having any proposal to at least link the south Indian rivers? I want to ask,if so, whether the Union Government will engage itself in execution of such a plan. Thank you for this Opportunity. Vanakkam

(ends)

---

* Original in Tamil

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मैं यह जानना चाहता हूं, मान लीजिए कि यह फर्स्ट जेनरेशन ट्रिब्यूनल और सेकेंड जेनरेशन ट्रिब्यूनल है। जिस ट्रिब्यूनल में जो अवार्ड दिया जा चुका और उसके बाद आपको यह लगे कि इस अवार्ड में शायद हमें और कुछ करना चाहिए, तो क्या इसके लिए किसी इलैस्टिक एक्शन का प्रबंध है? अगर पिछले ट्रिब्यूनल में कुछ खामियां रह गई हैं, तो क्या अभी इस ट्रिब्यूनल द्वारा उन खामियों को दूर करने के लिए इसमें किसी इलैस्टिक एक्शन का प्रावधान है? यह मेरा पहला सवाल है।

दूसरा, यह जो डिसीजन लिया गया है, आपने कह दिया कि इसमें इम्प्लिमेन्टेशन करने का प्रावधान है, लेकिन इसका जो इम्प्लिमेन्टेशन है, चाहे वह अवार्ड हो, चाहे वह पेनाल्टी हो, इसके ऊपर जो डिसीजन है, क्या उसका ठीक तरीके से पालन नहीं होता है? क्या आपके पास डिसीजन रिव्यू कमेटी का कोई प्रावधान है?

सर, मेरा एक और मुद्दा यह है कि आज हम हिन्दुस्तान के अंदर इन्टर-स्टेट रिवर्स डिस्प्यूट की बात करते हैं, लेकिन हमारे साथ पाकिस्तान का सिंधू रिवर डिस्प्यूट है, चाइना के साथ ब्रह्मपुत्र रिवर डिस्प्यूट है। यह जो ट्रिब्यूनल है, इस ट्रिब्यूनल को बेस बनाकर हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय डिस्प्यूट है, उसके लिए हम क्या योगदान कर सकते हैं?

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): हम तो पढ़ कर नहीं आए हैं, लेकिन हमारे मंत्री जी बहुत ज्यादा पढ़ कर आए हैं। आप तो बहुत पढ़ कर आए हैं। In the beginning of your speech, you have confused me. You have said that the Bench would have one Chairman, one Vice-Chairman, three judicial members and three expert members. It comes to eight members. The Bill says that a Bench consisting of a Chairperson or Vice-Chairperson as the presiding officer with one judicial member and one expert member, may be constituted. It comes to one Bench consisting of three members. Two Benches can be constituted. In that case, the number comes to six. What about the remaining two members?

(1650/PS/CP)

You are saying eight members. It is your debate. You have started with that. It is not that I have said so. You just check your debate. You have confused me. You have said eight members – one chairperson, one vice-chairperson, three judicial members and three experts. This would consist of eight members. This Bill is talking about two Benches, which means three plus three. Then, what would the two members do? Is there any necessity to appoint eight members or six members?

Now, I come to the sitting of the tribunal at Delhi. If you kindly remember, in front of the hon. Law Minister, I had said this. I am taking the privilege of the presence of the hon. Law Minister not only on this Bill. Why should every

tribunal's office be at Delhi? We are not restricted to this place. But I am taking the privilege of the presence of the hon. Law Minister. हम बहुत कम पढ़ते हैं। आप ज्यादा पढ़ते हैं। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। हम इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं। हम कम इंटेलिजेंट आदमी हैं। इसको आप समझा दीजिए।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, माननीय कल्याण बनर्जी साहब ने अभी एक आशंका व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मैंने कनफ्यूज किया। मुझे लगता है कि शायद मेरी अल्पबुद्धि से मैं उनको समझा नहीं पाया। ट्रिब्यूनल में आठ सदस्य होंगे, यह तय है। मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में यह बात कही थी कि हम पांच ट्रिब्यूनल्स को एक साथ सबज्यूम करने वाले हैं। जब पांच ट्रिब्यूनल्स के लिए बेंचेज़ बनाएंगे, तो केवल दो बेंचेज़ से पांच ट्रिब्युनल नहीं चलेंगे। एक सदस्य मल्टीपल बेंचेज़ का सदस्य हो सकता है। इन सारी समस्याओं का समाधान उसमें निहित है। बिल में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है। यह बेंचेज़ की कांस्टीट्यूशन में भी है, रिमूवल ऑफ सदस्य में भी है। दोनों जगह पर उल्लेख है कि मल्टीपल बेंचेज़ हो सकती हैं। कोई भी दो आदमी आइडल नहीं रहेंगे और न ही दो बेंचेज़ के कारण से, वर्तमान में जो ट्रिब्युनल काम कर रहा है, ऐसा विवाद अनआंसर्ड रहेगा। …(व्यवधान) Chairperson and vice-chairperson can also preside multiple benches. …(*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Whenever the chairperson is not there, anybody can preside. Two persons are remaining extra.

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Hon. Speaker, Sir, I would like to thank the hon. Minister for clarifying our doubts and allaying the fears of the people of Tamil Nadu when he said that the Cauvery Management Board will stay.

The specific question which I raised during the debate was this. At the time of distress, when the Cauvery Management Board had ordered for release of 9.19 tmc as early as 20th May, 2019, it was not released. What powers do you have to take action when the States do not obey the orders?

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, hon. Speaker, Sir, for giving me the opportunity.

I would like to seek a small clarification. I have already mentioned it in my speech also. If any State goes to the court saying that the data which has been used by the Tribunal is un-reliable or irrelevant, what is going to be the Government's stand in those cases?

SHRI PRATHAP SIMHA (MYSORE): Hon. Speaker, Sir, Maran Ji is raising an issue of Cauvery Management Board.

माननीय अध्यक्ष : इसका जवाब माननीय मंत्री जी दे देंगे। मंत्री जी से कोई स्पष्टीकरण पूछना हो, तो आप पूछिए। यह कर्नाटक या तमिलनाडु की विधान सभा नहीं है। आपको मंत्री जी से कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए।

SHRI PRATHAP SIMHA (MYSORE): But he is making a political issue. Every time these people of Tamil Nadu are infamous for picking a fight with us. When we do not have the water, how can we release the same? …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री मनीष तिवारी जी। No Karnataka, no Tamil Nadu. Please sit down.

(1655/MK/RC)

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने विधेयक में यह कहा है कि ट्रिब्यूनल के जो चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन होंगे उनका अस्तित्व स्थायी होगा, पांच वर्ष के लिए या जब तक वे 70 साल की आयु पूरी न कर लें। लेकिन, जो बाकी सदस्य हैं, तीन जूडिशियल और तीन एक्सपर्ट मेम्बर्स उनकी स्थिति स्थायी नहीं होगी, को-टर्मिनस होगी डिस्प्यूट के साथ। अगर कोई सदस्य एक से ज्यादा बेंच पर बैठ रहा है तो जब तक दूसरे का फैसला नहीं होता तब तक वह कंटीन्यू कर सकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या रैशनल है? जब आप चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन को एक परमानेंट टेन्योर दे रहे हैं तो बाकी मेम्बर्स को भी परमानेंट टेन्योर क्यों नहीं दे देते, पांच साल का, साढ़े चार साल का, जैसे आप ठीक समझें?

मेरा दूसरा स्पष्टीकरण यह है कि मंत्री जी ने विधेयक में कहा कि जो ट्रिब्यूनल का फैसला होगा, उसको वही दर्जा दिया है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है। यही प्रावधान पिछले विधेयक में भी था, उनका भी जो फैसला था, दर्जा था, वह उच्चतम न्यायालय के फैसले का दर्जा था। दोनों में फर्क यह है कि वहां पर गजट नोटिफिकेशन होता था यहां पर आपने गजट नोटिफिकेशन के प्रावधान को हटा दिया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय के फैसलों का क्रियान्वयान इसलिए होता है क्योंकि संविधान की धारा-141, धारा-142 और धारा-144 के तहत यह उत्तरदायित्व सरकारों और हर सिविल अथॉरिटीज का बनता है। आप उसको क्रियान्वित कीजिए। अगर आपके ट्रिब्यूनल का फैसला आ भी गया और आपने उच्चतम न्यायालय के फैसले को दर्जा दे भी दिया तो आप उसको क्रियान्वित कैसे कराएंगे? यह मेरा आपसे सवाल है।

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी जो सेक्शन 4-बी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें कम्पोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल है। कम्पोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल के लिए सेलेक्शन कमेटी है। सेलेक्शन कमेटी में या तो माननीय प्रधान मंत्री जी होंगे या उनके द्वारा नोमिनेटेड मिनिस्टर होंगे या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या उनके द्वारा नोमिनेटेड सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। अगर प्रधान मंत्री जी चेयरपर्सन होंगे, मान लीजिए अगर वे किसी

मिनिस्टर को नोमिनेट कर दें तो वे चेयरपर्सन होंगे। यदि प्रधान मंत्री जी मिनिस्टर को नोमिनेट करते हैं तो वह चेयरपर्सन होगा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मेम्बर होंगे। यहां एनोमलीज आ रही हैं, तो मैं चाहता हूं कि इसको क्लेरिफाई किया जाए।

मेरा दूसरा प्वाइंट यह है कि जो चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन हैं, वे सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि उनके जो सिटिंग जजेज हैं वह चीफ जस्टिस से पूछकर अपॉइंट करेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस का हवाला प्रोविसो में नहीं आया है।

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी एक पॉइंट में पूरे हाउस में डेटा के बारे में जिक्र किया है। क्लेरिफाई करने के समय उन्होंने बताया कि सीडब्ल्यूसी से डेटा लेंगे। मगर बिल ने कंफ्यूजन किया है, इसमें कहा गया है कि appoint or authorized any agencies. any agencies का शब्द बोलने की वजह से पूरे हाउस में डाउट आया। अभी सीडब्ल्यूसी बोल कर उसे क्लैरिफाई किया है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि सीडब्ल्यूसी के डेटा के अनुसार आपने एक बात बताई थी कि तमिलनाडु में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। वहां के लोगों की तरह देश के अन्य भागों में भी समस्या है। मद्रास जैसे बड़े शहर में पीने के पानी की समस्या को पूरा भारत देख रहा है। आपने हमारे सीडब्ल्यूसी के मेन पॉइंट का रिप्लाई नहीं किया है। हमारा मेन पॉइंट यह था कि सीडब्ल्यूसी के डेटा के अनुसार 70,000 टीएमसी वाटर एवेलेबिलिटी है और उसमें से बहुत सारा पानी समुद्र में जा रहा है। पूरे देश में एग्रीकल्चर के लिए, पीने के लिए 40,000 टीएमसी तथा 10,000 टीएमसी पानी इंडस्ट्री के लिए चाहिए।

(1700/RAJ/SNB)

हम लोगों ने उसके बारे में रिक्वेस्ट की थी। आप नेशनल वाटर पॉलिसी लेकर आइए और इस तरह के झगड़े को खत्म कीजिए। मंत्री जी इसको क्लैरिफाई करें।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Speaker, Sir, I have two issues to raise before the hon. Minister. This Bill is about Dispute Resolution Mechanism. Can water dispute resolution be done by bartering principles?

जो पुरानी व्यवस्था थी, वह ज्यादातर राजस्थान में होती थी।

Sir, I am citing an instance, keeping my State in view, if some areas of Odisha are being submerged by Polavaram project, then the State of Andhra Pradesh may allow equivalent quantity of water of Balimela project for use by the State of Odisha. This can be worked out. Why pin down an issue, a dispute with that dispute itself when there are a number of other rivers where both the States are sharing? This bartering principle is not enshrined in this Bill. I would like to know if the Government will consider this.

Sir, the second point is about what Shri Manish ji mentioned referring to my speech. I have an amendment to move to that effect. The point is, when any State Government fails to comply with the decision of the Bench of the Tribunal, shall it be a sufficient ground to presume breakdown of constitutional machinery within that State?

माननीय अध्यक्ष : श्री सुशील सिंह जी, आप अंतिम वक्ता हैं।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहूंगा कि तीन-चार राज्यों में पानी की आपूर्ति के लिए चाहे वह सिंचाई हो या पेय जल हो, उस समय मध्य प्रदेश और बिहार के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे *'बाण सागर समझौता'* कहते हैं। हमारे सहयेागी महाबली सिंह जी ने भी इस पर अपनी बात सदन में रखी है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि वह जो समझौता हुआ था, अब जिसको कहा जाता है कि यह कोई जल का विवाद है। उस समय दो राज्य मध्य प्रदेश और बिहार थे, लेकिन अब इससे प्रभावित होने वाले चार राज्य हैं – मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। यह समझौता हुआ था, लेकिन हर बार यह बात उठती है कि एग्रीमेंट के अनुसार बिहार को उसके हिस्से का जल नहीं मिल रहा है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वह जो समझौता हुआ था, क्या आप उसे पूरी तरह से लागू कराने की दिशा में कोई व्यवस्था बनाना चाहेंगे?…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी,

माननीय सदस्य आपको अनुमति नहीं दी गई है।

…(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने आशंकाएं व्यक्त की हैं और क्लैरिफिकेशंस मांगे हैं। अधीर रंजन जी ने रीविजिटिंग ऑफ अवार्ड्स के बारे में बात की है। कुछ अवार्ड्स हुए थे, जब ट्रिब्यूनल्स ने अवार्ड दिए थे, इन चारों अवार्डस में कुछ टिब्यूनल्स ने इस बात का उल्लेख किया था कि एक सर्टेन टाइम के बाद, जैसे कि नर्मदा वाटर ट्रिब्यूनल ने जो अवार्ड दिया था, उसमें वर्ष 1979 में कहा था कि 45 साल बाद इसे रिव्यू किया जा सकेगा। ठीक इसी तरह से कृष्णा वाटर डिसप्यूट ट्रिब्यूनल-1 ने वर्ष 1976 में अवार्ड दिया था। उस अवार्ड की समयावधि वर्ष 2000 में समाप्त हो गई और समाप्त होने के बाद उसी आधार पर कृष्णा वाटर डिसप्यूट ट्रिब्यूनल-2 बनाया गया था, जो अब इस प्रस्तावित विधेयक में subsume होगा।

(1705/IND/RU)

अध्यक्ष जी, आने वाले समय में या समय बीत जाने के बाद या प्रस्तावित समय सीमा के बाद यदि किसी तरह के नए डिस्प्यूट के कारण कोई ट्रिब्यूनल बनाना पड़ेगा, तो राज्य सरकारें उसके लिए अप्रोच करेंगी, तो निश्चित रूप से इस नए विधेयक की व्यवस्था में एक नयी ट्रिब्यूनल बैंच बनाई जा सकेगी। अधीर रंजन जी ने दूसरी इम्प्लीमेंटेशन ऑथोरिटी की बात कही। मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि इम्प्लीमेंटेशन ऑथोरिटी बनाने का जो उपबंध है, उसके अनुरूप जिस तरह से वर्ष 1980 में नर्मदा वाटर डिस्प्यूट का फैसला हुआ था, उसके बाद इस विधेयक में जो संशोधन किये गये थे, उसके अनुरूप इसमें व्यवस्था है। जो ऑथोरिटी बनती है चाहे वह नर्मदा वाटर मैनेजमेंट ऑथोरिटी हो या जितनी भी ऑथोरिटीज बनी हैं, वे इस विषय की पालना करने के लिए उत्तरदायी हैं। माननीय दयानिधि मारन साहब ने पांच ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात कही है। उन्होंने स्ट्रैस के समय जब पानी नहीं दिया, उसकी बात कही है। मुझे लगता है कि अन्य सदस्यों ने उसका जवाब दिया है।

यदि पानी एवेलेबल होगा, तो निश्चित रूप से पानी दिया जाना चाहिए। इन सारे विषयों का और ज्यादा स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट हो, इसके बारे में हम सभी को मिलकर विचार करना पड़ेगा।

अध्यक्ष जी, मेरे मित्र राम मोहन नायडू जी ने डेटा की रिलायेबिल्टी के बारे में बात कही है। मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी इस बात की चर्चा की थी और अपने कंक्लूसिव रिमार्क्स में भी इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि हमारे डेटा की रिलायबिल्टी और ज्यादा बढ़े, इसके लिए हमने नई व्यवस्था की है। मैंने अभी उल्लेख किया था कि सीडब्ल्यूसी, आईएमडी के हमारे पास जितने भी डेटा हैं, उन सभी को जोड़कर हमने एक प्लेटफार्म क्रिएट किया है और उस प्लेटफार्म पर सारे डेटा एवेलेबल हों। स्टेट से जो डेटा आए हैं, उनको एक बार रिविजिट करके वैरीफाई कर सकें और उसके आधार पर वे पब्लिक डोमेन में एवेलेबल रहें, ताकि सभी लोग उसे देख सकें और वे सबके लिए ट्रांसपेरेंसी से उपलब्ध हों, इसकी हमने व्यवस्था की है। कल ही इंडिया वारियर्स प्लेटफार्म प्रारम्भ किया है। श्री मनीष तिवारी जी ने सदस्यों के टर्म के बारे में कहा है कि मैम्बर्स का टर्म उस अवार्ड के साथ ही सीमित क्यों रखा है? यदि सदस्य किसी दूसरे ट्रिब्यूनल की बैंच में काम कर रहा है, तो उसकी कार्यावधि लगातार बनी रहेगी। चूंकि अभी पांच ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं। यदि किसी एक ट्रिब्यूनल का काम समाप्त हो जाता है और यदि वह मैम्बर किसी दूसरे ट्रिब्यूनल में नहीं है और हम सभी यह अपेक्षा करते हैं कि इस तरह के विवाद भविष्य में और न बढ़ें। कोई भी व्यक्ति जैसा आपने प्रश्न करते समय भी कहा था और श्री कल्याण बनर्जी ने भी कहा था कि दो लोग स्पेयर हो जाएंगे, इसलिए कोई भी स्पेयर न रहे, इस दृष्टिकोण से इस बात की व्यवस्था की गई है।

आदरणीय पी.पी. चौधरी ने कहा कि प्रधान मंत्री जी ने अगर अपनी जगह नोमिनी रिप्रेजेंट कर दिया और सीजीआई यदि उसमें आएंगे, तो उस वजह से कुछ अव्यवस्था हो सकती है। हमने ऐसा उपबंध किया है कि सीजीआई भी ऐसी स्थिति में अपने नोमिनी को भेज सकें, ताकि इस तरह की एम्बेरेसिंग स्थिति न बने। नामा नागेश्वर जी ने नेशनल वॉटर पालिसी बनाने की बात कही है। नेशनल वॉटर पालिसी आलरेडी हिंदुस्तान में है और जो 70 हजार टीएमसी पानी समुद्र में जाता है, वह निश्चित रूप से भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत के एक हिस्से में अकाल पड़ता है और दूसरे हिस्से में हर साल बाढ़ आती है। अभी असम और बिहार, दोनों राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। इसके अतिरिक्त भी देश के बहुत सारे हिस्सों में बाढ़ की स्थिति है और देश के कुछ हिस्सों में सूखे की स्थिति भी है। यह आदर्श स्थिति होगी कि हम ऐसी व्यवस्था कर सकें, लेकिन इसके लिए राज्यों को और राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व को खुले मन से साथ आना पड़ेगा। यदि सभी लोग साथ आएंगे, तो निश्चित रूप से ऐसी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

मैंने आप सभी लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया है।

(1710/NKL/PC)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

खंड 2

माननीय अध्यक्ष : श्री कोडिकुन्निल सुरेश – उपस्थित नहीं।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am not moving amendment No. 44.

माननीय अध्यक्ष : श्री टी. एन. प्रथापन – उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3

माननीय अध्यक्ष : श्री भर्तृहरि महताब, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I am not moving amendment Nos. 1 to 12.

माननीय अध्यक्ष : श्री कोडिकुन्निल सुरेश – उपस्थित नहीं।

प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

Page 2, line 25,--

for "shall not be re-opened"

substitute "shall re-open if new issues arise". (29)

Page 2, line 28,--

after "amicably"

insert "within a period of six months". (30)

Page 2, line 42,--
for "one year"
substitute "six months". (31)

Page 3, line 9,--
for "three months"
substitute "two months". (32)

Page 3, lines 47 and 48,--
for "after he has attained the age of sixty-seven years"
substitute "for a period of five years or till the age of seventy years, whichever is earlier". (33)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 29 से 33 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

<u>संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।</u>

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I support the Bill. While speaking on the Bill, I fully supported it. My only point regarding all these amendments is that immediately after coming into the force of the National Tribunal, all matters will be transferred to the Tribunal. The point which I would like to mention is that suppose, an adjudication is at the end stage and within one month, two months, or three months, the matter can be adjudicated, then, why should it be sent to the Tribunal? Then, the entire proceedings will have to be recommenced. So, it is quite unnecessary. Therefore, three months or six months' time may be given for it. These are my amendments. These are very positive amendments. Kindly consider these amendments so that it helps the Government.

I beg to move:

Page 2, line 15,--
for "all"
substitute "the Central Government shall seek report from the existing Tribunals with regard to the stage and time

required for disposal of the pending disputes within a period of three months and if the report of the existing Tribunal requires more than one year time for adjudication of the pending disputes, such". (45)

Page 2, line 22,--

after "re-appointment"

insert "on the condition that such existing Tribunals shall stand dissolved and the water disputes pending adjudication before such existing Tribunals shall stand transferred to the Tribunal". (46)

Page 2, line 25,--

after "Act 2019"

insert "and within fifteen months subsequent to the commencement of the Inter-State Water Disputes (Amendment) Act 2019". (47)

Page 4, line 7,--

after "other interest"

insert "or has been directly or indirectly involved in the subject matter at any point of time". (48)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 45 से 48 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : श्री टी. एन. प्रथापन – उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4

माननीय अध्यक्ष : श्री भर्तृहरि महताब, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, most of the amendments in this Clause are, instead of "Central", use "Union", which is the version in the Constitution. Whence forth, in "Central Government", the word "Central" has come in, that needs to be changed. That is my amendment. I hope, the Government understands it, and henceforth, go with "Union" instead of "Central".

I am not moving amendment Nos. 13 to 19 but just trying to draw their attention.

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

Page 4, line 43,--
for "period of two years"
substitute "period of one year". (34)

Page 5, lines 1 and 2,--
for "period of two years"
substitute "period of one year". (35)

Page 5, line 3,--
for "one years".
substitute "six months". (36)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 34 से 36 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 4, line 33,--
after "adjudication"
insert "with the concurrence and approval of the respective State Governments". (49)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 49 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री टी. एन. प्रथापन – उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

(1715/SPS/KKD)

खण्ड 5

माननीय अध्यक्ष: श्री भर्तृहरि महताब, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I am not moving my amendment.

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am moving my amendment Nos. 37to 38.

I beg to move:

Page 5, line 13,--

after "Water Engineering Service,"

insert "or Central Water Commission." (37)

Page 5, line 22,--

after "Government of India"

insert "and who shall not be a domicile to any of the States which are party to the dispute,". (38)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खण्ड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 37 और 38 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 6

माननीय अध्यक्ष: श्री भर्तृहरि महताब, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, it is an issue, which I had raised earlier also. It should give some teeth to this Tribunal that it will be binding on the parties of the dispute and also where any State Government fails to comply with the decision of the Bench of the Tribunal, there shall be sufficient ground to presume breakdown of constitutional machinery within that State. So, I am moving these amendments.

I beg to move:

Page 5, *after* lines 39 and 40,--

omit "and binding on the parties to the dispute". (21)

Page 5, *after* line 41,

insert "(2) Where any State Government fails to comply with the decision of the Bench of the Tribunal, there shall be a sufficient ground to presume breakdown of constitutional machinery within that State.". (22)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा खण्ड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 21 और 22 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

<u>संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।</u>

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने"।

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

<u>खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

खण्ड 8

माननीय अध्यक्ष: श्री भर्तृहरि महताब, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, if I have heard the Minister correctly, he has accepted these amendments. So, I need not move it again. I am not moving my amendments Nos. 23 and 24.

माननीय अध्यक्ष: श्री कोडिकुन्निल सुरेश, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I am moving my amendment No. 28

I beg to move:

Page 6, line 5,--

for "an agency which shall maintain"

substitute "a Government agency with proven integrity protocols to maintain". (28)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री कोडिकुन्निल सुरेश द्वारा खण्ड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 28 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 10

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am moving my amendments Nos. 39 to 41.

I beg to move:

Page 6, lines 24 and 25,--

for "three months"

substitute "one month". (39)

Page 6, line 28,--

after "offices"

insert "immediately". (40)

Page 6, line 34,--

after "parent cadre"

insert "immediately". (41)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खण्ड 10 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 39 से 41 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

<u>संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।</u>

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 10 विधेयक का अंग बने"।

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

<u>खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

खण्ड 12

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

Page 7, *after* line 24,--

insert "Provided that the bi-lateral agreements and disputes between two States pending since before Independence shall stand transferred to the Tribunal.". (42)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खण्ड 12 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 42 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

<u>संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।</u>

(1720/KDS/RP)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 12 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>

<u>खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

खण्ड 13

माननीय अध्यक्ष: श्री सौगत राय जी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

Page 7, line 36,-

for "three months"

substitute "one month". (43)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री सौगत राय द्वारा खंड 13 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 43 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

<u>संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 13 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

- - - - -

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

PUBLIC PREMISES
(EVICTION OF UNAUTHORISED OCCUPANTS)
AMENDMENT BILL

1722 hours

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर 6, सरकारी स्थान। अप्राधिकृत अधि भूमियों की बेदखली संशोधन विधेयक 2019

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Hon. Speaker, Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971, be taken into consideration."

Sir, by way of introduction, I want to recall that the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 was enacted to ensure that we have a system of rules and regulations which can be used in order to ensure that public premises are occupied only by those who are authorized for that occupation. This legislation, enacted in 1971, has already been amended on five earlier occasions.

Hon. Speaker, Sir, the Government provides residential accommodation to hon. Members of Parliament, Government employees, officers and other dignitaries. These allotments are for the duration that the designated persons occupy the posts.

This residential accommodation is a perquisite of office and, if I may submit, a privilege which certain sections of our society like hon. Members of Parliament, Ministers of the Government, public servants, Central Government and employees enjoy. Indeed, the Judiciary, the Judges of the High Courts, are also having this privilege and I could list several other categories of entitled or, if I may also use the term, privileged persons. However, in certain compelling circumstances such as retirement, transfer, deputation, proceeding on study leave, resignations, dismissal or in the event of death, retention of such accommodation is permitted by the Directorate of Estate for specified periods of time.

(1725/RCP/SJN)

For instance, when a civil servant is due to retire at the designated age of 60 years, he or she is always aware that when they reach the age of superannuation, which is 60, they will be required to vacate the Government allotted residential accommodation. In order to provide a cushion, in order to facilitate that transition, the Government has also formulated rules that the designated officer will be allowed to retain that accommodation for six months after that date. The period of retention for hon. Members of Parliament is one month.

The attempt of the Government and the Directorate of Estates is always to try to provide accommodation to those who are entitled. We have an interesting situation on our hands that even after the entitled persons cease to be authorised occupants, they do not easily vacate the accommodation allotted to them.

On the last occasion, when this Bill was amended, a period of notice of seven days was provided. Also, after the notice was provided, the occupants were to be provided a 15-day period and, in order to facilitate and ease that transition, with a provision for additional 15 days. The general pool of residential accommodation has a total of 15,416 residential accommodations under its quota. It is, therefore, a matter of considerable regret for me to have to mention that currently we have a total of 3081 cases which are in litigation. This constitutes 20 per cent of the overall size of the general pool of residential accommodation. In other words, it is because there are 3081 persons in different categories – and I do not want to point fingers – and they have not vacated the accommodation to which they are no longer entitled, it becomes difficult for us to grant 3081 other entitled persons, including hon. Members of Parliament, entitled civil servants, the accommodation which is their legitimate due. Therefore, it is in intended, through this amendment, to ensure three specific changes which will ensure that the occupants will be left with very little option but to voluntarily move out.

But let me explain why this situation is arising. It is arising because the seven-day notice period which the Director of Estates provides, and then additional 15 days period in two instalments, invariably results in the

unauthorised occupant going to a court and getting a stay order. As a result of which we are battling, as I mentioned, 3081 cases of litigation.

I would submit that in this legislation, which has been long overdue, we are therefore utilising an existing provision which provided for summary notice which was introduced for temporary accommodation. In other words, those who were in occupation of premises for a short period of 30 days could be summarily evicted.

(1730/SMN/GG)

What we are, therefore, proposing are three specific amendments. The first is to introduce a new definition in the Act of the residential accommodation occupation. And these three amendments that I am introducing before the House are essentially only for residential accommodation. The Public Premises Eviction Act is a broader piece of legislation which covers other public premises as well, such as office space etc. This does not apply to those categories.

The second proposed amendment is to insert a new section in the Act, after Section 3A, a Section 3B to provide for eviction from residential accommodation on a summary basis by the estate officer. The second amendment flows directly from the first amendment where a definition has been introduced.

First of all, in the second amendment, a period of three days will be the notice period. When the Act was last amended in 1994, they had, in fact for the temporary accommodation, not introduced any notice period at all. Therefore, that appeared to go against the canons of natural justice. So, the idea now is to provide a three day period so that the requirements of natural justice are fulfilled. After considering the reply of the so-called unauthorised occupant and making such inquiries as the estate officer deems fit, he will then issue an eviction notice.

Sir, the third amendment is again flowing from the first two amendments that for the period that the unauthorised occupant has been in possession of the premises because he or she may get a stay order, damages will be calculated in terms of the period of unauthorised occupation.

Sir, I would like to confine myself at this stage to these introductory remarks. It is my submission to this House, through you, that this is a long overdue set of amendments and we had introduced this in the last session of

Parliament but because of pressure of legislative business and other factors, the Bill could not come up for legislative approval.

May I submit that this is also a good time to push through this legislation because I have several hon. Members of Parliament and others are waiting to get residential accommodation and this House will appreciate more than any other body how important it is for us to try and 'encourage' -- and encourage within single inverted comas -- those of our colleagues who are no longer entitled or authorised to move. We have been very tolerant. We have tried our best but I would be very happy to listen to the views of the hon. Members. I will do my best to respond to those views but I would comment that this Bill be considered for discussion and eventual adoption.

I thank you.

(ends)

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

श्री अधीर रंजन जी, अगर सबकी सहमति हो, तो इस बिल की चर्चा में सभी माननीय सदस्य संक्षिप्त में अपनी बात कह दें।

…(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): सर, पहले हमने सोचा था। I want to tell you very honestly that this Bill is very innocent and good Bill but now I am applying my mind that a draconian law has been brought. It needs a lot of time. आप चले जा रहे हैं, लेकिन जो आएंगे उनको आप थोड़ा टाइम देने के लिए बोल दीजिएगा। आप जब तक रहते हैं, तब तक तो टाइम मिल जाता है, लेकिन उसके बाद जब आप चले जाते हैं तो टाइम कर्टेल हो जाता है।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

श्री अधीर रंजन साहब।

1734 hours

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I subscribe to the view that has been expressed by my esteemed hon. Minister of Urban Affairs but with some little riders also.

Sir, I appreciate that the Government has been streamlining the process of affording accommodation especially the time is ripe as Members of Parliaments have been thronging in the city who are patiently waiting for having their accommodation.

(1735/MMN/KN)

I think no delay of providing accommodation to those Members concerned should be brooked. Therefore, this Bill has undergone amendments on five occasions. It is basically focussed on three features, that is, residential accommodation about which has been depicted by the hon. Minister, notice for eviction, order of eviction and payment of damages. That means, some deterrent measures have been explored in order to expedite the process. There is no harm in it. So, it appears to be an innocuous legislative document in which I do not find any substantive argument to oppose it.

While the Bill is to be appreciated in its effort to streamline and speed up the process of vacating Government houses, I would draw the attention of the hon. Minister to certain shortcomings. The Bill does not quantify the damages to be paid for every month of overstay when an appeal is filed against the eviction order. …(*Interruptions*)

Hon. Minister, please give me your attention. You have already told that three days have been allowed. But three days may be unworkable, especially in genuine cases involving medical problems.

Furthermore, section 5 of the principal Act contains a provision allowing for an additional 15 days to vacate the premises after issue of the order, in case of genuine compelling reasons being put forward as per the Estate Officer's satisfaction. However, this applies to eviction from public premises and no such provision has been provided for residential accommodation/occupation under section 3(d). While section 4 of the principal Act provides that the notice issued by the Estate Officer should include the reason for eviction in the case of public premises, there is no such provision for cases of residential accommodation/ occupation.

I am trying to draw the attention of the hon. Minister to these three issues. Taking advantage of this discussion here in this House, I would like to ventilate my pent-up feelings which have been experienced by me. मैं कभी बंगला नम्बर 14, न्यू मोती बाग में रहा करता था। मेरा वह फोर्थ टर्म शुरू हुआ था। I received a letter from the Ministry of Urban Development for vacation of Bungalow No.14, New Moti Bagh. Sir, please listen to me. On 6.6.2014, the reply was given to the hon. Urban Development Minister. On 27.11.2014, a reply to the Directorate of Estates, stating that I was ready for vacating the bungalow but he should allot me a new bungalow within the ambit of my entitlement, was given. सर, आप यह जो कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन किसी की गलती से कुछ नुमाइंदों को भी यह कलंक का बोझ सहन करना पड़ता है। I was tarnished also in my political career whereby it was established that I was hankering after bungalow

(1740/VR/RV)

In my political career, I have never approached any authority to provide me any kind of accommodation as per my convenience. It has never happened.

Again on 22.1.2015, the Directorate of Estates allotted me bungalow No.C-1/19, South Moti Bag. But when I reached there to get the possession, I was surprised to note that that bungalow was already allotted to Smt. Prabha Rao, Additional Director-General of RAW. The renovation work was going on there.

Then, on 6.4.2015, I received a letter from Directorate of Estates stating that the rent of my house, that is, Bungalow No.14, New Moti Bag is already deducted. The allocation number was mentioned on the letter as 083. At that time, I thought that that bungalow might be allotted to me because allocation number was provided on the letter. Water and electricity charges were deducted from my account. So, I assumed that that bungalow has been regularized for me.

Sir, I am taking the advantage by participating in this discussion to ventilate my pent-up feeling. On 6.6.2015, I again received a letter from Directorate of Estate that I have been allocated a new bungalow, No.C-1/77 in South Moti Bag. Then, on 7.12.2015, I received a hand-written copy of a letter from a CRPF personnel stating that they would evict me on that very day from the bungalow where I was living. At that time, I was not present in Delhi. I immediately had to report to police and move the Court. After the intervention by

the hon. High Court, I got another bungalow, No.C-1/4 Humayun Road where I am presently residing.

Sir, believe me, the bungalow that was allotted to me was in a dilapidated condition. There were no water and electricity facilities. However, it was told that the accommodation was habitable. I proposed to the House Committee, Lok Sabha to make a joint visit at the said bungalow. But the then Directorate of Estates, *… (Not recorded)* misled the hon. Court and submitted that bungalow No.C-1/4, Humayun Road was in a habitable condition.

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): The name mentioned by the hon. Member may be removed from the record.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, on 2.2.2016, I was forcefully evicted from my bungalow No.14, Moti Bag. I got a report from a CPWD officer that the bungalow was not in a habitable condition and they would require seven days more to make it habitable. That means, the Court was misled and I too was misled. That dichotomy was very much distinct.

Chairman, Sir, through you, I urge upon the hon. Minister that I have all the records at my disposal to display for his convenience. जब हम पिछली बार चुनाव लड़ने गए तो उस समय हमे एन.ओ.सी. की जरूरत पड़ी। उस एन.ओ.सी. को लेने के लिए जब मैं आपके दफ्तर में गया और एन.ओ.सी. मिलने की प्रक्रिया शुरू हुई तो उस समय मैंने आपको यह दिखाया कि मुझे 'जनरल पूल' से यह मकान दिया गया। जनरल पूल से यह मकान देने के चलते मुझे हर महीने 3,400 रुपये देने पड़े, लेकिन एक आम एम.पी. को मात्र 105 रुपये देने होते हैं। मेरे साथ यह डिस्क्रिमिनेशन हुआ है।

सर, एस्टेट ऑफिसर कहते हैं कि यह मकान हैबिटेबल है और सी.पी.डब्ल्यू.डी. कहता है कि यह नॉन-हैबिटेबल है तो हम कहां जाएंगे? ये सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास हैं। इसलिए मुझे इसमें कहना है कि कभी-कभी किसी की गलती से किसी का इम्प्रेशन खराब हो जाता है। My impression was tarnished and it was tried to prove that I was hankering after a commodious bungalow. It is not true. I am still bearing the stigma from that day. I do not know whether it was a fault or it was a deliberate design by the Estate Officer.

Therefore, I urge the Government that all the powers should not be entrusted upon the Estate Officer. Some sort of redressal mechanism should be put in place. Otherwise, representatives like me would again be embarrassed. I have no dispute with this legislation. I only wanted to suggest two or three points so that the Bill could be more streamlined, more effective and more robust. Thank you, Sir. (ends)

(1745/MY/SAN)

1745 बजे

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): सभापति महोदय, सरकारी जमीन पर जो लोग अधिग्रहण कर रहे हैं, चाहे वह घर के रूप में हो, चाहे जमीन के ऊपर किसी भी अनॉथराइज्ड कंस्ट्रक्शन बनाने के रूप में हो, उसके लिए हमारी सरकार जो बिल लेकर आई है, मैं उसके समर्थन में यहां पर बोल रहा हूं।

अभी हमारे स्पीकर ओम बिरला जी कह रहे थे कि यह जो बिल आ रहा है, यह सभी की भलाई के लिए है, इसलिए इस पर संक्षिप्त में चर्चा करके इसको पास किया जाए। मेरा ध्यान सबसे पहले अधीर रंजन चौधरी जी की तरफ ही गया था, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस समय हमारे शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू जी थे, तब अधीर रंजन जी टाइप-8 बंगला में रहते थे। सरकार ने उनको कहा कि आप यह बंगला खाली कर दीजिए। उन्होंने एक ही विषय पर केवल अपने बारे में पूरे बिल के ऊपर बोला। अगर वह इस बिल की कमियों के बारे में बोलते और उनका क्या सुझाव हो सकता था, उस बारे में बोलते, तो अच्छा होता। यह हम सबका कर्तव्य है। मैं मंत्री जी और सारे सांसदों से कहूंगा कि जब हम इलेक्शन में अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं, उसके साथ हमको अपना एक एफिडेविट भी देना चाहिए कि जब तक मैं अपने पद पर रहूंगा, मैं सांसद रहूंगा, तब तक मेरे पास जो सरकारी सुविधाएं हैं, उनका उपयोग करूंगा और जिस दिन मैं सांसद नहीं रहूंगा, एक महीने के अंदर घर को खाली करूंगा। इस प्रकार का एक एफिडेविट हमारे नॉमिनेशन के साथ होना चाहिए। यह हमारा मॉरल कर्तव्य है। हम यहां पर कानून बनाते हैं और पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं। मॉरल सिटीजन कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हम सभी को समझाते हैं, मगर सबसे पहले हमें एक मॉरल सिटीजन बनकर दिखाना चाहिए। यह हमारे ऊपर लागू होता है।

मैं यहां पर सबसे आग्रह करूंगा कि हम सब इसका पालन करें। आज कोई हाई कोर्ट में जा रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। पाटिल साहब हमारी हाउस कमेटी के चेयरमैन बने हैं। मैं देख रहा हूं कि सारे सांसद, न केवल इस साइड के, बल्कि उस साइड के भी उनके पास जाते हैं। उसमें रूलिंग तथा अपोजिशन पार्टी के भी सांसद हैं। आजकल सेन्ट्रल हॉल तथा सभी जगह यह सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है कि आपको कौन-सा घर मिल रहा है। पाटिल साहब के घर देख लीजिए, पाटिल साहब के ऑफिस में देख लीजिए, वहां मंत्रियों की भी लंबी-लंबी लाइनें लगी हैं कि हमें घर दे दीजिए। हाउस कमेटी का चेयरमैन बनना आज सबसे मुश्किल काम हो गया है और उसको मुश्किल हम ही बना रहे हैं।

कांग्रेस ने 55 साल तक इस देश पर राज किया। सरकारी घरों में पैदा होना, सरकारी सामान का उपभोग करना और घर को खाली नहीं करना इनकी आदत हो गई है। बीच में ऐसा ट्रेंड बन गया था, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। आज वे अपने घरों को मेमोरियल बनाने लग गए हैं। हमारे अपोजिशन के एक परिवार के तीन सदस्य हैं और तीनों सदस्यों के पास अपने-अपने घर हैं। एक सदस्य तो किसी हाउस का मेम्बर भी नहीं है। उनके हसबैंड के ऊपर सीबीआई के केसेज भी चल रहे हैं, फिर भी सरकारी घर ले रखा है। …(व्यवधान) मैंने कोई नाम नहीं लिया है।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I am on a point of order. This is irrelevant. …(*Interruptions*)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): थरूर जी, किसी का नाम नहीं लिया गया है। प्लीज, बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): सभापति महोदय, उसमें एक सदस्य ऐसा है, जो अभी बच्चा है और उसकी शादी भी नहीं हुई है।

(1750/CP/RBN)

उनको रहना तो अपनी मम्मी के साथ चाहिए, उनकी मम्मी बीमार हैं। उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। तीनों ही अगर चाहें, तो एक घर में रह सकते हैं। मगर तीनों ने अपने बड़े-बड़े घर ले रखे हैं। हमें एग्जाम्पल सेट करना है। एक ही परिवार के पास 45 एकड़ जमीन नई दिल्ली में है। 45 एकड़ जमीन में कितने सरकारी अधिकारियों को, मंत्रियों को घर मिल सकता है, यह हमको एग्जाम्पल सेट करना है। हमने यह एग्जाम्पल सेट किया।

डॉ. साहिब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्य मंत्री थे। वर्ष 1998 में जब वे पद से हटे, तो 24 घंटे के अंदर-अंदर उन्होंने दिल्ली में अपने सरकारी मुख्य मंत्री आवास को खाली किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधान मंत्री, जब उनका देहान्त हुआ, तो चार हफ्ते के अन्दर-अन्दर उनके परिवार ने उस घर को खाली किया। अगर वे चाहते, तो वे उस घर में रह सकते थे। हमारी सरकार है। पिछली सरकार में, 16वीं लोक सभा में हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी, आज स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इस सरकार में जो उनका अनुभव है, उसको हम नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने अपना घर तुरन्त दो हफ्ते में खाली किया। आज भी वे हाउस के मेंबर हैं। आज भी वे एनटाइटल्ड हैं। उन्होंने यह एग्जाम्पल सेट किया कि अगर मैं आज मंत्री नहीं हूं, तो मुझको आज कोई बड़ा घर नहीं चाहिए। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी कम की। शिवराज सिंह चौहान जी, जब वे मुख्य मंत्री पद से हटे, जनता ने मैनडेट दिया, जनता ने कहा कि यहां पर अब कोई और मुख्य मंत्री आए, मुख्य मंत्री आवास में कोई और आए, इसके लिए शिवराज सिंह चौहान जी ने 24 घंटे के अंदर अपना घर खाली किया। हमारी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने अपने घर को खाली किया। हम लोगों ने एग्जाम्पल सेट किए कि हमें घर का कोई लालच नहीं है। यह कारवां बढ़ता जाएगा। जो आगे आएगा, उसके लिए घर मिलेगा।

बहुत ही ताज्जुब की बात है कि हजारों लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, दस साल की वेटिंग चल रही है। चाहे वे सरकारी अधिकारी हों, उनको दस-दस साल तक घर नहीं मिलता है। हमारे सांसदों के पास कितने ही अधिकारी आते होंगे कि जरा हरदीप पुरी जी को बोल दीजिए। हरदीप पुरी जी तो सुनते नहीं हैं। हरदीप पुरी जी को बोल दीजिए कि हमें आउट ऑफ टर्न, एक कैटेगरी कम दे दो, मगर आउट ऑफ टर्न हमें घर दे दीजिए। यह सब हमें ही सुलझाना है और इसीलिए मेरी सरकार यह बिल लेकर आई है।

वर्ष 1950 में यह एक्ट बना। तीन बार नये एक्ट बने। कई बार इसमें अमेंडमेंट्स हुईं। फाइनली वर्ष 1997 में यह एक्ट बना। आज इस एक्ट में संशोधन हो रहा है। हमारे मंत्री जी ने कहा कि इसमें तीन मुख्य बातें हैं, एक – तीन दिन के अंदर-अंदर शो कॉज नोटिस का जवाब आ जाए, दूसरा – अगर हाई कोर्ट में भी केस चले, जब तक केस चलता रहे, उसके डैमेजेज़ उस व्यक्ति को, जो वहां पर अनऑथराइज्ड ऑक्युपेंट है, उसको वह भरना पड़ेगा और तीसरा – तीस दिन के अंदर जिसको मकान मिलता है, उसमें जो समरी प्रोसीजर है, उसको इन्होंने रेजीडेंशियल आक्यूपेशन में भी लागू कर दिया।

हमारा एक्ट केवल घर के लिए नहीं है। हमारा एक्ट हर उस जमीन के लिए है, जो सरकारी है, चाहे वह दिल्ली में एमसीडी की जमीन हो, दिल्ली में डीडीए की जमीन हो, किसी यूनियन टेरेटरी की जमीन हो, सरकार की जमीन हो। हर उस जमीन के लिए हमारा यह एक्ट प्रभावी रूप में काम करता है।

मैं यहां पर एक और विषय कहूंगा। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे एक स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम बनाएं। जितनी भी सरकारी जमीनें हैं, जिनके ऊपर अवैध मस्जिदें बनी हुई हैं, जिनके ऊपर अवैध कब्रिस्तान बने हुए हैं, जिनके ऊपर अवैध मजारें बनी हुई हैं, यह हमारे देश में ही होता है, क्योंकि हमारे देश में हमेशा इन अवैध मस्जिदों को, जो सरकारी जमीनों पर बनी हैं, मैं केवल उन रिलीजियस स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूं, जिनको इस देश में 55 साल राज करने वाली सरकार एक वोट बैंक की तरह देखती आई। …(व्यवधान)

(1755/MK/SM)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): प्लीज आप लोग बैठ जाएं। आप बोलिए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : केवल माननीय सदस्य की ही बात रिकार्ड में जाएगी।

…(व्यवधान) …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

माननीय सभापति : आपका जब नम्बर आएगा, तब आप बोलिएगा।

…(व्यवधान)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): महोदय, मेरा कहना है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र और दिल्ली में लगभग ऐसी 500 सरकारी जगहें हैं, जो एमसीडी की हैं, जो दिल्ली सरकार के डू-सिप की हैं, ग्राम सभा की हैं, जल बोर्ड की हैं, डीडीए की जमीन हैं। ऐसी 500 से ज्यादा सरकारी जमीनें हैं, जहां अवैध मस्जिद, अवैध कब्रिस्तान हैं। मैंने अभी दिल्ली के उप राज्यपाल साहब को ऐसी 54 सरकारी जमीनों पर बनी अवैध मस्जिदों और कब्रिस्तानों की सूची दी है। मैंने दिल्ली के उप राज्यपाल से कहा है कि आप इसकी जांच कराइए। मैं जब दूसरे सांसदों से बात करता हूं तो पता चलता है कि यह केवल दिल्ली में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस विषय पर कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएं। मैं आपको डिटेल दूंगा कि कहां-कहां सरकारी, डीडीए की जमीन पर अवैध कब्जा है, जो मंत्री जी के विभाग के अंदर है। जब मैं यह बात कहता हूं तो बहुत सारे सांसद और बहुत सारे पत्रकार कहते हैं कि आप मंदिर और गुरुद्वारों की बात

नहीं करते हैं। मैंने कहा कि मैं बोलता हूं। आप मुझे वह लिस्ट दीजिए, जहां किसी सरकारी जमीन के ऊपर कोई मंदिर या गुरुद्वारा बना है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। मेरे संज्ञान में पिछले पांच वर्षों में एक भी सरकारी जमीन ऐसी नहीं है, जहां मंदिर या गुरुद्वारा अवैध बना हो। अगर दिल्ली में कहीं अवैध बना है, तो वे सारी मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, सारी मजारें हैं।

महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार के फ्लड विभाग की 100 एकड़ जमीन है। वह जमीन कालोनियों के बीच में है और वहां कब्रिस्तान बना दिया गया। जब वहां एक जगह मस्जिद बनी, तो मैंने वहां के मौलवी से बात की। मैंने मौलवी को कहा कि क्या यह जमीन आपकी है। उस मौलवी ने कहा कि यह हमारी जमीन नहीं है, यह सरकारी जमीन है और हम इस जमीन के पैसे देने को तैयार हैं।…(व्यवधान) महोदय, यह बहुत अहम मुद्दा है। जो अवैध घर हैं, वे तो एक न एक दिन खाली होंगे, लेकिन ये मस्जिद, कब्रिस्तान जो सरकारी जमीन पर बने हैं, ये जल्दी खाली होने चाहिए, क्योंकि इन सारी खाली जमीनों पर स्कूल बनने हैं, अस्पताल बनने हैं, यहां कम्युनिटी सैंटर्स बनने हैं, पार्क्स बनने हैं।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। आप कृपा करके बैठ जाएं।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसमें कोई गलत बात नहीं कही जा रही है।

…(व्यवधान)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): महोदय, यह इस देश का दुर्भाग्य है कि विपक्ष की पार्टियां ऐसा नहीं चाहती हैं।…(व्यवधान) जितनी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, साउदी अरब में भी अगर कोई सरकारी जमीन पर मस्जिद या कब्रिस्तान होता है, तो उसे हटा देते हैं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे बहुत अच्छा बिल लाए हैं और सारे सांसद इस बिल का समर्थन करें।

(इति)

माननीय सभापति : यदि सभा की सहमति हो, तो सदन का समय विधेयक को पास करने तक और उसके बाद शून्य काल तक के लिए बढ़ा दिया जाता है।

अनेक माननीय: ठीक है।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, under Rule no. 352 (7), a member while speaking, shall not utter treasonable, seditious or defamatory words. इन्होंने बोलने के क्रम में कहा कि सरकारी घर से इनका कोई सम्पर्क नहीं है। सरकारी खर्च से लोगों को कैसे निकालना, उसके बारे में बोलना है। …(व्यवधान) सरकारी जमीन पर मस्जिद और कब्रिस्तान बने हुए हैं। ये मुस्लिम बैशिंग है, ये कम्युनिटी को हिट करना है।

(1800/RAJ/AK)

यह मुस्लिम bastion है। यह कम्यूनिटी को हिट करना है। This is against the Constitution of India. …(*Interruptions*)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): सौगत बाबू रिकॉर्ड में देख लिया जाएगा। हम रिकॉर्ड में देख लेंगे। अगर आपत्तिजनक बात होगी तो निकाल दी जाएगी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री कल्याण बनर्जी।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): *… (Not recorded)* के शाखा में बोलें। …(व्यवधान) यह जगह ये सब बोलने के लिए नहीं है।…(व्यवधान) आप समझ लीजिए। यह अखाड़ा नहीं है।…(व्यवधान) यह शाखा नहीं है।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, kindly bring the House in Order. …(*Interruptions*)

प्रो. सौगत राय (दमदम): यह हाउस है।…(व्यवधान) यहां संविधान के खिलाफ नहीं बोला जा सकता है।…(व्यवधान)

1800 hours

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): I hope that I will get some time to speak. …(*Interruptions*)

Sir, through you, I need to point out a few things. *Prima facie,* it appears from a reading of this Bill that the Bill is very innocuous, but it is not so. Today, with respect, I am disagreeing with the Leader of Congress, Mr. Adhir Ranjan Chowdhury, on this subject. …(*Interruptions*)

I was hearing Mr. Chowdhury and my friend over there. …(*Interruptions*) I am sorry. It is my fault that I do not know his name. As regards the cases mentioned by them about occupation, it seemed as if the Bill is restricted only to the Members of Parliament. It is not like that. The Bill is also for all public servants. …(*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): It is including the MPs. …(*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): But it seemed as if it is restricted to the Members of Parliament, but it is not so. This Bill's effect is up to the ground level public servants. This is applicable to every public servant only for residential purpose. The hon. Minister has said that the time permitted is one month for Members of Parliament, and for certain officers it is six months. What is the guideline for all the officers or employees?

Now, the main objection is that he is going to the court. Is his going to the court a curse? Is his going to the court an offence? Is his going to the court not his right? If an illegal order is passed, then I have a right to approach the court. Today, you may be in power, but you will not be in power till doomsday. One day, you will also have to relinquish power.

Let us assume that a person has been dismissed from service illegally, and he goes to the court to get a stay. Do you think that the court is granting stay blindly unless a case is made out by someone? Will court grant stay just like that? The court is not like your officers of the Central Government or State Government who will just stamp anything. They apply their mind, and after application of mind if they *prima facie* feel that there is a strong case made out, then stay is granted. It is not that one approaches the court and stay is granted.

I am saying that it is a draconian law. A draconian law has been made here. In Clause 4, you are saying that if one approaches the court, then he would have to pay damages. How much is it? Unbridled discretionary power has been entrusted or given to the Estate Officer. This power, which has been given under

Clause 4, is capable of being exercised arbitrarily. What is the guideline for it? How much damage is to be charged for one month or for six months or for nine months? One Estate Officer will fix a particular amount as damage and another Estate Officer will fix another amount as damage. What is the guideline for it? I do not have any difficulty if a person is staying in an unauthorized manner.
(1805/SPR/IND)

I will give details of what we have done. What we have done possibly a single House Committee would not have done so far. I will take some time to elaborate. Shri Arjun Meghwal is not present but he was the Chairperson of the House Committee at that time. Sir, due to the efforts of Mrs. Lekhi and myself, many persons were evicted. Unauthorised persons were staying in an unauthorised manner in Government accommodations in Delhi because of the blessings of your officers, not because of any other persons.

When the 16th Lok Sabha commenced, earlier in Western Court, rooms were there. I was also a Member of the House Committee, Mrs. Lekhi was also there. She helped me a lot. Shri Arjun Meghwal was our Chairperson at that point of time. We found that at least 100 persons were staying in the Western Court for 10 to 15 years. Who were they? They were the businessmen of Delhi. Taking the name of the guests, they enter the Western Court accommodation. We have asked the Estate Officers the details. It is on record. When we asked the Estate Officers to appear before us, do you know what was their answer? The answer was: how can we evict? We have to apply under the Public Premises (eviction of Unauthorised Occupants) Act.

Today, on the basis of my request, Parliament has given someone guest accommodation for three days to stay. How can it come under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act? Then, they were opposing. They said that no, it cannot be done. Both Mrs. Lekhi and myself were fighting against them. Then, Law Secretary was called as we wanted to know his advice. He said that this Act does not apply at all; they can be thrown out of the accommodation. Then we asked them to issue notice; within three days they have to be evicted. Otherwise, throw them out. All this happened because of us; not because of anybody else.

Someone went to court. We said, if anyone wish to go to court, tell us. Mrs. Lekhi and myself would argue the case. Ultimately all were evicted. Now, in the new suits, new Members of Parliament are staying there. See the development. This is not because of anyone. …(*Interruptions*) When we were in

the Committee to carry out constructive things, irrespective of the Party affiliations, we have to do it. That is the lesson I have learnt. We have done it, Sir. Not your officers; your officers were obstructing us. That is on the record of the House Committee. That is the reason why I am saying that here everyone is staying because of the blessings of officers of Estate Office, not because of anybody else.

Suppose a dismissal has taken place. A person has gone to the court. He has not got the stay immediately. He is staying in the accommodation. After six months, he has succeeded in the case. Will you evict him? Or will you impose damage? Will that period be treated as unauthorised? It will not be treated as unauthorised period. Secondly, how much time are you giving to him? In the statute itself, you are saying that there is no time limit. You are referring to some orders, etc. It must be of statutory ones. One must know this. Suppose in the case of a Government servant, a tenure appointment is made or a term appointment is made, it is for three years. You are illegally terminating him.

(1810/UB/PC)

If he goes to the court, then will it be unauthorised? How can it be unauthorised? If he gets the stay, will it be unauthorised? This is the philosophy of the Government. Clause 4 of the Bill says, "If the person in unauthorised occupation of the residential accommodation challenges the eviction order passed by the estate officer under sub-section (2) of Section 3B in any court, he shall pay damages". What is the damage if I go to the court and get a stay order?

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Please conclude.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, I want the hon. Minister to hear it. He said, "15,416".

SHRI HARDEEP SINGH PURI: It is the shortage.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Yes, shortage. Sir, I have given one example. You appoint the estate officers by a public gazette. Right?

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Please address the Chair.

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : सर, वे इतना सुंदर दिखते हैं कि मुझे थोड़ी एनर्जी मिल जाती है। आप सबको नहीं बोलते हैं।

माननीय सभापति जी, जब मंत्री जी बोलते हैं, तब आप नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं आपकी बात सुनूंगा। When others were speaking, you did not say this. Firstly, it has to be given in a public gazette.

I had to fight a case. Eviction order was passed in the case of a railway employee. He was a person who took care of the railway line. An estate officer evicted him and appellate authority dismissed his case. Ultimately, the case came to the High Court. I was searching who the estate officer was. Now, one year has been given by the Calcutta High Court to the Department to show the gazette by which the estate officer was appointed. Sir, no estate officer was appointed. Without publishing the appointment notification in the public gazette, which is a condition, the estate officer is functioning.

If the Government sees what the estate officer is doing, it would be more beneficial for running the Ministry and for running the country also. I have given so many illustrations. Do not go anywhere. Just go to the North Avenue. Sir, I was also living next to you in the North Avenue, though you never invited me to dinner. Sir, go there and see the servant quarters and who are staying there. It is a glaring instance. Has the Government taken any steps? No steps have been taken. Therefore, Sir, clause 4 of the Bill is a draconian law and I am opposing the Bill on this ground because the estate officer is given unbridled capricious power to impose damage without laying down the guidelines and it is capable of being exercised arbitrarily. Thank you, Sir, invite me at least one day to your new house.

(ends)

श्री शिशिर कुमार अधिकारी (कांथी) : सर, मैं इसकी लैंग्वेज में एक चेंज चाहता हूं। Three days means Friday, Saturday and Sunday. That is bad in law. Instead, it should be three working days. He has mentioned three days which is bad in law. आपने वर्किंग-डे नहीं बोला।

(1815/KMR/SPS)

1815 hours

SHRI KANUMURU RAGHURAMA KRISHNARAJU (NARSAPURAM): Sir, at the outset I am in total support of this Bill. As the hon. Minister has said, there are almost 3,500 houses out of 15,000 houses to get vacated. This is the need of the hour. In fact, I feel that this Bill is terribly delayed.

I want to give a few suggestions. There is a clause in the Bill which says that if some temporary structure is made on some premises, it has to be demolished at the cost of whoever has stayed there. I have seen in one or two places temporary structures which were beautifully made. If a new Minister or a senior MP has to move in, why should that structure be dismantled? Just because it is mentioned in the Rule Book, they are deliberately breaking it. It is not just a question of putting the cost on the earlier resident. The cost of construction has to be borne by the new resident. To put up a temporary structure or a small office is not a crime. But if a decent structure is already made and it is going to be useful to the new incumbent, let it be made use of by the new incumbent instead of asking it to be demolished just because it is there in the Rule Book.

I have another small suggestion to make. I differ with hon. Member Kalyan Banerjee here. He has explained very clearly how he and Meenakashi Ji had got vacated many rooms in the Western Court. He also asked us to go and have a look at the North and South Avenues. He has pointed out that when someone has gone to court, there may be some exceptions made. Just to give some leeway in exceptional cases if we do not put damages of twice or thrice the market rent on whoever has gone to the court, again the same trend would continue and the law that the hon. Minister is bringing may go in favour of some other people. So, while giving importance, if at all importance is being given to hon. Member's suggestion, let there be a special Committee to review the genuineness on case-to-case basis. But whoever goes to court in order to get more time should be imposed a penalty of double the market rent. Then only we the new MPs would get houses. I wholeheartedly support the Bill moved by the hon. Minister. Thank you.

(ends)

1817 hours

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Sir, the hon. Minister is a very articulate Minister. I know it personally for a fact that he was one of the finest debaters Delhi University has seen. His felicity of language, obviously polished by his stint as an IFS officer, is peerless.

He used a term in the House which I am vastly surprised at. He said, we have an 'interesting' situation where people who are no longer entitled continue to stay and refuse to vacate. I cannot understand the hon. Minister saying 'interesting'. I think we should substitute this by saying, we have a 'despicable' situation. The only word for this is 'despicable'. When public servants, who have a duty and an obligation to be in public service, demit office and continue to stay on illegally, then it is a despicable situation.

The fact that there are 3,081 such cases shows that the law simply is not strong enough and it does not have enough teeth. I would urge the hon. Minister to seriously consider that there should be, as in many other cases and in many other Acts, a bar of civil court jurisdiction in cases relating to Public Premises Act. There should be an ouster of civil courts jurisdiction. Constitutional court, Article 226 or 32, you cannot take away. That is a right under the Constitution. But as far as the right of civil court goes, you go to a Sub Judge court, you take an injunction, that injunction then continues for two years to four years, then you go in a revision, you get a further injunction, you go to the High Court by way of a second appeal, you get a further injunction, etc. I know dozens and dozens of cases where this is happening.

And I do not agree with Mr. Banerjee that there is a fundamental right of anybody to go to court. I am sorry, there is no fundamental right to litigate, particularly when you are dealing with public premises. You may have a Constitutional right. Then go in appeal under Article 226 and let us see if there is any *per se* perversity in it.

(1820/SNT/KDS)

Therefore, a bar of civil code jurisdiction is something that the hon. Minister should seriously consider. I agree with Mr. Banerjee on the fact that you left the charges and the damages as indeterminate, which is wrong. According to me, you should determinate the charges. Somebody who wants to stay on must know what his charges are going to be. The market rent at the moment is extremely vague. According to me, it should be quantified because you have the categories from IV to VIII. So, if you choose to stay on longer, you must know

that it will be market rent multiplied by five times and that should be the penal consequences because I know for a fact that people who are staying on in type VII, type VIII bungalows in Delhi, where the market rent would be nothing short of Rs. 15-20 lakh, they are ultimately paying the estate officer Rs. 1.5 lakh. So, they are quite happy to stay on for months and years together because the rental is really one-tenth or one-fifteenth of what they would be paying for a comparable place in a private residence. Therefore, this can never be a deterrent. It should be absolutely quantified with such penal consequences that you must know that you will have to pay through your teeth in the event you choose to litigate and you choose to stay on.

I believe that there are one or two things that the hon. Minister left in the realm of a little bit of subjectivity. For instance, you said, in section 3B that the estate officer must forthwith issue notice in writing. Now, for an estate officer, 'forthwith' could mean anything. It could mean 15 days, a month, etc. So, as you said, they must respond within three days. 'Forthwith' must be replaced with 'within 12 hours or 24 hours'. The person must be immediately put on notice. That is point number one. Section 5(1) of the principal Act states:

> "Every order under this sub-section shall be made by the Estate Officer as expeditiously as possible and all endeavour shall be made by him to issue the order within 15 days."

We do not know what endeavour he will make or what endeavour he will not make. According to me, he should be circumscribed by time and it should be that he has to pass an order within 15 days. There is nothing like 'all endeavour'. He is here to work. He must work within those 15 days. Therefore, I wholeheartedly support the hon. Minister in respect of these amendments. My only grouse with the Minister is that it does not go far enough.

Please bring in as draconian a law as possible because people who are in public service must set an example, and if they do not set an example, then they must pay dearly for not setting that example.

Thank you very much.

(ends)

1823 बजे

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): धन्यवाद सभापति महोदय। अभी हमारे मित्र श्री पिनाकी मिश्रा जी ने जो बात कही है, उसका मैं पूरी तरह से समर्थन कर रहा हूं। इसकी आवश्यकता भी है। 15-20 साल पुरानी प्रॉपर्टीज को कुछ लोग फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर सेल भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज के फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके सेल करने के कुछ केसेज स्टेट्स में अभी सामने आए हैं। इसलिए एक लेसन होना चाहिए, जैसा कि मिनिस्टर साहब ने अभी बोला है कि इस तरह की ऑलमोस्ट 3081 प्रेमिसेज अभी हैं, जो ऑकुपाई करके खाली नहीं किए जा रही हैं। मेरी आपके माध्यम से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जिन प्रेमिसेज में कुछ एक्स्ट्रा रूम्स और ऑफिसेज बनाए गए हैं, उनको तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी ऑकुपाई करेगा, उसने तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसलिए इस प्रावधान को थोड़ा देखें। प्रेमिसेज जिस किसी को भी अलॉट हो गए हैं, अलॉट होने के बाद वह भी इंट्रेस्टेड रहेगा। इस एक बिंदु को कहते हुए मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूं।

(इति)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I think, hon. Members from Shiv Sena Party want to speak first, so they can speak first. Let them be. …(*Interruptions*)

माननीय सभापति: कृपया आप बोलिए, उसके बाद वे बोलेंगे।

(1825/SJN/GM)
1825 hours

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Hon. Chairperson, this is a Bill which I will definitely support. I was just disappointed by two points made by the Treasury Benches. They gave several examples of very high morality where occupants have left their official homes in time. I come from Maharashtra and traditionally most people, it does not matter which side they are on, leave their homes within 48 hours, if not in 24 hours. So, there is nothing to be glorified in it. It is a right thing to do. When you make rules and regulations, the home comes with the job, it is understood that when your job or responsibility is over, you have to leave the home. I do not think that really needs much glorification about people leaving homes.

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) : इसको बिहार में डेरा कहते हैं, जिनके पास अपना मकान नहीं होता है, उसको डेरा कहते हैं। मैं बिहार में रह चुका हूं।

…(व्यवधान)

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती) : सभापति जी, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में या ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर में छोड़ देते हैं।…(व्यवधान) But you talked about security, he talked about homes. I think in our State, none of this really matters. I think the Bill is very commendable; it is very important and relevant. I have just two queries to ask for the sake of clarification because there have been mixed stories. One is that most of these bungalows which are occupied by Members of Parliament or bureaucrats are heritage properties. The hon. Minister has talked about it in the Bill, but can he commit to us that all these heritage properties will be protected and well looked after? There is menace of monkeys; there is menace of mice; there is very low maintenance. There are very good people who do very good work in restoration. It is the heritage of India. It is something that we have all inherited and several people have looked after it well. Can we not have that as continuity because it is a part of our heritage? Sometimes, there are a lot of internal changes made and that really changes the entire home. The Minister may kindly look into that.

The second point is that there is some grey area which finds no mention in the Bill. There were some media reports that a Member of Parliament has to leave the official residence within a week of finishing his tenure. But there is some misunderstanding or confusion that there are different rules for Members

of Parliament and other people in the job. Can the Minister just put it on the record so that there is no mis-communication because there have been some newspapers which have talked about this. As long as it is one rule for all, it is a very good thing. Traditionally, in my State, it is always done. Mr. Verma informed us that several leaders on his side have done this. While we have been in power for many years, and traditionally even in the last 50 to 60 years, official residences are surrendered well within time. So, we support this wholeheartedly as long as there is no misuse of power or nobody has been in isolation.

I appreciate the point raised by Trinamool Congress Party and Shri Misra also said that the Government should not encourage a loophole which would add to corruption. That is a limited and very fair point that he has made. I would request the Minister to clarify that. But I wholeheartedly support the Bill.

(ends)

1828 बजे

श्री राजेन्द्र धेड्या गावित (पालघर) : सभापति महोदय, यह सरकारी संपत्ति बेदखली कानून जो सर्वप्रथम सन् 1971 में बना था और फिर इसे वर्ष 2017 में लाया गया था। लेकिन इस सरकार द्वारा सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019 आज यहां पर पुनः लाया गया है, इसके लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर शायद वह यह बिल पहले लेकर आते, तो जो नए सांसद आए हैं, उनको जो आवास आबंटित किया जा रहा है, उसमें उनको बहुत जल्दी आवास मिल सकता था। लेकिन देर है, अंधेर नहीं है। यह बिल यहां पर लाया गया है। अभी सभी माननीय सांसदों को शायद बहुत जल्दी आवास मिल जाएगा।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार अपने मंत्रियों के लिए, अपने जन-प्रतिनिधियों के लिए और अपने कर्मचारियों के लिए जो आवासीय सुविधा और अन्य सुविधाएं प्रदान करती है, लेकिन ये सुविधाएं लोग अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी कई साल और महीनों तक अपने पास रखते हैं। सभी लोग इन सार्वजनिक संपत्तियों से मतलब निजी संपत्ति से लगा लेते हैं। लोकतंत्र में लोग यह भूल कर बैठते हैं कि उनको मिली हुई सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति हमेशा के लिए उनकी निजी संपत्ति नहीं होती है। सरकारी संपत्तियों का उपयोग सार्वजनिक दायित्वों में भलीभांति निष्पादन के लिए होता है। नए संशोधन कानून की वजह से अब चाहे वह सरकारी मंत्री हो, सरकारी कर्मचारी हो या विधान मंडल का प्रतिनिधि हो, इनकी सेवा समाप्ति के उपरांत केवल तीन दिनों के अंदर ही उसे खाली कराने का प्रावधान किए जाने की वजह से सार्वजनिक क्षेत्रों की मिली हुई सुविधाओं के उपयोग के मामले में उन्हें और अधिक अनुशासित करेगा। नए आबंटित लोगों को यह सरकारी सुविधा तुरंत प्राप्त करना संभव हो जाएगा।

(1830/GG/RK)

महोदय, नए सांसदो को जो, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि नए सांसदों को जो आवास आवंटित किए जा रहे हैं, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए।

महोदय, मेरे दो-तीन सुझाव हैं। जो एस्टेट अफसर है, उसको जो जरूरी पुलिस बल के उपयोग की इजाजत दी गई है, उसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए।

महोदय, नए कानून में सरकारी बेदख़ल आदेश के बाद यदि इसे चुनौती देने के लिए कोई न्यायालय में जाता है तो उसे उसी स्थिति में, व्यक्ति को एक महीने तक उस सम्पत्ति को रोजाना उपयोग का हर्जाना भरने का प्रावधान, लोगों को इस मामले में जल्दी न्यायालय जाने में अवतोषित करेगा।

महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि परिसम्पत्ति के अधिकारी द्वारा भी कई बार उसका मिसयूज़ किया जाता है, उस दुरुपयोग की संभावना से उसके लिए भी समुचित दण्ड का प्रावधान होना जरूरी है।

महोदय, इस देश में एक नहीं अनेक प्रकार की सरकारी परिसम्पत्तियां जैसे – मकान, जमीन, कार्यालय, कैम्पस, भवन, वाहन, सरकारी प्रतिष्ठान आदि कई सारी चीजें आती हैं। इस परिसम्पित्ति को आमतौर पर सरकार यह चाहती है, चाहे केन्द्र की हो या राज्य सरकार हो, स्थानीय सरकार हो, वे लीज़ पर हो, लाइसेंस पर हो या पट्टे पर हो, कम्पनियों को हो, संगठन को देते हैं, परंतु यह देखा

जाता है कि इन परिसम्पत्तियों के लोग अवैध तरीके से वर्षों तक अपने कब्जे में रखते हैं, इससे सरकार का पर्याप्त राजस्व का भी काफी नुकसान होता है।

महोदय, लोकतंत्र का मतलब कानून का शासन होता है। कानून का शासन का मतलब होता है कि कानून की नज़र में सबके लिए एक बराबर, एक साथ ही सरकारी परिसम्पित्त के नियमपूर्वक सबके द्वारा उपयोग करना भी होता है।

महोदय, हमारे देश में एक ही नहीं अनेक माफिया ऐसे हैं, भिन्न भिन्न तरह की सरकारी परिसम्पित्तयों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। कहीं रेलवे की जमीन हो, सेना की जमीन हो, कहीं राजस्व की जमीन हो, कहीं पीडब्ल्यूडी की जमीन हो, उस पर अतिक्रमण होता है और देश की कई बिल्डर्स लॉबीज़ अवैध तरीके से सभी जमीनों पर निर्माण करते हैं और अवैध निर्माण पर पूरी सख्ती बरती जाए।

महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र पालघर है। उसमें वसई-विरार-नालासोपारा जो महानगरपालिका क्षेत्र है, वहां की जनसंख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। करीब 20 लाख के आस-पास वहां की जनसंख्या बढ़ी है। मुंबई से लगा हुआ वसई-विरार शहर तीसरा मुंबई शहर माना जाता है। यहां कई सरकारी जगहों पर अवैध काम किए गए हैं। पानी बह कर जाने वाले नालों पर भी अवैध निर्माण किए गए हैं। जैसे कि नो-डेवल्पमेंट जोन है, आदिवासी जगह है, एसईजेड है, वेटलैण्ड है, फॉरेस्ट लैण्ड है, कई जगहों पर, और वसई-विरार में कई सरकारी क्वॉटर्स हैं, उनमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्होंने अभी तक अपने मकान का दावा वहां पर छोड़ा नहीं है।

महोदय, इसलिए हमें उस स्थिति को बदलना होगा। हमें सरकारी जमीन की रक्षा करनी होगी। सरकार के इस बिल का मैं समर्थन करता हूँ और इस महत्वपूर्ण बिल को लाने के लिए माननीय मंत्री जी को मै धन्यवाद देना चाहता हूँ।

(इति)

1834 बजे

श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल (महाराजगंज): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसे अहम विधेयक पर बोलने के लिए मुझे समय दिया है।

सभापति महोदय, भारत सरकार को सरकारी आवासों में अवैध तरीके से रहने वालों को पीपीई एक्ट, 1971 के प्रावधानों के अनुसार निकालना होता है। हालांकि निष्कासन की यह प्रक्रिया सामान्य तौर पर लंबा समय लेती है। इसकी वजह से नए लोगों को जो आवास आबंटित किए जाते हैं, उनको लंबे समय तक वह आवास उपलब्ध नहीं हो पाता है और उन्हें इंतजार करना पड़ता है।

सभापति महोदय, इसीलिए यह सरकार यह संशोधन बिल, 2019 लाई है।

(1835/KN/PS)

इसमें कई प्रावधान हैं। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्वजनिक परिसर अधिनियम, 1971 की धारा 2 और 3 में संशोधन को अपनी मंजूरी देने के बाद यह एक्ट सामने आया है और इस एक्ट के माध्यम से ऐसे सरकारी आवासों को जो ज्यादा दिनों तक उसमें न रह सकें, अवधि समाप्त होने के बाद भी जो उसमें रहते हैं, उनको खाली करने का प्रावधान इसमें किया गया है। महोदय, ऐसे एक्ट की सख्त आवश्यकता थी। चूँकि ऐसा एक्ट न होने के कारण लोग अवैध रूप से रहते थे और जो सम्पदा पदाधिकारी उनको नोटिस देता था तो वे कोर्ट की शरण में चले जाते थे। कोर्ट में एक लम्बे समय तक यह केस चलता रहता था और वे उसमें अवैध रूप से रहते थे। बिना किसी पैसे के, बिना किसी खर्च के उस आवास का उपयोग करते थे। महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। इस बिल में जो खूबियाँ हैं, आज भी मुझे जो जानकारी है, सैकड़ों की तादाद में ऐसे सरकारी आवास हैं, जिनमें आज भी अवैध रूप से लोग रहे रहे हैं, जिनको रहना नहीं चाहिए, लेकिन उनमें रह रहे हैं। उसकी वजह से सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है। एक तो वे अवैध रूप से रह रहे हैं, जिनको आबंटित हुआ है, सरकार को अलग से उनको पैसे देने पड़ रहे हैं। मैं आपको बिहार का उदाहरण देना चाहता हूँ। बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। एनडीए की सरकार बन गई। महागठबंधन के उप मुख्य मंत्री जिस आवास में रहते थे, वे खाली नहीं कर रहे थे, कोर्ट में चले गए। कोर्ट में लम्बा समय लगा। कोर्ट ने खाली करने का डिसिजन दिया। वर्तमान में हमारे एनडीए के उप मुख्य मंत्री उसमें गए तो देखा कि लाखों-लाखों रुपये का ए.सी. और विलासिता का सामान उसमें लाया गया है और इसलिए वे उसको खाली नहीं करना चाहते थे। हमें लगता है कि ऐसी चीजों पर इस एक्ट के माध्यम से पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है, वह दुरुपयोग भी नहीं होगा और लोग अपने को स्टेशन में रुकने का एक स्टॉपेज मानेंगे अन्यथा वे उसको परमानेंट आवास मान लेंगे। ऐसा वे करने लगेंगे।

महोदय, अधीर रंजन जी अपना दुखड़ा बता रहे थे, अपने आवास के बारे में अपनी व्यथा कह रहे थे। अगर ऐसा हुआ है तो मैं उसका समर्थक नहीं हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वे सिर्फ अपने तक ही रह गए। वास्तव में उनकी व्यथा लम्बी थी, कई बार उनको नोटिस आता गया। महोदय, इस देश के ऐसे महानुभावों के आवास के बारे में चर्चा पहले भी हो चुकी है। जैसे उनको लगे कि मुझे इस आवास में नहीं रहना है तो तुरंत परिसर को खाली करना है। चाहे हमारे राज्य के मुख्य मंत्री रहे हों, चाहे हमारे देश के महान नेता हों, मैं उनको हृदय से बधाई देता हूँ। पूरा देश और सदन बढ़िया

अनुकरण करे। चाहे वे अधिकारी हों, कर्मचारी हों, उनको करने की आवश्यकता है। मैं बिहार का एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। बिहार में आलीशान भवन, सरकारी जगह पर सरकारी पैसे से बना कर लोग दुरुपयोग करना चाहते थे, लेकिन धन्य है वहाँ की वर्तमान सरकार, जो माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उन आवासों को अपने कब्जे में लेकर, आज वहाँ शोषित, दलित, पीड़ितों के लिए विद्यालय खोलने का काम किया है।...(व्यवधान) ऐसे दुरुपयोग के भी उदाहरण आपको मिलेंगे। बिहार में गांधी मैदान, पटना स्टेशन को भी लोगों ने गिरवी रख दिया था और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। हमें लगता है कि एक्ट उन तमाम लोगों पर प्रतिबंध लगाने का काम करेगा और लोगों के मंसूबों को भी चूर करने का काम करेगा। मैं एक बात माननीय मंत्री जी से सुझाव के तौर पर कहूँगा। चाहे वह एक्ट माननीय सांसदों के लिए बने, चाहे अधिकारियों के लिए बने, वह समान रूप से सब के लिए हो। कोई तीन दिन में खाली करे और कोई छ: महीने में खाली करे, यह नहीं होना चाहिए। सही मायने में सब के लिए वह कानून बने। ऐसा कहते हुए मैं पुन: इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1839 hours

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on this Bill.

Sir, first of all, I would like to offer my support to this Bill. I am very much satisfied by the statements that the hon. Minister has made during the opening remarks. He has given various reasons as to why we need this Bill and as to why we need to make it more powerful also.

(1840/RC/RV)

As MPs, we all can agree that we face this difficulty in finding homes for ourselves when we come to Delhi. The Supreme Court also has given a decision in the S.D. Bandi *versus* the Divisional Traffic Officer case. The court observed that over-staying in the premises directly infringes on the right of others. So, that can also be taken into account and that is definitely the need of the hour.

I have some concerns. One of them is Section 3(b)(a) where it talks about three working days. I feel that it may be extended to five working days. Three working days looks a little bit short period for a person to come up with a reply to the Show Cause Notice. It is because there might be some genuine cases and we do not want to miss them. The hon. Minister has mentioned that there are more than 3000 cases which are under litigation or pending. There might be one per cent or 0.1 per cent cases which are genuine. So, we do not want to miss those genuine cases. We want to give them the right to overstay also if they have a genuine cause. So, let the time be extended to five days.

Other than that, in section 4(iii)(a) जो 'डैमेजेज़' में लिखा गया है, it is a very vague thing कि 'डैमेजेज़' क्या होगा? The explanation of the term, 'damages' and what needs to be paid are not clear. If there is a definite rule which applies across the officers, representatives and everyone who is staying in the public premises, then that would be much more explanatory to the person.

सर, मेरी जानकारी में यह है कि ब्यूरोक्रैट्स के एविक्शन का जो टाइम है, वह अलग है और जो एम.पीज़. के लिए है, वह लगभग एक महीने का है। Why are these different categories? How is this classification done? मेरी सोच में तो अभी तक यह था कि सरकार कहती है कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' हो, तो इसी तरह 'वन नेशन, वन एविक्शन' भी होना चाहिए। इस तरह से ऐसी कैटेगरीज क्यों बनीं कि ब्यूरोक्रैट्स के लिए अलग हो और एम.पीज़. के लिए अलग हो? मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि किस तरह से ये कैटेगरीज़ बनी हैं।

(इति)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): श्री शंकर लालवानी।

यह कोशिश कीजिए कि तीन मिनट में बात पूरी हो जाए।

1842 बजे

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर): माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। पाँच बार यह बिल आ गया। अधिकृत व्यक्तियों के रहने के लिए, चाहे वे अफसर हों, मंत्री हों या सांसद हों, उनके लिए यह बिल है। परन्तु, प्राय: यह देखा गया है कि सांसद, मंत्री या अधिकारियों का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो वे उसे खाली करने में या तो विलम्ब करते हैं या टालमटोल करते हैं। यह भी देखा गया कि कुछ लोग अपना जो सरकारी मकान लेते हैं, उसे किराये पर भी दे देते हैं या उसका कुछ पोर्शन किराये पर दे देते हैं। ऐसी भी शिकायतें आई हैं। ऐसा कई बार हुआ है।

महोदय, जैसा कि अभी मंत्री जी ने बताया कि ऐसे 3,081 प्रकरण हैं, जिनके केसेज न्यायालय में चल रहे हैं, अगर यह कानून पहले आ जाता तो ये जो 3,081 प्रकरण के केसेज न्यायालय में चल रहे हैं और आज जो सांसद अपने आवास के लिए चक्कर लगा रहे हैं, वह शायद उन्हें नहीं लगाना पड़ता।

कुछ दिनों पहले जब हम नए-नए सांसद बनकर फॉर्म भरने आए थे तो हमसे कहा गया कि आप अपनी प्रायॉरिटी भरिए। हमें जो बुकलेट दी गई थी, जब हम उसके अनुसार प्रायॉरिटी भरने लगे तो हमने कहा कि हम जरा देख लेते हैं कि ये कैसे हैं। एक स्थान पर फ्लैट देखने गए तो वहां ताला लगा था। थोड़े दिनों के बाद दूसरे में गए तो वहां एक नौकर मिला और उसने कहा कि एक्स एम.पी. साहब नहीं हैं, वे जब आएंगे, तब बात करेंगे। थोड़े दिनों के बाद हम तीसरा फ्लैट देखने गए तो पुराने एम.पी. साहब नहीं मिले, उनका नौकर मिला और उसने कहा कि आप उनसे फोन पर बात कर लीजिए। हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अभी हमने इसका समय छ: महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब ऐसे चक्कर लगा-लगा कर हमने देखा कि हमारी प्रायॉरिटी ही तय नहीं हो रही है और हमेशा हमें ऐसा ही जवाब मिल रहा है। हमें लगा कि जैसे एक फिल्म में यह गाना था कि 'मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं', ठीक वैसा ही चलता आ रहा है।

महोदय, अब माननीय मोदी जी की सरकार में यह जो कानून लाए हैं, उसमें किसी की मर्जी नहीं चलेगी, अब कानून की मर्जी चलेगी। मुझे लगता है कि इस बिल के माध्यम से शीघ्र ही हमें नया आवास मिलेगा। मैं माननीय मंत्री जी के इस बिल का समर्थन करता हूं।

(इति)

1844 hours

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I rise to support the Bill but with strong observations. I would like to make my point and seek clarifications from the hon. Minister.

To my understanding and as per my reading of the Bill, this Bill is applicable to employees and Members of Parliament as also the employees and staff of both Houses of Parliament. This is not applicable to the judges. This is not applicable to IAS officers. This is my understanding. I am seeking clarification.

(1845/SNB/MY)

As has been rightly mentioned by Shri Rao, what is the criteria by which such a special classification is being made for the Members of Parliament and for the officers and staff of the Secretariats of Lok Sabha and Rajya Sabha? Very stringent provisions are being made for vacating the premises. I fully support this. But it is being mentioned here that the Members of Parliament shall vacate the houses immediately after the expiry of the term. I do not have any objection to it. Normally we will vacate in advance. But I would like to know from the hon. Minister what is the criteria by which only the Members of Parliament and officers and staff of both the Secretariats of Lok Sabha and Rajya Sabha are being made to vacate their premises in this way.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): It applies to other officers of Government of India also …(*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): No. It does not apply to them. That is my understanding of the reading from the Bill. Here it is mentioned `premises' means any land or any building or part of the building. Also, it says any premises belonging to or taken on lease under the control of the Secretariat of either House of Parliament for providing residential accommodation to any member of the staff of that Secretariat. That means it is applicable only to the staff, employees, officers of both Houses of Parliament as well as to the Members of Parliament. If that be the case, kindly enlighten the House why such a legislation has been necessitated in order to punish the Members of Parliament and the staff in such a way.

Sir, the second clarification which I would like seek is regarding clause 4 by which a new clause is being incorporated that is clause 3A. I will read this. It is interesting. I do not think if anybody goes to the court it will stand the scrutiny of law. It says, if a person in unauthorised occupation of residential accommodation challenges the eviction order passed by the Estate Officer under sub-section 2 of section 3B in any court, he shall pay damages for every month for the residential accommodation held by him. This is a punishment. If one goes to the court, then he will be punishable. Why should it be? You can very well omit the word. If a person in unauthorised occupation of residential accommodation challenges the order, then he is liable to pay compensation. What does this mean? It is a disrespect to the Judiciary. The Estate Officer is entitled to recover compensation or damages from the person who is in unauthorised or illegal occupation. But why are you incorporating this section in the Bill? If you are challenging the order in the court, then definitely you will be responsible and you will have to pay the compensation.

Sir, the third point that I would like to make is regarding the determination of the compensation. What are the criteria and norms for fixing the compensation? This point was rightly mentioned by Shri Pinaki Misra. What are the criteria by which the compensation has to be fixed? These are the clarifications that I would like to seek from the hon. Minister.

Sir, I would also like make another point about three working days. It says that after the expiry of the stipulated time one is given just three days to give a reason for not vacating the premises. It is good that it has been mentioned `three working days'. What is the emergency? Why have you to evict the resident of a premises on a war-footing? You should at least give 30 days to a Member of Parliament or to a staff of the Secretariat of both the Houses. Let the person be given a chance to take everything from his house. A minimum of 30 days should be given for replying to the show cause notice served on the person concerned.

With these observations, once again, I support the Bill.

Thank you.

(ends)

1849 बजे

श्री अनिल फिरोजिया (उज्जैन): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय, मैं खंभे के पीछे इसलिए खड़ा था, क्योंकि मेरी सीट यहां है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाह रहा था कि सदन का सबसे दुबला-पतला आदमी इस खंभे के पीछे छुपा हुआ है। जो मोटे आदमी होंगे, वे कैसे दिखेंगे?…(व्यवधान) इसे आप देख लीजिए। इस खंभे द्वारा मेरी सीट घिर जाती है।…(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस संशोधन बिल को लाकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। मैं यहां दिल्ली में सांसद बनकर आया हूं। मैं कई सांसदों को देख रहा हूं कि वे अपने मकान के लिए भटकते फिर रहे हैं।

(1850/CP/RU)

महोदय, हम पुराना रिकार्ड देखते, सुनते और मीडिया में पढ़ते भी आए हैं कि पहले जो नेतागण, अधिकारीगण या कर्मचारी रहे हैं, उनमें कोई अपनी कोठी पर खेती कर रहा है, किसी ने अपना मकान किराये पर दे दिया या किसी ने यहां आकर तबेला खोल लिया। वास्तव में जो जेन्युइन लोग हैं, वे दर-दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं।

यह केवल दिल्ली का ही नहीं, अपितु पूरे देश का मामला है। राजनीतिक क्षेत्र में मैं लंबे समय काम करता आ रहा हूं। मैंने कई जगह देखा है कि कर्मचारी, अधिकारी हमारे पास आते थे कि साहब आप रिकमेंड कर दीजिए, तो मुझे यह मकान मिल जाए। संबंधित अधिकारी या कर्मचारी, जिसके पास उसका कब्जा होता था, वह उसे खाली करने के लिए तैयार नहीं होता था। वह रिटायरमेंट लेने के बाद भी वर्षों तक वहां रहता था। कभी उसके ऊपर सख्ती की जाती थी, तो कभी अपना मेडिकल लगाकर या पारिवारिक समस्या दिखाकर कोर्ट में जाकर वह स्टे ले आता था, जिससे काफी परेशानी होती थी।

यह विधेयक वास्तव में पहले ही आ जाना चाहिए था। मैं माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और मंत्री जी को बधाई देता हूं कि वे बहुत सही समय पर यह बिल लाए हैं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, ताकि जो नए सांसद हैं, मेरे जैसे सांसद जो दर-दर भटक रहे हैं, उनको भी मकान मिल जाए और कर्मचारियों एवं अधिकारियों को भी मकान मिले।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

(इति)

1852 बजे

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): महोदय, हम जैसे लोग सचमुच इस पीड़ा को समझ सकते हैं क्योंकि पिछले 25 सालों में चुनाव हार और जीत दोनों का अनुभव रहा है। मकान खाली भी हुए हैं, एविक्शन का आर्डर भी हुआ है, बाहर जाकर रहना, वापस आकर रहना, कई बार यह अनुभव बहुत पीड़ादायक होता है।

मेरा माननीय मंत्री जी से एक आग्रह है, एक सुझाव है। अगर यह कानून था, तो इसे पहले ही लाना चाहिए था। मैंने क्लेरिफिकेशन कर लिया है कि सरकारी सेवकों के लिए 15 हजार मकान हैं, 3 हजार एविक्शन के प्रोसेस में हैं, जिसमें सरकारी लोगों का भी है। दिल्ली शहर में बहुत सारे डेजिगनेटेड हाउसेज़ होते थे। एक परम्परा इस देश में और भी आ गई है कि जब सरकारी अधिकारी, क्षमा कीजिएगा यह सरकार में होता है, कोई नई बात नहीं है, जब अवकाश प्राप्त करने वाला होता है, तो वह कुछ ऐसी व्यवस्था कायम करता है कि सरकार के बाद भी किसी संवैधानिक पद पर पहुंच जाए और उसके बाद वह उस स्थान पर पहुंचकर उस मकान के लायक हो जाता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कई बार डेजिगनेटेड हाउसेज़ होते हैं। जो डेजिगनेटेड हाउसेज़ के व्यक्ति हैं, जैसे आर्मी चीफ का डेजिगनेटेड हाउस है या नेवी चीफ का डेजिगनेटेड हाउस है, सीबीआई चीफ का डेजिगनेटेड हाउस है, जैसे मेरा ही घर, जहां मैं रहता था, किसी के लिए वह डेजिगनेटेड था। …(व्यवधान) सीबीआई डायरेक्टर के लिए डेजिगनेटेड हाउस था। तीस साल से वहां सीबीआई के डायरेक्टर रहते थे। किसी कारणवश उनको जाना हुआ, यूपीएससी में चले गए, कहीं और चले गए, फिर उस मकान को डेजिगनेटेड हाउस से बाहर निकाल कर अपने लिए एलॉट कराया। सरकारी सेवा में रहने वाले अधिकारी, अच्छे लोग भी होते हैं। एक प्रावधान आपको लाना चाहिए कि जो सरकार में कार्य क्षेत्र के बाद, 60 साल की सेवा के बाद विस्तार चाहते हैं, आप तो हमें उठाकर बाहर कर देंगे, लेकिन जो सरकार में रहने का विस्तार चाहते हैं, उनको रेंट देकर बाहर के मकान में रहने की सुविधा हो, ताकि जो यह मोह माया है कि सरकार में साठ साल की सेवा करने के बाद भी हम उस मकान में बने रहें, यह हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। यह भी हमें सोचना चाहिए। …(व्यवधान)

मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि यह सोचने वाला समय है कि डेजिगनेटेड हाउसेज़ की परम्परा है। पूर्व स्पीकर महोदया, सुमित्रा जी हटीं, मकान खाली करके गईं, दूसरे स्पीकर साहब आएंगे, वे वहां जाएंगे। डेजिगनेटेड हाउसेज़ का और सरकारी सेवा में रहकर उसे पकड़कर रखने की व्यवस्था के बारे में आप जरूर विचार करेंगे। मेरा यह सुझाव है।

मुझे इस सदन में यह कहते हुए खुशी हो रही है कि आज नार्थ एवेन्यू में जो मकान बनाए गए हैं, इन मकानों के लिए मैंने पूरी ताकत लगा दी। मैं हाउसिंग कमेटी का सदस्य नहीं था। पिछले तीन सालों में हाउसिंग कमेटी का सदस्य न होकर भी, पहले वहां तीन कमरे थे, मैंने वहां पांच कमरे करवाए।

(1855/MK/NKL)

बेसमेंट के लिए अनुमति ली और उसका ड्राइंग हमने अपने हाथों से आर्किटेक्ट के साथ, मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ मित्रों के साथ मिलकर मैंने उसका डिजाइन बनाया। नार्थ एवेन्यू का एलाइनमेंट भी खुद से फीता लेकर बनाया है। बिजली का एक-एक पॉइंट कहां हो, उसके बारे में भी तैयारी की। उसके अंदर लिफ्ट हो, जो तीन मंजिल तक जाए, मास्टर बेडरूम हो वहां से ग्रीनरी दिखे, गारबेज डेवलपमेंट हो, सांसद के जाने के लिए अलग मार्ग हो, विजिटर्स के लिए अलग हो, हमने छोटे से स्थान में इसकी व्यवस्था की। स्टाफ के लिए जगह नहीं थी, उसके लिए नीचे बेसमेंट में जगह बनाई है। बेसमेंट में टॉयलेट नहीं है, उसको अगली बार देखेंगे। मेरा विषय यह नहीं है।

मैंने जिस दिन यह कहा था, मैंने अपने मित्रों से भी कहा और सरकार से भी कहा था कि जो माननीय सांसद यहां आ गये है, वे नेता हैं, उनसे बड़ी ताकत किसी की नहीं है। चाहे वह एक बार के लिए हों या दो बार के लिए हों। जो पहली बार खंभे के पीछे हैं, जो इस सदन में आ गए, ईश्वर की कृपा, लोगों की कृपा, वह बहुत बड़ा आदमी है। टाइप-5, टाइप-6, टाइप-7 और टाइप-8 आखिर ये क्या हैं? सांसदो के लिए दो ही श्रेणी हों और श्रेणी का नम्बर आपको जो देना हो दे दीजिए। जो पहली बार, दूसरी बार आए, उनको एक अच्छा मकान दीजिए, जो तीन बार के बाद आए उनको दे दीजिए। दोनों की समतुल्यता देख लीजिए तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। आप पूरे भारत सरकार के अधिकारियों के लिए, मंत्री जी के लिए और स्वयं के लिए टाइप-7, टाइप-8, टाइप-9, टाइप-10 बनाते रहिए, क्योंकि अंग्रेजों का बनाया हुआ मकान था, उसका कैटेगराइजेशन आपने कर दिया। हमारे लिए दो श्रेणी का मकान बना दीजिए जो मंत्री हों, वे आपके खाते में चले जाएं। सब प्रकार के टाइप को खत्म कर दीजिए। सांसदों को दो कैटेगरी में डाल दीजिए। घर-घर जाकर निहोरा करने का सिस्टम खत्म होना चाहिए। कैटेगराइजेशन भारत सरकार में खत्म होना चाहिए। इसको लागू करने के बारे में विचार करेंगे तो देश के लिए अच्छा होगा, सांसदों के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1858 hours

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I would like to take this opportunity to pay my respect and express my appreciation for the very valuable comments that have been forthcoming from the hon. Members.

1858 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

Despite the lateness of the hour, the number of participants that we have had in this very rich discussion and the substantive points that have been made, all lead me to one conclusion that apart from one or two hon. Members, one or two exceptions, the House, both individually and collectively, has widely welcomed the proposed amendments. Having said that, I also want to submit, through you, Sir, that some of the comments which have been made are the comments with which I can agree, including those forthcoming from the hon. Members from the Opposition. But I think, those comments have been made because the provisions of the Bill and the prevailing practise, including personal experiences, are not fully understood. So, I will take this opportunity to respond to each one of the comments made, and I seek your indulgence in it. I know, you have been extremely gracious with the time that you allot to us.

Therefore, let me start by naming the hon. Members who have participated in this discussion – Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Shri Parvesh Sahib Singh Verma, Shri Kalyan Banerjee, Shri Kanumuru Raghurama Krishnaraju, Shri Pinaki Misra, Shri Nama Nageswara Rao, Shrimati Supriya Sadanand Sule, Shri Rajendra Dhedya Gavit, Shri Janardan Singh Sigriwal, Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu, Shri Shankar Lalwani, Shri N.K. Premachandran, and Shri Rajiv Pratap Rudy.

(1900/KKD/YSH)

Sir, let me start with the hon. Member Shri Adhir Ranjan Chowdhury, who has welcomed the thrust of the amendments. But then, he proceeded to say that the Bill does not quantify the damages payable. My first submission, not only to the hon. Member but also to others, who have raised this point, is that the Bill does not need to quantify the damages. It is because the damages are quantified elsewhere. There is an Office Memorandum which clearly spells out the types of accommodation and the rates at which damages are to be charged.

SHRI PINAKI MISRA (PURI): They are too low.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: I am coming to that point precisely.

If you look at the figures cited in this Office Memorandum -- and the one, which is currently operative is dated 7th September, 2016,well before I became a Minister; in fact a year before that – my first reaction, when I saw this Office Memorandum, was precisely the point the hon. Member, Shri Pinaki Misra makes. What happens is that if you have a low base level, and if you are paying a rent – I would say hypothetically if Rs. 100 a month or let us say even Rs. 1,000 a month – and then, you are charged 40 times or 120 times, then the amount payable is significantly lower than what you would pay for accommodation of that quality in the market. So, that point is well taken.

However, there are safeguards. If the hon. Members do not pay, then before an election, they have to come to the Directorate of Estates to seek 'no objection'. Otherwise, they cannot go and file their nomination papers, and that is where some corrective comes. But that is rather late in the day. But I take the point and I want to tell the hon. Members that on my own, I have been saying that this Office Memorandum should be addressed. One of the ways it will be addressed is through the amendment, which is coming in now. But I think, we may need to look at this. This is something that I would examine as we go long, after this Amendment Bill is passed.

Shri Adhir Ranjan Chowdhury also raised one or two other points. He said that the notice is after the extension period. Absolutely, yes. But let me make another submission. There is a system of Public Premises Eviction Act on which notices are issued. Various hon. Members have spoken about the notice period. Shri N.K. Premachandran, if I may be allowed to jump the queue a bit, said why three days' notice period is there; why not 30 days? That is precisely my point. One other hon. Member said that this is draconian. In fact, it is intended to be less so. The then Government of the day and I am not naming a party, in 1994 brought in an amendment, which did not have even a three-day period. So, when my attention was drawn to this, the legal team said that we should follow the example of 1994. But I submitted then, 'No. We have to give an opportunity and that opportunity must resonate in natural justice. People must be provided the opportunity.' Now, when we had a seven days' notice period, we ended up people taking us into litigation for 10 years. Ten years is the amount of period.

The issue here is not three years or three days or seven days. The issue here is different. That three days' notice period will be given only after the Director of Estates has satisfied himself or herself that all other margins of

persuasion have been exhausted and that the party concerned is not. Let me give you the example of the current situation. The Lok Sabha Election Results were declared on 23rd May. Strictly speaking, on 25th June, all hon. Members should have vacated. We did not issue a notice to any one of them. We are now past 25th July. Now, routine notices have started going. All these Acts or all these powers are exercised in the most humane way. The 1994 example was actually draconian, and we deviated from that.

Now, I come to the examples cited by various hon. Members. One hon. Member said that he has pent-up fury, and he wants to ventilate that. I deeply appreciate that because it gives me an opportunity to try and place on the record of the House what the real situation is.

When an accommodation is allotted on vacation basis, let us say, I issue a notice to Shri Rajiv Rudy.

(1905/RP/RPS)

I did not in his case; I could have. That is a separate issue. We will come to that in a minute. I think, the House is a great opportunity for us to make a few statements. Let me explain. It is a hypothetical example. I do not mean him.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): I think, it is a hypothetical example.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: It is a hypothetical example but you can draw inferences from there also.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): The name is fictitious.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: The name is fictitious. Let me explain. It is very easy to get up in the House and start making suggestions. I will try and play the same hypothetical game. If a type-VII accommodation, which is with some Members, is sought to be allotted by us to another hon. Member, we do not expect the person, who is in present occupation, to vacate it till an alternative house has been allotted to that Member. Now, in the case of Shri Adhir Ranjan Chowdhury, it seems what happened is that the C-I accommodation, which must have been type-VI – it is because earlier he was in a type-VII accommodation – was set to be free but when the hon. Member went there, it was not the case. I

think, there is a slip up. And I try to ensure, as a Minister, that no such slip up takes place these days. In fact, I personally monitored this along with my team of officials.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I have the highest regard for you but believe me I was forced to stay outside.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: I totally appreciate that and I would be willing to sit down with you. I would be willing to listen to the exact narration of events which you have given along with dates. If you have been charged something, which I think is unreasonable, I assure this House that I will personally move a Note to the Cabinet Committee on Accommodation that those charges should be restituted. You should get them back. If this is the case, we will sit down with my team of officials. It is because we need to ensure that representatives of the people who come for representing the sovereignty of the people are given a fair share here. So, I can assure you on that.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, my image was tarnished due to that.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: At least, I have developed a thick skin and a sense of humour. I will sit down with you.

Some hon. Members have raised some personal issues. I am going to skip those but I wanted to make this point that anybody, who has any personal grievance on any issue, please feel free to come to me. We will look at them. Those are not policy issues. Those are not issues which are germane to the consideration of this Bill.

Shri Parvesh Sahib Singh Verma mentioned many instances when senior leaders of my Party, of which I am a proud member, vacated their accommodations immediately when the results were being declared or when the circumstances led to accommodation being no longer warranted.

I was delighted that Supriya ji mentioned the tradition in Maharashtra. I associate very closely with that State for reasons which, I think, many of you know. I think, those are the highest traditions. But the culture of impunity in which we have been operating seems to be that once you have got an accommodation, देखा जाएगा, आप नोटिस इश्यू करिए, हम देख लेंगे I have also had people who have come to me and said: मैं इसलिए वेकेट नहीं करूंगा कि अगर मैंने वेकेट कर दिया तो मेरी छवि कुछ खराब हो जाएगी। The idea is to change some of these things slowly but surely. Parvesh ji also mentioned the need for establishing a SIT. I think, that is his proper suggestion. I want to assure him that there is already a

SIT. That SIT has been formed by the Government. Somebody has encouraged it. It operates under the DDA. It looks at encroachment of hundreds of square metres or kilometres of public property and it files a report before the court.

I also want to take this opportunity to jump again a little to mention the coverage of the Act. Some questions were asked: “Does it apply to Government servants only?” We are dealing with two separate issues here. One is the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act of 1971. This applies to all public premises. But the amendment that we are bringing in today, applies only to residential accommodation occupied by the Government officers, the Members of Parliament, etc.

(1910/RCP/RAJ)

An issue was raised, insofar as the Judiciary is concerned, whether any judicial disrespect is meant. Absolutely none. Hon. members of the courts also occupy accommodation but they manage that themselves. I have not come across a single case where a retired Judge of the High Court or the Apex Court decides to stay in the accommodation. It is because, they manage it themselves. As soon as one His Lordship or Her Lordship vacates, it is allotted by them. It does not come to us. I want the record to very carefully reflect this.

Now, I come to the issue raised by Shri Kalyan Banerjee. In the spirit of cooperative agreement that we have around this Table, I wish I could say that I agree with what he is saying. But I disagree with almost everything that he has said. It is not because I disagree with him – and I want to look through you to him – not that he is any less attractive a proposition to look at, but the issue here is, we must get our facts right. Something was said about Gazette, whether the Estate Officers are gazetted. I want to assure the hon. Member that they are gazetted, their names are gazetted. …(*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): I have not said that.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: The hon. Member said that. We looked around, who are the officers. I can give you the names.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): No, I have not said that.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: All right. If not, with my limited understanding, I may not have …(*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): I have said, Gazette notification has not been made in some cases.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: All right. I do not need to speak to the hon. Member. I can always send them copies of the Gazette notification. So, this is

not correct. But what I disagree with most vehemently is that he tried to criticise public officials, Government servants who are not in a position to defend themselves in this House. What is he talking about? He is talking about his own experience as a part of the House Committee along with another hon. Member. He said – and I take serious objection to this – those people were in illegal occupation because of my officers. First of all, let us get our record straight. Who gives accommodation to the hon. Members? Is it the Ministry of Urban Development? Is it the Directorate of Estates which gives accommodation to the Members of Parliament? Question is appropriate; answer is 'NO'. This accommodation is granted by the Chairman of the House Committee. In the previous House Committee, it was Shri Suresh Angadi. Now, it is Shri C.R. Patil in the case of the Lok Sabha and Shri Om Prakash Mathur in the case of the Rajya Sabha.

It is very easy to be critical, hon. Speaker, but let me explain one very basic thing.

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, एक-एक मकान के बारे में डिस्कस करने लगेंगे तो पूरे पांच घंटे लग जाएंगे, आप बिल को जल्दी पास करायें।

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI HARDEEP SINGH PURI: I do not think officers who are not in a position to defend themselves …(*Interruptions*) I am willing to enter into a public debate on that. I will defend my officers. That is a tradition to which I belong.

Now we come to the issue of damages. I have already said that damages are quantified. A point was made by hon. Member Shri Pinaki Misra whether we are carrying out a survey and routine checks.

माननीय अध्यक्ष : सभी ने आपके बिल का समर्थन कर दिया है।

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Let me explain that we are carrying out the checks all the time. We know when somebody is in illegal occupation, but if we have a situation that an hon. Member to whom a house has been allotted, that hon. Member has invited someone else to do, we will do that.

माननीय अध्यक्ष : विधेयक पर विचार किया जाए।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने बहुत डिटेल में आपको उत्तर दिया है।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। अगर आपको और डिटेल में उत्तर सुनना है तो आप तीन घंटे वेट कर लें, यह एक-एक चीज का उत्तर दे देंगे।

क्या सदन चाहता है कि पहले इस बिल को पारित किया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

माननीय अध्यक्ष : विधेयक पर जल्दी विचार किया जाए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कल्याण जी को एक बार बोलने दें।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, whatever I had said, Meghwal *sahib* was the Chairman of the House Committee at that time…(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : इनके बाद हम आपको बोलने के लिए मौका देंगे।

…(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Bring the record and see what was the answer of your officers and what was the answer of the Judicial Secretary. At that time, Meghwal *sahib* was the Chairman of the House Committee, not any other person.

(1915/IND/SMN)

माननीय अध्यक्ष : जसबीर जी, आज आपको परमिशन दे दी है, लेकिन अगली बार आप अपनी सीट से बोलिएगा।

श्री जसबीर सिंह (डिम्पा) गिल (खडूर साहिब): ठीक है, सर।

महोदय, मेरे केवल दो क्लैरीफिकेशन्स हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो तीन हजार से ऊपर केसेज हैं, जिन्होंने घर खाली कराने के लिए किए हैं, उनमें से एमपीज के कितने केसेज हैं? मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि कई आफिसर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे वे चंडीगढ़ में पोस्टेड हैं। वे दिल्ली में एक छोटा चार्ज ले लेंगे। वे एक घर दिल्ली में ले लेंगे और एक घर चंडीगढ़ में ले लेंगे। इस बात का भी प्रावधान किया जाए कि ऐसे लोगों के लिए जिनका काम ही हफ्ते में केवल दो घंटे का है, उन्हें दो-दो घर क्यों दिए जाएं।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): माननीय मंत्री जी बहुत मुस्करा कर बोल रहे हैं और उत्तेजना को समाप्त कर रहे हैं।

SHRI HARDEEP SINGH PURI : Sir, I am very happy to be smiling and concluding but there are two comments which I need to make. I will provide this clarification. पिनाकी मिश्रा जी ने कहा कि मैंने एक शब्द 'इंटरेस्टिंग' इस्तेमाल किया है। वे शायद सदन में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि 'despicable' शब्द इस्तेमाल करना चाहिए था। महोदय, मैंने 45 साल एक और प्रोफेशन में, डिप्लोमेसी में स्पेंड किए हैं। वहां जब सबसे सख्त और कड़ी बात भी कहनी होती है और किसी को धमकी भी देनी होती है, तो कहा जाता है कि I encourage you. जब सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन्स की बम्बारमेंट एलाऊ करती है, तो यह नहीं कहते कि go and bomb the hell out of the country. वे कहते हैं to use all means necessary. इसलिए मैं माफी चाहता हूं कि मैंने सॉफ्ट वर्ड यूज किया, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग वैसी है। जैसा माननीय सदस्य ने पूछा कि सरकारी मकानों की टोटल डिमांड कितनी है। मैं बताना चाहता हूं कि टोटल

सरकारी मकानों की डिमांड 77199 है। इसमें 15416 मकानों की शार्टेज है। प्रिसाइजली यह संख्या 3081 है, इनमें से कितने एमपीज हैं, उसकी फिगर मैं आपको पहुंचा दूंगा। I am not carrying the figure.

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मंत्री जी, आपने तीन दिन की बात कही है। मान लीजिए कि किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो और कोई जेनुइन रीजन रहे, तो क्या समय बढ़ाने का कोई चांस है?

श्री हरदीप सिंह पुरी : मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये तीन दिन का पीरियड एक्सट्रीम में यूज किया जाता है। जैसा मैंने उदाहरण दिया, जब 23 मई को चुनाव का रिजल्ट आया, हमने दो महीने कुछ नहीं किया। हम अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम चेन्स बना रहे हैं कि घर खाली होगा, तभी आपको दें। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेडिकल इमरजेंसी और किसी अन्य किस्म की इमरजेंसी के समय यदि ऐसी बात आती है तो हम केबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन में स्पेशल डिस्पेंसेशन लेते हैं कि ऐसे केसेज को इस तरह से लिया जाए। ये ड्रेकोनियन चीज वर्ष 1994 में हुई थी, तब ऐसे इम्प्लीमेंट हुई थी। उस समय कौन था, यह मैं नहीं बता रहा। हमारे यहां बहुत सॉफ्ट तरीके से और ह्यूमेन तरीके से इम्प्लीमेंट होगी।

माननीय अध्यक्ष : सीनियर एडवोकेट, श्रीमती मीनाक्षी लेखी।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): अध्यक्ष जी, आपका प्रोटेक्शन चाहिए। मैं मंत्री जी को एक बात कमेंट करना चाहती हूं कि वे हाउस रिप्रेजेंट करते हैं, अपने आफिसर्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। दूसरी चीज उन्होंने स्वयं माना कि हाउसिंग की शार्टेज है। मैं आर.के.पुरम क्षेत्र से हूं। वहां दिक्कत है जैसे किसी आफिसर की प्रमोशन हो जाती है और उन्हें टाइप-II मिला हुआ है। अभी उनकी रिटायरमेंट क्लोज है या उनकी नेक्स्ट पोस्टिंग हो गई और हम टाइप-III या टाइप-IV नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वे एग्जिस्टिंग एकोमोडेशन में हैं। वहां वे एक एक्स्ट्रा कमरा बढ़ा लेते हैं और रूल के मुताबिक उस कमरे को खत्म करके रिटायरमेंट के समय सुपुर्द करके जाते हैं। पहले कोई नोटीफिकेशन निकाली गई थी, लेकिन बावजूद उसके जब चुनाव आने वाला होता है, कुछ आफिसर्स लगातर नोटिसेज भेजते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। मैं मंत्री जी के संज्ञान में विषय लाना चाहती हूं कि जिन लोगों को हायर एकोमोडेशन एलोकेट होनी चाहिए और उन्हें लोअर केटेगरी की एकोमोडेशन मिली हुई है और उन्होंने यदि एक्स्ट्रा कमरा बढ़ाया हुआ है, तो एक्ट के माध्यम से यह जो गैरकानूनी या कानूनी बात इस्तेमाल करके इस तरह की चीजें हो रही हैं, उन्हें इस बारे में यदि प्रोटेक्शन दे देंगे, तो अच्छा रहेगा।

(1920/MMN/PC)

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Hon. Speaker, Sir, other issues were also raised by hon. Members, including by my distinguished friend, Shri Rajiv Pratap Rudy who asked about designated housing. I had already given a detailed answer. Designated accommodation is only meant for certain specified people. If certain families choose to keep on to a house or certain officials do it, I will not subscribe to that. I assure the House that if some people are utilizing loopholes in the system to do that, we will move against those people, no matter who they are,

whether officials or Members of Parliament, because the requirement of equity and justice demands that. So, I am very clear that that will be done.

Hon. Speaker, Sir, I have many more points to make but I realise that today you want to bring these proceedings to an early conclusion. I will send written replies to all the questions to which I could not answer. If you want, I will even circulate them because I think we have a good story to tell them; and also, it is in the interest of full disclosure and transparency that what we are saying should be made known to all. I will be sending the replies in writing as well. Thank you, Sir.

(ends)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

खंड 2

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?
SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I am not moving my Amendments.
माननीय अध्यक्ष : श्री हिबी इडन – उपस्थित नहीं।
माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?
SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, the hon. Minister has already explained regarding three days and 30 days. I am satisfied with the answer. So, I am not moving my Amendments.
माननीय अध्यक्ष : श्री हिबी इडन – उपस्थित नहीं।
श्री भर्तृहरि महताब – उपस्थित नहीं।
माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, Amendment No.5 deals with an important issue because when one approaches the court, only then it is done. Actually, it will not survive the test of law. So, my amendment is that if the court finds that that person is in unauthorised accommodation, then you ask him to pay the damages.

I beg to move :

"Page 2, lines 25 and 26,--

for "pay damages for every month for the residential accommodation held by him"

substitute "be liable to pay damages as per the judgement of the court, if the court finds that such person is in unauthorised accommodation"." (5)

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Hon. Speaker, Sir, that goes without saying that we are providing for a period where he was in unauthorised occupation. If the determination of the court is that that was an illegal order or something, it stands to justice.

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री भर्तृहरि महताब – उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम को विधेयक में जोड़ दिया गया।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(FOR REST OF THE PROCEEDINGS, PLEASE SEE THE SUPPLEMENT.)